आधार

मेरा आधार, मेरी पहचान

वार्षिक रिपोर्ट

2024 - 25

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा)

वार्षिक रिपोर्ट
2024 - 25

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
बंगला साहिब रोड, गोल मार्केट
नई दिल्ली - 110001

अस्वीकरण:

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी लिखित वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है।
यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी लिखित रिपोर्ट ही मान्य होगी।

भाविपप्रा ©2025

यह रिपोर्ट www.uidai.gov.in
पर उपलब्ध है

संदेश - अध्यक्ष
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। यूआईडीएआई, विश्व में अग्रणी अपनी डिजिटल आईडी, आधार के जरिए जीवनशैली को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। 13.2 करोड़ के उच्चतम संव्यवहार के साथ, प्रतिदिन औसत प्रमाणीकरण की संख्या, पिछले वर्ष 8 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 9.6 करोड़ हो गई है। उपयोगकर्ता के लिए सबसे अनुकूल चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा में और तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसने वर्ष के दौरान 1.1 करोड़ की अधिकतम संख्या को प्राप्त किया था, वह संख्या सितंबर 2025 में 1.5 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

पहचान के भरोसेमंद सत्यापन के लिए आधार पर बढ़ती निर्भरता के साथ, हम उभरती जरूरतों को समझने, नए समाधान हेतु भागीदारी करने और आधार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की समझ को बेहतर बनाने के लिए ईकोसिस्टम के साथ अपनी प्रतिबद्धता में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ हमने तीन सम्मेलन (आधार संवाद) आयोजित किए और हर तरफ से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया ने हमें इन्हें वार्षिक कार्यक्रम का रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया है। भविष्य में, हम प्रत्येक वर्ष दो 'संवाद कार्यक्रम' पहला 29 सितंबर को 'आधार दिवस' के अवसर पर (वर्ष 2010 में जिस दिन पहला आधार जारी किया गया था) और दूसरा 28 जनवरी को (वर्ष 2009 में जिस दिन यूआईडीएआई की स्थापना हुई थी) आयोजित करने की योजना बना रहे हैं।

आधार की सर्वव्यापकता से नई ज़िम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो रही है। आधार पर ईकोसिस्टम का भरोसा जैसे-जैसे बढ़ेगा, उपयोग के नये तरीको का पता लगाने की इच्छा उतनी ही प्रबल होगी और धोखेबाजों के लिए इसका फायदा उठाने के अवसर भी उतने ही अधिक होंगे। हमारी विभिन्न नई पहल, उपयोग के नए मामलों को सुगम बनाने और धोखाधड़ी रोकने के प्रयास हैं।

पुनर्निर्मित आधार ऐप को पहले ही सकारात्मक समीक्षाओं के साथ लांच किया जा चुका है। जैसे-जैसे इसके संस्थापित बेस में वृद्धि होगी, हमें आशा है कि धोखाधड़ी के संबंध में सबसे ज्यादा जोखिम वाले भौतिक आधार के उपयोग के स्थान पर गोपनीयता-संरक्षित और सुरक्षित डिजिटल प्रमाणीकरण का उपयोग होगा। यह ऐप आधार नंबर धारकों को प्रमाणीकरण के दौरान केवल आवश्यक विवरण साझा करने की अनुमति देगी और उनको आवश्यकतानुसार अपना विवरण अपडेट करने, अपने बायोमेट्रिक्स को आसानी से लॉक और अनलॉक करने की सुविधा प्रदान करेगी, और यूआईडीएआई को उनसे सीधे जुड़ने की अनुमति देगी।

हम धोखाधड़ी रोकने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीकों के उपयोग में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। हम डेटा की गुणवत्ता पर सतत रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट करना, मृतकों के आधार को निष्क्रिय करना, तथा सभी आधार नंबर धारकों के लिए जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट करने को सुगम बनाना शामिल है।

आधार नंबर धारकों के लिए ग्राहक सेवा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, हमने आधार सेवा केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करने के संबंध में सेवा प्रदाताओं के मामले को भी अंतिम रूप दे दिया है। हमें, नामांकन एजेंटों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने और धोखाधड़ी की घटनाओं की जमीनी स्तर पर शिकायते मिल रही थीं: हम उम्मीद करते हैं कि इस पहल से दोनों को न्यूनतम किया जा सकेगा।

कर्मचारियों, भागीदारों और विक्रेताओं सहित यूआईडीएआई परिवार का योगदान लगातार आधार की सफलता का संचालन कर रहा है और हमें आशा है कि इससे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत का नेतृत्व और बढ़ेगा, तथा पहचान के संबंध में नए वैश्विक मानक तैयार होंगे।

नीलकंठ मिश्रा
अध्यक्ष , भाविपप्रा

वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण

वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ('प्राधिकरण') की वार्षिक रिपोर्ट, इसकी अनुसूचियों एवं अनुलग्नकों और संलग्न नोट्स के साथ, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (विवरणियां और वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसरण में, प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया।

2. इस वार्षिक रिपोर्ट में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 27 के उपबंधों के तहत भारत सरकार को अग्रेषित की जाने वाली आवश्यक जानकारी निहित है और इसमें प्राधिकरण का अवलोकन, उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण को समनुदेशित कार्यों के निष्पादन के संबंध में उसके द्वारा क्रियान्वित गतिविधियां और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राधिकरण के खातों का लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण शामिल है।

3. प्राधिकरण द्वारा पारित प्रस्ताव इस प्रकार है:

फा.सं.एचक्यू-14018(II)/1/2025-समन्वय-एचक्यू - प्राधिकरण के सदस्यगण दिनांक 10.11.2025 के समसंख्यक एजेंडा नोट पर विचार करने के पश्चात वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का संकल्प एवं अनुमोदन करते हैं।

ह0/-
(नीलकंठ मिश्रा)
अध्यक्ष

ह0/-
(भुवनेश कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह0/-
(मौसम)
सदस्य

ह0/-
(निलेश शाह)
सदस्य

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

श्री नीलकंठ मिश्रा
अध्यक्ष (अंशकालिक), भाविपप्रा

श्री नीलकंठ मिश्रा, एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। साथ ही वे ग्लोबल रिसर्च के प्रमुख और एक्सिस कैपिटल के पूर्णकालिक निदेशक हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान निवेशक सर्वेक्षणों में भारत में लगातार उन्हें श्रेष्ठ विश्लेषक का दर्जा प्रदान किया गया है। वैश्विक और भारतीय मैक्रोइकॉनोमिक प्रवृत्ति के अनुसार एक बेहद सम्मानित विशेषज्ञ और मीडिया स्तंभकार, वे क्रेडिट सुईस में दो दशक के लंबे और प्रतिष्ठित करियर, जहां वे एशिया पेसिफिक स्ट्रेटेजी के सह-प्रमुख और भारत रणनीतिकार थे, के उपरांत मई 2023 में एक्सिस में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने यूआईडीएआई में अक्तूबर 2023 में कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में यूआईडीएआई के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वे भारतीय प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं और इन्होंने भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन और 15वें वित्त आयोग जैसे सरकारी निकायों को परामर्श भी दिया है। वे सीआईआई की आर्थिक कार्य परिषद के सदस्य हैं, और कारपोरेट बोर्डों में एक सतत प्रस्तुतकर्ता हैं। इन्होंने एचयूएल और इन्फोसिस में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वे आईआईटी कानपुर से स्वर्ण पदक विजेता और विशिष्ट पूर्व-छात्र पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं तथा इन्होंने आईआईटी के प्रवेश परीक्षा में भी चतुर्थ रैंक प्राप्त किया था।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

प्रोफेसर मौसम
सदस्य (अंशकालिक), भाविपप्रा

प्रो. मौसम आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं और वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सिएटल में एक संबद्ध संकाय सदस्य हैं। वे आईआईटी दिल्ली में यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक प्रमुख हैं। इन्होंने शोध के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विभिन्न संभावनाओं का पता लगाया है, जिसमें स्केलिंग संभाव्य नियोजन एल्गोरिदम, वेब से बड़े पैमाने पर सूचना प्राप्त करना और क्राउड सोर्स्ड प्लेटफॉर्म पर जटिल गणना को समर्थ बनाना भी शामिल है। इन्होंने अक्तूबर 2023 में यूआईडीएआई में कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में यूआईडीएआई के अंशकालिक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

श्री नीलेश साह
सदस्य (अंशकालिक), भाविपप्रा

श्री नीलेश शाह कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अंशकालिक सदस्य हैं। इन्होंने तीन दशक से अधिक समय तक स्थानीय और वैश्विक निवेशकों के लिए ऋण, इक्विटी और रियल एस्टेट में निवेश बैंकिंग और निवेश प्रबंधन को कवर करते हुए एक्सिस बैंक समूह, आईसीआईसीआई बैंक समूह और फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड में शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वे गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरिट रैंक के कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। इन्होंने अक्तूबर 2023 में यूआईडीएआई में कार्यभार ग्रहण किया और वे वर्तमान में यूआईडीएआई के अंशकालिक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

श्री भुवनेश कुमार
भा प्र से, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भाविपप्रा

श्री भुवनेश कुमार ने जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

वे 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश कैडर) अधिकारी हैं। नौकरशाह की जीविका के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के शासन और जिला प्रशासन में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं।

इनकी पिछली नियुक्तियों में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत सरकार के अपर सचिव तथा वित्त, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, एमएसएमई, खेल और युवा कल्याण, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विकास और योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभागों में प्रधान सचिव/सचिव की नियुक्ति शामिल हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने से पूर्व, वे भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) में थे और उन्हें ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज की स्थापना करने का दायित्व सौंपा गया था। उन्होंने हरियाणा सरकार के इंजीनियरिंग संस्थान में फैकल्टी के रूप में भी अध्यापन कार्य किया।

उन्होंने अपनी जीविका की शुरूआत तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (वर्तमान में एमईआईटीवाई) के अंतर्गत सीएमसी लिमिटेड, सार्वजनिक उपक्रम, में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में की।

योग्यता के अनुसार, वे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विषय में इंजीनियर हैं और इन्होंने वर्ष 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

विषय सूची

1. अवलोकन 1-8

1.1 वर्ष 2024-25 1
1.2 सबसे विश्वसनीय पहचान 1
1.3 भाविपप्रा का सृजन 2
1.4 भाविपप्रा का सफर 4
1.5 भाविपप्रा के उद्देश्य 6
1.6 भाविपप्रा को समनुदेशित कार्य 6

2. संगठनात्मक संरचना 9-14

2.1 प्राधिकरण की संरचना 10
2.2 प्रधान कार्यालय की संरचना 10
2.3 क्षेत्रीय कार्यालय की संरचना 12

3. भाविपप्रा की कार्यप्रणाली 15-44

3.1 अवलोकन 15
3.2 नामांकन एवं अद्यतन ईकोसिस्टम 17
3.3 नामांकन भागीदार 18
3.4 नामांकन प्रक्रिया 19
3.5 आधार नामांकन प्रगति 21
3.6 आधार डेटा अद्यतन 21
3.7 आधार सेवा केंद्र 25
3.8 आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 27
3.9 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम 27
3.10 अधिप्रमाणन भागीदार 28
3.11 आधार अधिप्रमाणन सेवाएं 29
3.12 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम में प्रमुख विकास 35
3.13 संभारिकी एवं सीआई ईकोसिस्टम 38
3.14 आधार पत्र मुद्रण और वितरण 39
3.15 ई-आधार 39
3.16 आर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा 40
3.17 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम 40
3.18 ग्राहक संबंध प्रबंधन 42
3.19 आधार सहायक सेवाएं - आधार संपर्क केंद्र 42
3.20 चैटबॉट सेवाएं 44

4. डेटा सुरक्षा एवं निजता 45-50

4.1 डेटा सुरक्षा एवं निजता संरक्षण 45
4.2 डिजाइन द्वारा सुरक्षा एवं निजता 45
4.3 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार नामांकन 46
4.4 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार अधिप्रमाणन 47
4.5 लिंकेज के बिना न्यूनतम डेटा 47
4.6 डेटा का कोई एकीकरण नहीं 47
4.7 इष्टतम अनभिज्ञता 47

4.8 स्थान की अनभिज्ञता 48
4.9 संघबद्ध डेटा मॉडल तथा एक-मार्गी संयोजन 48
4.10 आधार डेटा की सुरक्षा 48
4.11 भाविपप्रा आईएसओ 27001:2022 द्वारा प्रमाणित 49
4.12 आईएसओ/ आईईसी 29100:2011 एवं आईएसओ/ आईईसी 27701: 2019 का भाविपप्रा द्वारा अनुपालन 49
4.13 ''संरक्षित प्रणाली'' के रूप में सीआईडीआर अवसंरचना की घोषणा 49
4.14 सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपी-एसपी) 50
4.15 बाह्य ईकोसिस्टम भागीदारों की सूचना सुरक्षा का मूल्यांकन 50
4.16 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली 50

5. आधार - सुशासन में उपयोग 51-56

5.1 आधार - शासन में सुधार हेतु एक उपकरण 51
5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में आधार 53
5.3 डीबीटी योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार का उपयोग 54
5.4 आधार अधिनियम 2016 (संशोधित) की धारा 4 के तहत राष्ट्र के हित में निर्धारित उद्देश्यों के लिए आधार का उपयोग 56

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले 57-62

6.1 कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति (पीओएसएच नीति) 57
6.2 भाविपप्रा में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 57
6.3 नागरिक चार्टर 58
6.4 ज्ञान प्रबंधन प्रणाली 58
6.5 नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ 59
6.6 भाविपप्रा की वेबसाइट 59
6.7 एकीकृत मोबाइल ऐप 61

7. 2024-25 की प्रमुख उपलब्धियां और पहल 63-76

7.1 घरेलू और वैश्विक आउटरीच 63
7.2 आधार ईकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण 65
7.3 भाविपप्रा प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा परियोजनाएं और पहल 68
7.4 2024-25 में अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम की उपलब्धियां 69
7.5 मानव संसाधन प्रभाग की प्रमुख उपलब्धियां 70
7.6 वर्ष 2024 -25 में सूचना सुरक्षा प्रभाग की प्रमुख उपलब्धियां 70
7.7 प्रशासन प्रभाग की मुख्य उपलब्धियां 71

8. भावी योजनाएं 77-82

8.1 प्रौद्योगिकी विकास 77
8.2 प्रौद्योगिकी प्रचालन 78
8.3 अधिप्रमाणन प्रभाग 79
8.4 मानव संसाधन प्रभाग 82

9. वित्तीय कार्य-निष्पादन 83-86

9.1 भाविपप्रा निधि 83
9.2 बजट एवं व्यय 83
9.3 सेवाओं से प्राप्तियाँ 86

10. वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का लेखापरीक्षित विवरण 87-138

11. अनुलग्नक 139-154

11.1 अनुलग्नक 1:आधार अधिनियम, 2016.....139
11.2 अनुलग्नक 2: आधार विनियम.....141
11.3 अनुलग्नक 3: सत्यापन हेतु स्वीकार्य समर्थित दस्तावेजों की सूची.....144
11.4 अनुलग्नक 4: 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार परिपूर्णता रिपोट.....154

12. लघुरूपण.....155-163

तालिकाओं की सूची

तालिका 1 – वर्तमान संरचना.....10
तालिका 2 – भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना.....12
तालिका 3 – राज्य स्तरीय कार्यालय एवं उनके क्षेत्राधिकार.....13
तालिका 4 – माहवार आधार सृजन (2024-25).....23
तालिका 5 – वर्षवार और संचयी हाँ/नहीं अधिप्रमाणन संव्यवहार.....32
तालिका 6 – माहवार हाँ/नहीं अधिप्रमाणन संव्यवहार (2024-25).....32
तालिका 7 – वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार.....34
तालिका 8 – माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2024-25).....34
तालिका 9 – वर्षवार और संचयी चेहरा अधिप्रमाणन संव्यवहार.....36
तालिका 10 – प्रदान किए गए प्रशिक्षकों का विवरण (01.04.2024 से 31.03.2025).....41
तालिका 11 – कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (2024-25).....57
तालिका 12 – 2015-16 से 2024-25 तक बजट आकलन/संशोधित आकलन के तहत बुक किए गए व्यय का विवरण.....84
तालिका 13 – वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट और व्यय का सारांश.....84
तालिका 14 – वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सेवाओं से हुई प्राप्तियों का विवरण.....86
तालिका 15 – विनियमों की सूची.....141

आकृतियों की सूची

आकृति 1 – संगठनात्मक संरचना.....9
आकृति 2 – भाविपप्रा प्रधान कार्यालय का ऑर्गेनोग्राम.....11
आकृति 3 – भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों की ऑर्गेनोग्राम.....14
आकृति 4 – राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार संतृप्ति (31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार).....18
आकृति 5 – विभिन्न आधार सेवाओं के लिए एक व्यक्ति द्वारा संदेय प्रभार (31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार).....27

ग्राफों की सूची

ग्राफ 1 – वर्षवार आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2025).....22
ग्राफ 2 – संचयी आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2025).....22
ग्राफ 3 – वर्षवार आधार अद्यतन.....26
ग्राफ 4 – वर्षवार हाँ/नहीं आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार.....31
ग्राफ 5 – संचयी हाँ/नहीं आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार.....31
ग्राफ 6 – वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार.....33
ग्राफ 7 – संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार.....33
ग्राफ 8 – वर्षवार चेहरा अधिप्रमाणन.....37
ग्राफ 9 – संचयी चेहरा अधिप्रमाणन.....37
ग्राफ 10 – बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जुडे.आधारों की प्रगति.....51
ग्राफ 11 – एईपीएस संव्यवहार की प्रगति मई 2014 से.....52
ग्राफ 12 – एपीबी से संव्यवहार की प्रगति.....53
ग्राफ 13 – एपीबी पर संव्यवहार के मूल्य की प्रगति.....55
ग्राफ 14 – 2015-16 से 2024-25 तक बीई/आरई के तहत बुक किए गए व्यय का विवरण.....85
ग्राफ 15 – वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सेवाओं से हुई प्राप्तियों का विवरण.....86

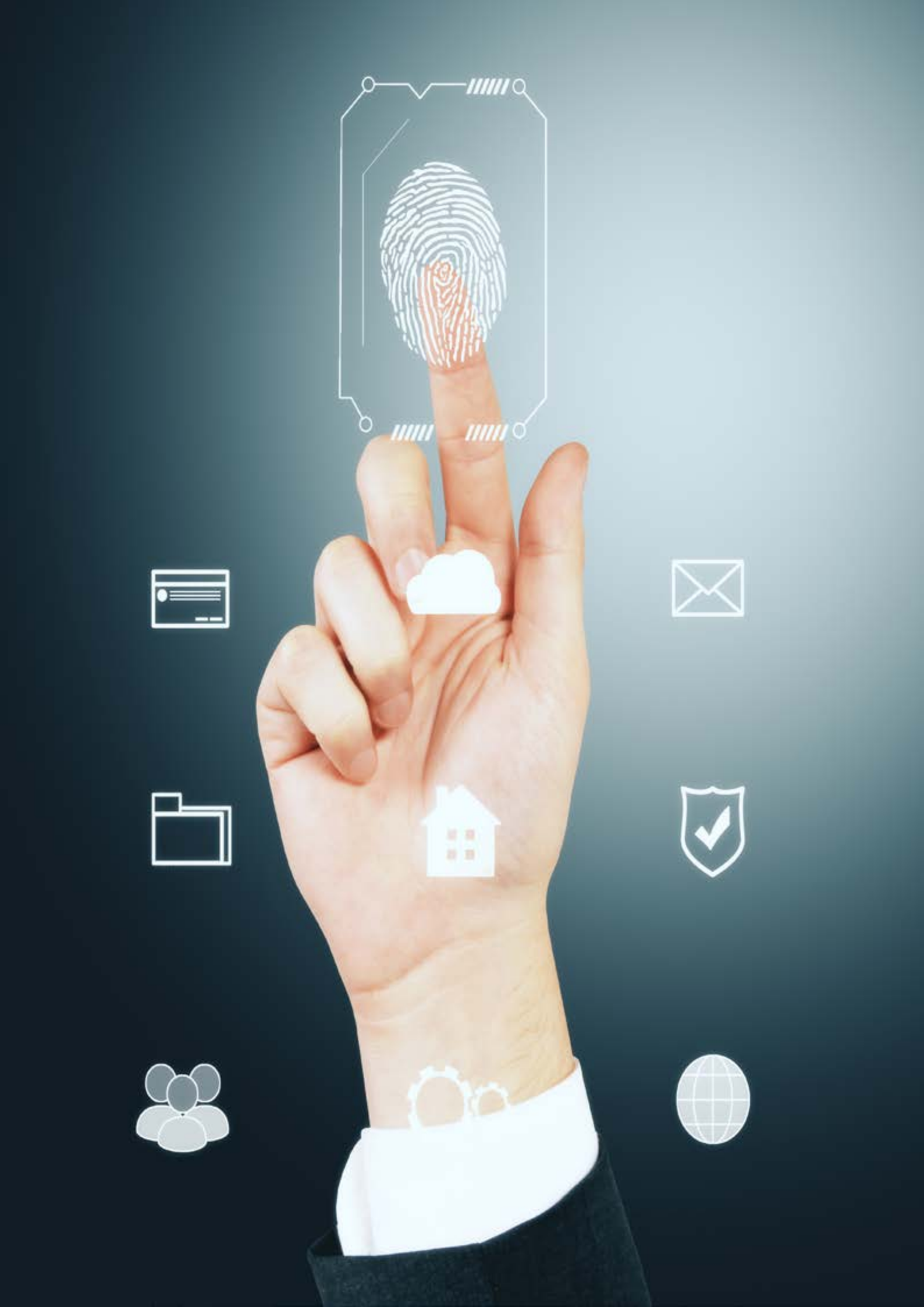

1. अवलोकन

1.1 वर्ष 2024 –25

1.1.1 वर्ष 2024-25 देश और विश्व के लिए एक सकारात्मक वर्ष रहा। वर्ष 2024-25 वैश्विक अनुकूलन और प्रगति के क्षेत्र में उल्लेखनीय रहा। तकनीकी प्रगति ने कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), नवीकरणीय उर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण के माध्यम से उद्योगों को नया आकार देना जारी रखा। विभिन्न देशों ने जहां संधारणीयता, आर्थिक लचीलापन और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं समाज ने कार्यशैली और जीवनशैली के विकल्पों में बदलाव किए। भारत में, मुख्यतः स्थिर आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी प्रगति, विनिर्माण, डिजिटल अवसंरचना और स्थिरता के प्रयासों पर ध्यान दिया गया।

1.1.2 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट मुख्य रूप से यूआईडीएआई की कार्यप्रणाली और ईकोसिस्टम का उल्लेख करती है। यह विभिन्न पहलों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों, भावी लक्ष्यों आदि की पूर्ण जानकारी भी देती है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण के वित्तीय ब्योरे और खातों के विवरण का भी उल्लेख किया गया है।

1.2 सबसे विश्वसनीय पहचान

1.2.1 सबसे विश्वसनीय पहचान, आधार के साथ, भारत ने व्यक्तिगत रूप से आबादी को सशक्त बनाने के लिए पहचान का एक ऐसा भरोसेमंद परिप्रेक्ष्य दिया है कि कोई भी विकास के रास्ते पर पीछे न रहे। यह उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ सेवाओं, लाभों और सब्सिडी के पारदर्शी और लक्षित वितरण के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है। आधार भारत में किसी अन्य पहचान दस्तावेज की तुलना में अधिक आत्मविश्वास और विश्वास को प्रेरित करता है। वर्तमान में, दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति आधार धारक है।

1.2.2 आधार - 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या - में परिवर्तन लाने की जबरदस्त क्षमता है, क्योंकि यह लोगों को कई तरीकों से सशक्त बनाता है, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास की भावना प्रबल हो सके। यह सब आधार की तकनीक, इसके प्लेटफॉर्म, इसकी प्रमाणीकरण संरचना और सत्यापन योग्य पहचान के रूप में इसके उपयोग के कारण संभव हो पाया है।.

1.2.3 आधार से पहले के दिनों में किसी की पहचान को साबित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस असमर्थता ने न केवल सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदान किए जाने वाले लाभ, सब्सिडी और अन्य अनुदानों को प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने में समाज के गरीब और वंचित वर्गों को रोका, बल्कि यह छद्म/जाली और नकली पहचान के लिए संसाधनों की विविधता और लीकेज का भी कारण बनी। विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की एजेंसियों को, निवासियों के लिए सेवाएं प्रदान करने के संबंध में पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन पहचान के सत्यापन के अभाव, फर्जी अभ्यावेदनों, सुविधाओं के दुरुपयोग और दुर्लभ सरकारी संसाधनों की चोरी का कारण बनते हैं। आधार पूर्व दिनों में, कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सत्यापित पहचान दस्तावेज/नंबर नहीं था, जिसका उपयोग निवासियों और सेवा प्रदाता एजेंसियां विश्वास, सहजता और आत्मविश्वास के साथ किया जा सके।

1.2.4 इस पृष्ठभूमि के समक्ष सितंबर 2010 में, एक बड़े पैमाने पर तकनीकी रूप से जटिल पहचान कार्यक्रम, जिसे तत्समय विशिष्ट पहचान (यूआईडी) कार्यक्रम कहा गया, मानव इतिहास में अभूतपूर्व, को शुरू किया गया था। इसने भारत के प्रत्येक निवासी को न्यूनतम जनसांख्यिकीय डेटा जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग और बायोमेट्रिक के आधार पर विशिष्ट पहचान देने की परिकल्पना की, जिसमें फोटो के साथ दस उंगलियों के निशान और आईरिस शामिल थे। चूंकि आधार बायोमेट्रिक के डि-डुप्लीकेशन पर आधारित है, इसलिए डुप्लिकेट, छद्म और नकली पहचान, जिन्हें ज्यादातर अन्य कार्यक्रमों में शामिल किया जाता था, यहां लगभग असंभव थी।

1.2.5 विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या, आधार के रूप में विख्यात, की भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से यूआईडी नंबर स्थापित करने के उद्देश्य से एक परियोजना के रूप में कल्पना की गई, ताकि (क) डुप्लिकेट और नकली पहचान को समाप्त करने के लिए इसे पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जा सके, और (ख) यह किफायती तौर पर आसानी से सत्यापित और प्रमाणित हो सके।

1.3 भाविपप्रा का सृजन

1.3.1 विशिष्ट पहचान की अवधारणा पर सर्वप्रथम विचार-विमर्श और उस पर कार्य 2006 में उस समय किया गया था, जब "बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान" परियोजना के संबंध में 3 मार्च, 2006 को प्रशासनिक अनुमोदन, पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इस परियोजना को 12 महीनों की एक अवधि के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। तत्पश्चात, 3 जुलाई, 2006 को बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना के तहत मुख्य डेटाबेस से डेटा फील्ड के अद्यतन, आशोधन, आवर्धन और विलोपन हेतु प्रक्रियाओं पर सुझाव देने के लिए एक प्रक्रिया समिति का गठन किया गया था।

1.3.2 तत्पश्चात, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) के संरक्षण में एक "कार्यनीतिक विजन - निवासियों की विशिष्ट पहचान" को तैयार किया गया और उसे प्रक्रिया समिति को प्रस्तुत किया गया। इसने करीबी संयोजन की यह परिकल्पना की थी कि विशिष्ट पहचान निर्वाचन संबंधी डेटाबेस के लिए होगा। समिति ने तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के संरक्षण में एक कार्यकारी आदेश द्वारा एक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया ताकि, प्राधिकरण के लिए एक अखिल-विभागीय और तटस्थ पहचान सुनिश्चित की जा सके और साथ-साथ एक 11वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में संक्रेद्रित दृष्टिकोण संभव हो सके। प्रक्रिया समिति ने 30 अगस्त, 2007 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में तत्कालीन योजना आयोग को "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए संसाधन मॉडल पर आधारित एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

1.3.3 उसी दौरान, भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के सृजन और भारत के नागरिकों के लिए बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाने में कार्यरत थे। इसलिए, तत्कालीन प्रधान मंत्री के अनुमोदन से दो योजनाओं - नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की विशिष्ट पहचान नंबर परियोजना को मिलाने के लिए मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के गठन करने का निर्णय लिया गया।

1.3.4 सचिवों की समिति की सिफारिशों और मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के निर्णय उपरांत, प्राधिकरण यूआईडीएआई का गठन किया गया और उसे जनवरी 2009 में दिनांक 28 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशा.। में निर्धारित कार्यों और उत्तरदायित्वों के साथ तत्कालीन योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया। प्रारंभ में पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए श्री नंदन नीलेकणि को मंत्रिमंडल सचिव के रैंक एवं दर्जे में दिनांक 2 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या। (ए-43011/02/2009-प्रशा.।(खंड-।।) के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी वर्ष जुलाई में श्री राम सेवक शर्मा, भा.प्र.से. ने पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

1.3.5 28 जनवरी, 2009 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना के उपरांत, कार्यक्रम, कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन पर यूआईडीएआई को सुझाव देने के लिए 30 जुलाई, 2009 को यूआईडीएआई पर प्रधान मंत्री परिषद का गठन किया गया, ताकि मंत्रालयों/विभागों, हितधारकों और भागीदारों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान मंत्री परिषद ने, 12 अगस्त, 2009 को अपनी पहली बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत यूआईडी प्रणाली पर विस्तृत कार्यनीति और दृष्टिकोण को अनुमोदित कर दिया।

1.3.6 यूआईडीएआई पर प्रधान मंत्री परिषद ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा के लिए मानक स्थापित करने वाले शीर्ष निकाय के रूप में घोषित कर दिया। इस अधिदेश के अनुसरण में, इन मानकों पर संस्तुति करने के लिए यूआईडीएआई ने दो समितियों अर्थात,(i) जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति और, (ii) बायोमेट्रिक मानक संबंधी समिति का गठन किया। श्री एन विट्ठल की अध्यक्षता में, जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति द्वारा 9 दिसंबर, 2009 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को बाद में भाविपप्रा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जबकि विभिन्न बायोमेट्रिक विशेषताओं के लिए मानकों पर बायोमेट्रिक मानक संबंधी समिति द्वारा रिपोर्ट को, एनआईसी के तत्कालीन महानिदेशक डॉ. बी. के. गैरोला की अध्यक्षता में 07 जनवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

1.3.7 प्रधानमंत्री परिषद को भाविपप्रा पर मंत्रिमंडल समिति से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस समिति का गठन भारत सरकार के दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 के आदेश संख्या 1/11/6/2009 द्वारा किया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार, इस समिति के प्रकार्यों में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संगठन, योजना, नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों, वित्तपोषण और भाविपप्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली सहित प्राधिकरण से संबंधित सभी मुद्दें शामिल हैं।

1.3.8 मंत्रिमंडल के अनुमोदनों के अनुसार, आधार नामांकन को भौगोलिक रूप से यूआईडीएआई और आरजीआई के बीच विभाजित कर दिया गया। तदनुसार, यूआईडीएआई को 24 राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) में आधार का नामांकन करने और आरजीआई को 12 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में नामांकन करने का कार्य सौंपा गया। हालांकि, गृह मंत्रालय ने दिनांक 5 मई, 2016 के अर्ध शासकीय पत्र सं. आरजी(पी)/एनपीआर/आरजीआई के द्वारा भाविपप्रा को उन 10 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों नामतः अरूणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली, जम्मू व कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (असम एवं मेघालय को छोड़कर), जिनके नामांकन का कार्य पूर्व में आरजीआई को सौंपा गया था, में नामांकन कार्य शुरू करने के लिए दिशानिर्देश दिए।

1.3.9 इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के पत्र द्वारा सूचित किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) योजना के तहत बायोमेट्रिक नामांकन का कार्य, आधार अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने के फलस्वरूप यूआईडीएआई द्वारा साफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन के उपरांत 23 सितंबर, 2016 से बंद पड़ा है। इसलिए, भाविपप्रा सांविधिक उपबंधों के तहत असम और मेघालय सहित संपूर्ण देश में आधार हेतु नामांकन करने के लिए सक्षम है।

1.3.10 संसद ने 2016 में आधार (वित्तीय एवं अन्य प्रसुविधाओं, लाभों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 के 18) को लागू करके आधार को विधायी स्तर प्रदान किया और भारत सरकार ने इसे 26 मार्च 2016 को अधिसूचित किया। तत्पश्चात, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय के साथ आठ क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई एवं रांची और हेब्बल (बेंगलुरु) एवं मानेसर (गुरुग्राम) में केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी प्रचालन के लिए केंद्र सहित, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ.2358 (ई) दिनांक 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया। इस प्रकार, यूआईडीएआई को प्रत्येक निवासी व्यक्ति को आधार नबंर जारी करने तथा आधार (वित्तीय एवं अन्य प्रसुविधाओं, लाभों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम") और इसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुपालन में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को निष्पादित करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

1.3.11 प्राधिकरण ने 14 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक में, भोपाल, अहमदाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर और तिरूवंतपुरम में 5 राज्य कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य कार्यालयों को खोला गया। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अनुमोदन से कैंप कार्यालय, पटना के स्थान पर राज्य कार्यालय, पटना कर दिया गया है।

1.4 भाविपप्रा का सफर

2005-08

- एनपीआर और यूआईडी को मिलाने के लिए ईजीओएम का गठन
- यूआईडी प्राधिकरण को सौंपने से पहले एनपीआर के तहत अनुमोदित फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक्स का संग्रह

2009-14

- भाविपप्रा एक कार्यकारी आदेश द्वारा अस्तित्व में आया
- 2010 में पहला यूआईडी बनाया गया
- 2012 में डीबीटी योजना लागू की गई

2015-17

- वर्ष 2016 में आधार अधिनियम पारित
- भाविपप्रा एक सांविधिक प्राधिकरण बन गया

2018

- उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने आधार अधिनियम की धारा 7 को संवैधानिक वैधता प्रदान की

2019

- आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम पारित

2020-25

- 99% से अधिक आधार परिपूर्णता प्राप्त
- कल्याण और सुशासन संबंधी 2500 से अधिक सरकारी योजनाएं

1.4.1 पहली विशिष्ट पहचान (यूआईडी), विख्यात नाम आधार, 29 सितंबर, 2010 को जारी की गई थी। तत्पश्चात 31 मार्च, 2025 तक 141.80 करोड़ से अधिक भारतीय निवासियों को आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। एक विशिष्ट पहचान के तौर पर आधार की निम्न विशेषताएं हैं

- यह 12 अंकों की एक यादृच्छिक संख्या है।
- यादृच्छिक संख्या में कोई आसूचना या रूपरेखा शामिल नहीं है।
- विशिष्टता का सुनिश्चयन बायोमेट्रिक गुणधर्म से होता है।
- इसमें केवल संख्याएं हैं, यह स्मार्ट कार्ड नहीं है।
- इसका नामांकन व अद्यतन देश में कहीं से भी किया जा सकता है।
- इसका ऑनलाइन अधिप्रमाणन देश में कभी भी, कहीं से भी किया जा सकता है।
- पूरे देश में संवहनीय पहचान है, जो क्षेत्र व भाषा की अड़चनों से परे है।
- एक बार सृजित और निर्गत संख्या फिर कभी भी पुनःसृजित और पुनर्निर्गत नहीं की जा सकती।
- यह नागरिकता, अधिकार एवं पात्रता प्रदान नहीं करता।
- संग्रहित सूचना की निजता एवं सुरक्षा। निवासी की सहमति के बिना कोई डेटा साझा न करना।

1.4.2 नामांकन के संदर्भ में, यूआईडीएआई ने लगभग पूरे देश को कवर कर लिया है। यूआईडीएआई की संकल्पना देश के सभी निवासियों के नामांकन की है जिसमें बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, गरीबों एवं समाज के वंचित वर्गों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक 141.80 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं तथा इसमें प्रतिदिन निरंतर वृद्धि हो रही है। यूआईडीएआई अपनी सेवा डिलीवरी में सुधार लाने के निरंतर उपाय कर रहा है, ताकि व्यापक स्तर पर लोगों की सुविधा के लिए जीवन और व्यवसाय सुगम बनाया जा सके। आधार का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं में सब्सिडी, लाभ

एवं सेवाए देने में किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों को सब्सिडी, लाभ एवं सेवाएं देने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, आधार ने लीकेज पर अंकुश लगाने और विभिन्न डेटाबेसों से छद्म/नकली लाभार्थियों पर प्रतिबंध लगाने से राजकोष में महत्वपूर्ण बचत की है।

1.5 भाविपप्रा के उद्देश्य

भाविपप्रा का उद्देश्य जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने पर व्यक्तियों को "आधार" नामक विशिष्ट पहचान (यूआईडी) नंबर जारी करना है, जो सफलतापूर्वक प्रमाणित होने पर उनकी पहचान के प्रमाण के रूप में काम करेगी और इसका उपयोग लाभ, सब्सिडी, सेवाओं और अन्य प्रयोजनों के हस्तांतरण के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जा सकेगा।

1.6 भाविपप्रा को समनुदेशित कार्य

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 23 के अनुसार, भाविपप्रा ने व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया एवं प्रणाली का विकास किया और आधार अधिनियम के अंतर्गत उसका अधिप्रमाणन किया। प्राधिकरण के कार्यों में, अन्य विषयों के सहित निम्नलिखित शामिल हैं

- नामांकन के लिए अपेक्षित जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना और उसके संग्रहण एवं सत्यापन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- आधार नंबर चाहने वाले व्यक्ति से जनसांख्यिकीय सूचना एवं बायोमेट्रिक सूचना का संग्रहण विनियमों में विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप करना;
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) के प्रचालन हेतु एक अथवा अधिक संस्थाओं की स्थापना करना;
- व्यक्तियों के लिए आधार नंबरों का सृजन एवं निर्धारण करना;
- आधार नंबरों का प्रमाणीकरण निष्पादित करना;
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में व्यक्तियों की सूचना का अनुरक्षण एवं अद्यतन विनियमों में विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप करना;
- विनियमों में विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप, एक आधार नंबर व उससे संबद्ध सूचना को निरस्त और निष्क्रिय करना;
- विभिन्न सहायिकियों, लाभों, सेवाओं और अन्य उद्देश्यों, जिसके लिए आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है, को प्रदान करने या प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ आधार नंबर के उपयोग के तरीके को विनिर्दिष्ट करना;
- विनियमों द्वारा रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति करने एवं ऐसी नियुक्तियों को समाप्त करने से संबंधित नियम एवं शर्तों का ब्योरा विनिर्दिष्ट करना;
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण करना; ;
- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनियमों में विनिर्दिष्ट के अनुरूप आधार नंबर धारकों से संबद्ध सूचना को साझा करना;
- आधार अधिनियम के अनुपालन में केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी, अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य एजेंसियों से सूचना व रिकार्ड की मांग करना, उनका निरीक्षण करना तथा प्रचालनों की लेखापरीक्षा करना;
- आधार अधिनियम के अंतर्गत डेटा प्रबंधन, सुरक्षा

प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;

- शुल्क लगाना एवं उसे एकत्रित करना अथवा रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं को इस अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में ऐसे शुल्क की प्राप्ति के लिए अधिकृत करना, जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए यथा आवश्यक समितियां नियुक्त करना;
- आधार नंबर के उपयोग सहित बायोमेट्रिक एवं संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन के लिए उपयुक्त प्रणाली के जरिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना;
- रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियमों, नीतियों एवं व्यवहारों को विकसित एवं विनिर्दिष्ट करना;
- व्यक्तियों, रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र और सुविधा केंद्रों की स्थापना करना;
- आधार अधिनियम के प्रयोजनार्थ सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण या प्रक्रमण से संबंधित किसी कार्य अथवा व्यक्तियों को आधार नंबर के वितरण अथवा प्रमाणीकरण निष्पादन करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ-राज्य क्षेत्रों अथवा अन्य एजेंसियों के साथ, जैसा भी मामला हो, समझौता ज्ञापन अथवा अनुबंध करना;
- अधिसूचना द्वारा अपेक्षित संख्या में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करना एवं सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण, प्रक्रमण या प्रमाणीकरण करने या उससे संबद्ध

अन्य कार्यों के लिए एजेंसियों की नियुक्ति करना तथा उन्हें प्राधिकृत करना, जैसा आधार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है;

- इस अधिनियम के अंतर्गत इसके कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए परामर्शदाताओं, सलाहकारों एवं अन्य व्यक्तियों, यथा आवश्यक, को ऐसे भत्तों या पारिश्रमिक तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त करना, जैसा अनुबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. संगठनात्मक संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ('प्राधिकरण/यूआईडीएआई') का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली और रांची में स्थित अपने आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए कार्य करता है। भाविपप्रा के राज्य स्तर पर 6 कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और तिरूवनन्तपुरम में स्थित हैं। भाविपप्रा के दो डेटा केंद्र - एक हेब्बल (बेंगलुरु) कर्नाटक में तथा दूसरा मानेसर (गुरूग्राम) हरियाणा में स्थित है। भाविपप्रा की संगठनात्मक संरचना को आकृति 1 में दर्शाया गया है।

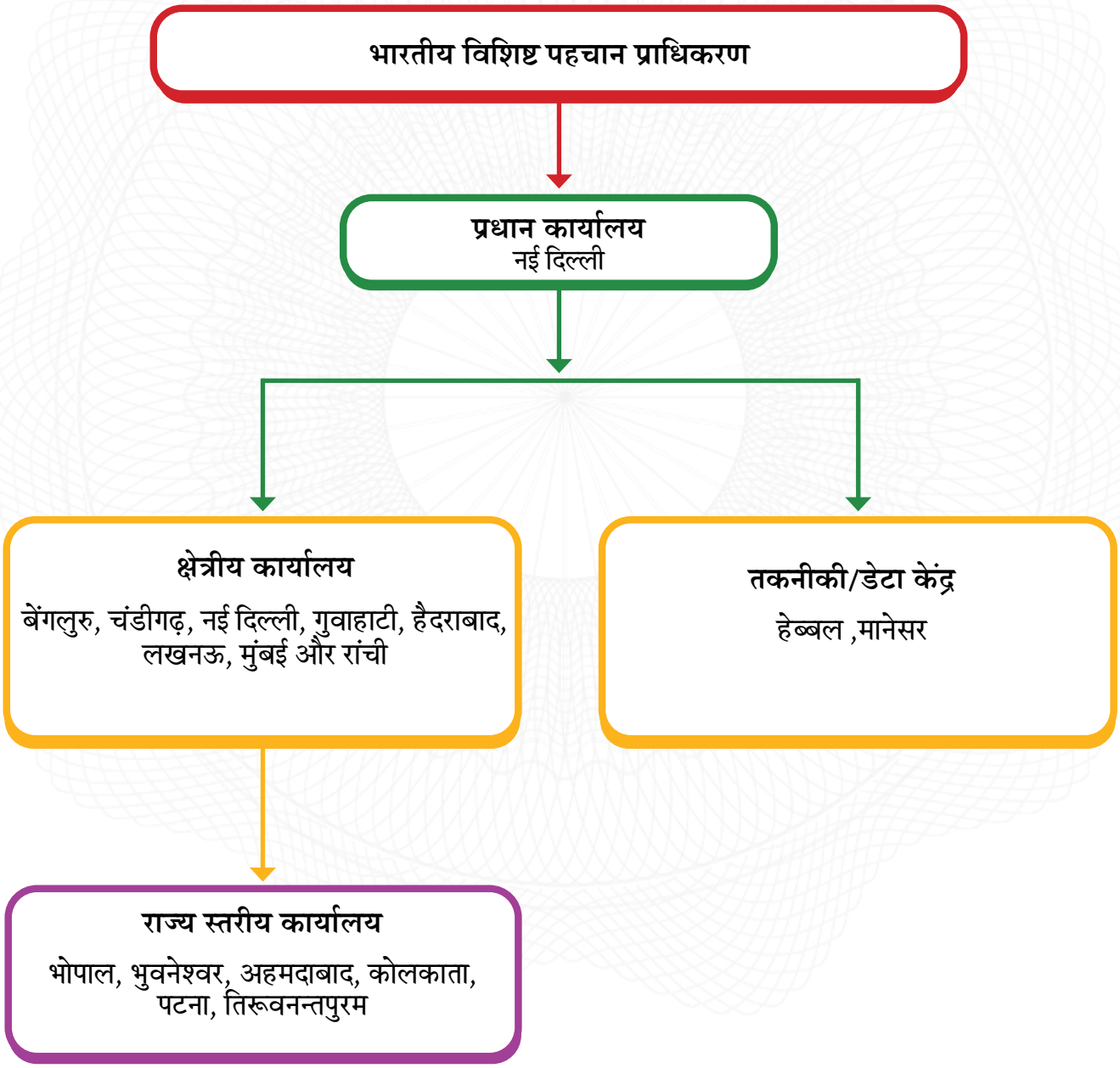

आकृति 1 - संगठनात्मक संरचना

2.1 प्राधिकरण की संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्यों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी हैं, से युक्त है। 31 मार्च 2025 के अनुसार प्राधिकरण की संरचना को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1 - वर्तमान संरचना

क्र.सं.	सदस्य का नाम तथा विवरण	पदनाम
1	**श्री नीलकंठ मिश्रा** मुख्य अर्थशास्त्री, एक्सिस बैंक	**अध्यक्ष (अंशकालिक)**
2	**प्रो. मौसम** प्रोफेसर,कंप्यूटर विज्ञान विभाग, आईआईटी दिल्ली	**सदस्य (अंशकालिक)**
3	**श्री नीलेश शाह** प्रबंध निदेशक, कोटक महिन्द्रा एस्सेट मेनेजमैंट कंपनी लिमिटेड	**सदस्य (अंशकालिक)**
4	**श्री भुवनेश कुमार** आईएएस (यूपी:1995)	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं सदस्य सचिव**

2.2 प्रधान कार्यालय की संरचना

प्रधान कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य-सहयोग के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के रूप में उपमहानिदेशक कार्यरत हैं, जो भाविपप्रा के विभिन्न कार्य-प्रभागों के प्रभारी हैं। उपमहानिदेशकों के साथ कार्य-सहयोग के लिए निदेशक, उपनिदेशक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक अनुभाग अधिकारी नियुक्त हैं। भाविपप्रा प्रधान कार्यालय की संगठनात्मक संरचना को आकृति-2 में दर्शाया गया है।

भा.वि.प.प्रा. प्रधान कार्यालय भवन, नई दिल्ली

ऑर्गेनोग्राम - प्रधान कार्यालय*

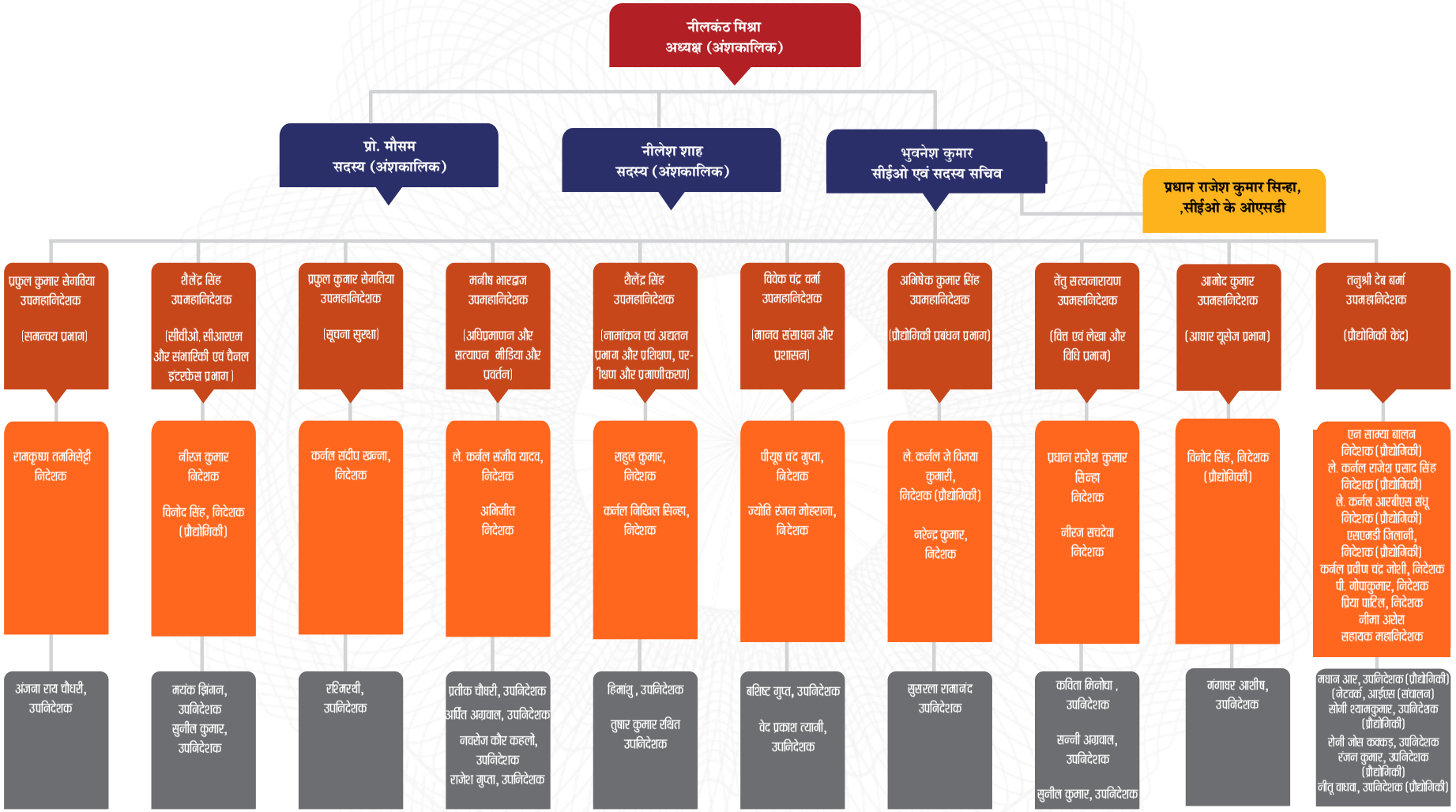

आकृति 2 - भाविपप्रा प्रधान कार्यालय का ऑर्गेनोग्राम

*31 मार्च 2025 के अनुसार

2.3 क्षेत्रीय कार्यालय की संरचना

भाविपप्रा के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में, प्रत्येक का कार्यालय प्रमुख उपमहानिदेशक (डीडीजी) रैंक का अधिकारी है तथा उनके सहायतार्थ निदेशक, उपनिदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार एवं वैयक्तिक स्टाफ कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों का विवरण तालिका-2 में दर्शाया है। राज्य कार्यालयों का उनके अधिकार क्षेत्र के साथ विवरण तालिका 3 में दर्शाया गया है। भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों के ऑर्गेनोग्राम को आकृति - 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2 – **भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना**

क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र
बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु
चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब
नई दिल्ली	मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड
गुवाहाटी	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
हैदराबाद	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना
लखनऊ	उत्तर प्रदेश
मुंबई	दादर व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र
रांची	बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल

तालिका 3 – राज्य स्तरीय कार्यालय और उनके क्षेत्राधिकार

राज्य स्तरीय कार्यालय	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ)	क्षेत्राधिकार
अहमदाबाद	मुंबई	गुजरात
भोपाल	नई दिल्ली	मध्यप्रदेश
भुवनेश्वर	हैदराबाद	ओडिशा
कोलकाता	रांची	पश्चिम बंगाल
पटना	रांची	बिहार
तिरूवनन्तपुरम	बेंगलुरु	केरल

ऑर्गेनोग्राम - क्षेत्रीय कार्यालय*

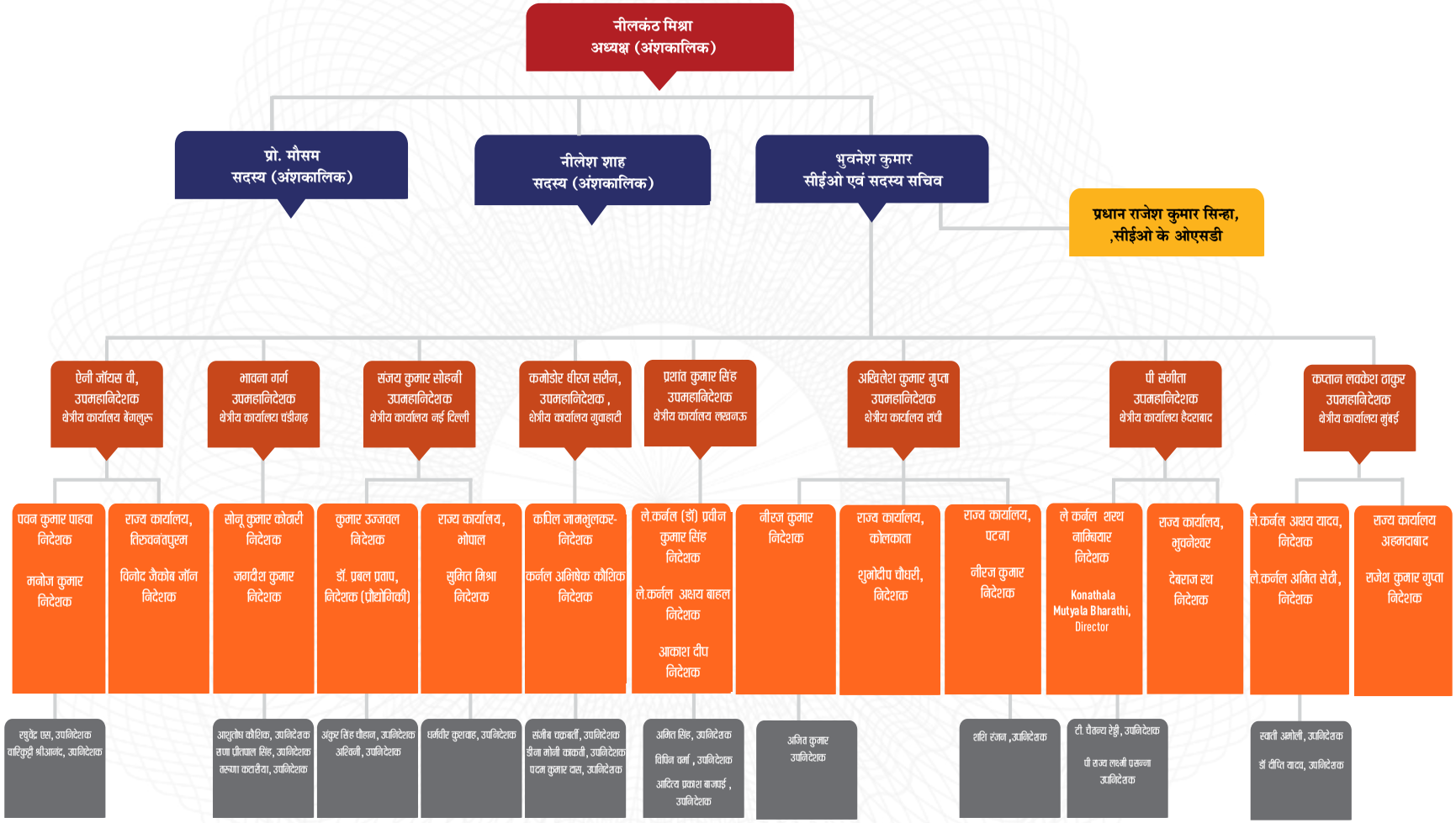

आकृति 3 - भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का ऑर्गेनोग्राम

**31 मार्च 2025 तक के अनुसार*

3. भाविपप्रा की कार्यप्रणाली

3.1 अवलोकन

3.1.1 आधार का उद्देश्य, केवल 'पहचान प्रमाण' से भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाना है। यह 12-अंकीय पहचान संख्या, निवासी को आधार नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करने के उपरांत, जारी की जाती है।

3.1.2 नामांकन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा सृजित आधार नंबर प्राप्त होने पर, वह आधार अधिनियम, 2016 और उनके तहत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रमाणीकरण की विभिन्न विधियों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या ऑफलाइन सत्यापन, जैसा भी मामला हो, के उपयोग द्वारा अपनी पहचान प्रमाणित करने और उसे स्थापित करने के लिए स्वेच्छिक रूप से आधार नंबर का उपयोग कर सकता है, जो आधार नंबर धारक द्वारा विभिन्न सेवाओं, लाभों और सब्सिडी का उपयोग करने पर प्रत्येक बार पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी परेशानी को दूर करता है।

3.1.3 भाविपप्रा अपने संपूर्ण डेटाबेस में उपलब्ध निवासियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विशेषताओं को डी-डुप्लिकेट करने के बाद ही उनको आधार नंबर जारी करता है। आधार प्रमाणीकरण, विभिन्न योजनाओं के तहत दोहराव को समाप्त करने में समर्थ बनाता है और इससे सरकारी कोष में पर्याप्त बचत होने की संभावना है। यह सरकार को लाभार्थियों के प्रत्यक्ष लाभ संबंधी कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में सटीक डेटा भी प्रदान करता है और यह सरकारी विभागों/सेवा प्रदाताओं को विभिन्न योजनाओं का समन्वय करने और उन्हें अनुकूल बनाने में अनुमति प्रदान करता है। आधार कार्यान्वयन एजेंसियों को लाभार्थियों के सत्यापन करने और वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभों तथा सेवाओं का प्रभावी, सुरक्षित और लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

3.1.4 सेवा वितरण तंत्र के बारे में सटीक और पारदर्शी जानकारी प्रदानकर्ता आधार प्लेटफॉर्म के साथ, सरकार वितरण प्रणाली में सुधार कर सकती है और सेवा वितरण नेटवर्क में शामिल मानव संसाधन का बेहतर उपयोग उपयोग करने के साथ-साथ दुर्लभ विकास निधि का इष्टतम उपयोग कर सकती है। इसलिए, प्रभावी और कुशल सेवाओं की उच्च प्रभावकारिता, समावेश और साल भर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसी भी समय और कहीं भी प्रमाणित करने के लिए भाविपप्रा ने कई इकोसिस्टम स्थापित किए हैं और उन्हें आधार नंबर धारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधार अधिनियम और इसके विनियमों के अनुसार संचालित किया है।

3.1.5 आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित विनियम इस प्रकार हैं:

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य संचालन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 2)
- आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 3) [आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का सं.2) द्वारा प्रतिस्थापित]
- आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 का सं. 4)
- आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (2016 का सं. 5)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं.1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 2)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 3)

- आधार (नामांकन और अद्यतन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 5)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का सं. 1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का सं. 2)
- आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 का सं.1) [आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 का सं. 1) द्वारा प्रतिस्थापित]
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का सं. 3)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 का सं. 1)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 (2020 का सं. 2)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (आठवां संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का सं.3)
- आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 का सं.1)
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का सं. 2)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021(2021 का सं. 3)
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का सं.1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (नौवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का सं. 2)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का सं. 3))
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 5)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) अधिनयम, 2022 (2022 की संख्या 6)
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 (2023 की संख्या 1)
- आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (2023 की संख्या 2)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2023
- आधार (नामांकन और अद्यतन) संशोधन विनियम, 2023
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2023
- आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) विनियम, 2023
- आधार (नामांकन और अद्यतन) संशोधन विनियम, 2024
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2024
- आधार (नामांकन और अद्यतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024
- आधार (सूचना की सहभाजिता) संशोधन विनियम, 2024

- आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) संशोधन विनियम, 2024
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2024
- भाविपप्रा के दिनांक 31 जनवरी 2024 की अधिसूचना नंबर एचक्यू-13073/1/2020-अधि.II(ई) के हिंदी संस्करण के लिए शुद्धिपत्र।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2025
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2025

3.1.6 निम्नलिखित भाविपप्रा के ईकोसिस्टम हैं:

- नामांकन और अद्यतन ईकोसिस्टम
- अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम
- संभारिकी ईकोसिस्टम
- प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन ईकोसिस्टम
- उपभोक्ता संबंध प्रबंधन

3.2 नामांकन और अद्यतन ईकोसिस्टम

3.2.1 भाविपप्रा का प्राथमिक अधिदेश आधार नामांकन होने के कारण, संगठन का ध्यान नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों के नामांकन पर केंद्रित रहा है। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के अनुसार, आधार नामांकन की प्रक्रिया - विशिष्ट पहचान (यूआईडी) नंबर – नामांकन चाहने वाला व्यक्ति नामांकन केंद्र पर अपनी सूचना नामांकन फॉर्म में भरकर और सहायक दस्तावेजों के साथ नामांकन एजेंसी को प्रस्तुत करता है, जिसमें नामांकन केंद्र पर, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को कैप्चर किया जाता है। नामांकन चाहने वाला व्यक्ति अनुबंध-III में निर्धारित दस्तावेज की सूची के अनुसार पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेजों को भी प्रस्तुत करता है।

3.2.2 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में बैंकों, डाकघरों, सीएससी, आधार सेवा केंद्रों (एएसके), बीएसएनएल और भाविपप्रा के रजिस्ट्रार के रूप में राज्य सरकारों द्वारा 64,253 सक्रिय आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र चलाए जा रहे हैं। केंद्र में, नामांकन ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में विवरण दर्ज करने के बाद, नामांकन चाहने वाले व्यक्ति नामांकन/अद्यतन के लिए ली गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करता है और प्रक्रिया पूरी होने पर नामांकन आईडी युक्त पावती पर्ची प्राप्त करता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नामांकन की सुविधा के लिए 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार लगभग 45,000 बाल नामांकन लाइट क्लाईंट (सीईएलसी) किट सक्रिय किए गए थे। इसके अलावा, आधार नंबर धारक, अपना पता अद्यतन करने और दस्तावेजों को अद्यतित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in का उपयोग भी कर सकते हैं।

3.2.3 नामांकन या अद्यतन के लिए ली गई जानकारी को भाविपप्रा के डेटा केंद्रों में संसाधित किया जाता है और क्रमशः आधार या इसका अद्यतन संस्करण को सृजित किया जाता है। भाविपप्रा ने 31 मार्च 2025 तक, 141.80 करोड़ से अधिक आधार जारी किए हैं। 28 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार का कवरेज 90% से अधिक के संतृप्ति स्तर तक पहुंच गया है, जबकि 6 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में कवरेज 80% और 90% के बीच है। आकृति 4, 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार कवरेज की स्थिति को दशार्ती है।

3.2.4 चूंकि कई राज्य पहले ही आधार संतृप्ति स्तर तक

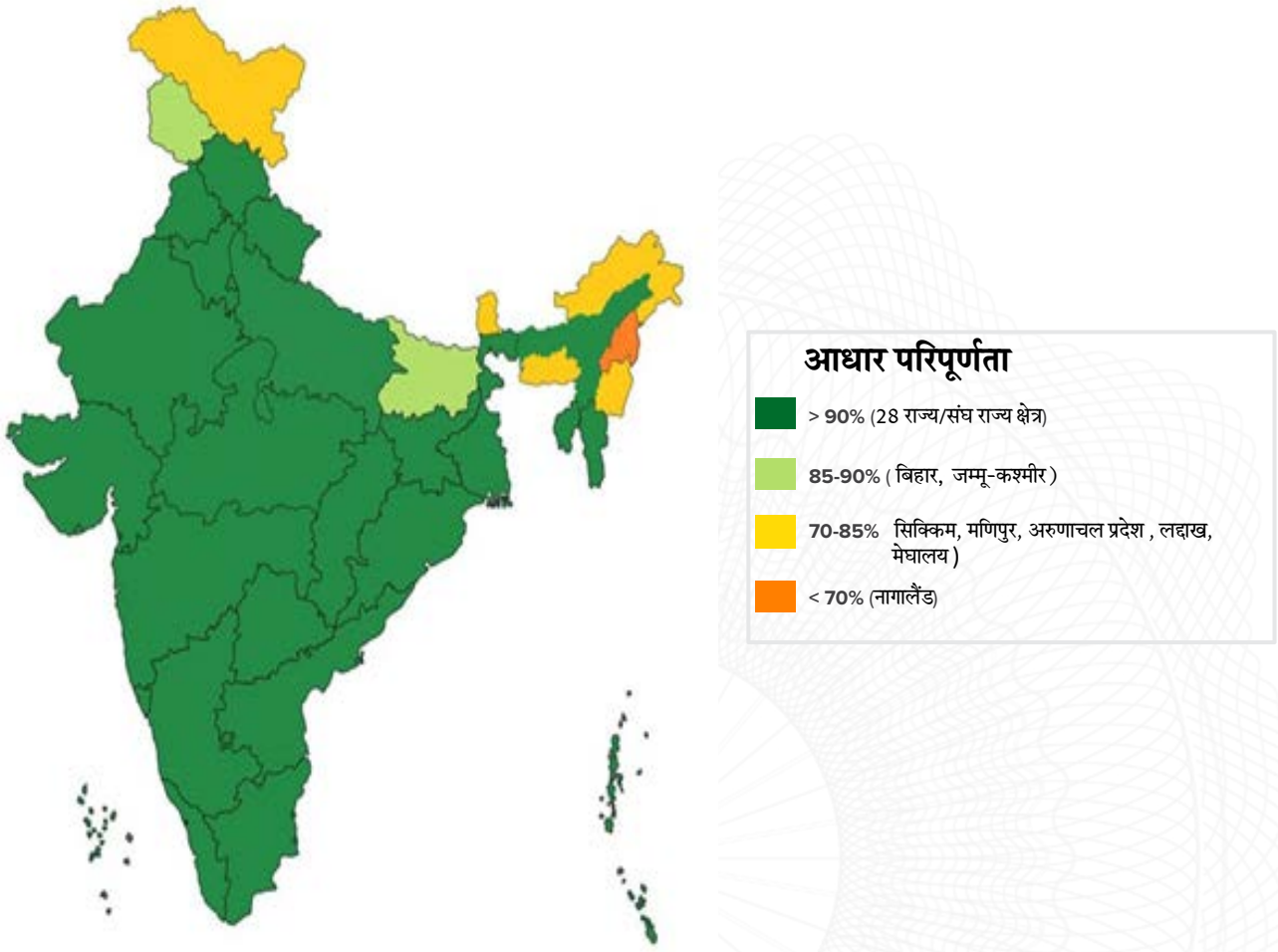

आकृति 4 - राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार संतृप्ति (31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार)

पहुंच चुके हैं, इसलिए काम की मात्रा 'नामांकन' से 'अद्यतन' में स्थानांतरित हो गई है। आने वाले समय में, आधार और इस विशिष्ट पहचान नंबर का लाभ उठाने वाले विभिन्न सेवाओं की सफलता इसके डेटाबेस की अद्यतन स्थिति पर निर्भर करेगी, इस प्रकार आधार की जानकारी को निरंतर अद्यतित बनाए रखना भाविपप्रा का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। आधार नंबर धारक किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर आधार में किसी भी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को अद्यतित करवा सकते हैं।

3.2.5 भाविपप्रा, आधार का लाभ उठाने वाली आधारभूत अवसंरचना और अनुप्रयोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय से कार्य कर रहा है। भाविपप्रा नामांकन गतिविधियों को अधिकतम बनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों को नामांकन किट अधिप्राप्त करने के उद्देश्य से आईसीटी अवसंरचना के लिए सहायता भी प्रदान करता है। तदनुसार, भाविपप्रा परियोजना की शुरूआत से 31 मार्च 2025 तक, 29 राज्यों/7 संघ राज्य-क्षेत्रों/3 विभागों और 2 केंद्रीय मंत्रालयों को 480.83 करोड़ रुपए की राशि की आईसीटी सहायता प्रदान की गई है। यह सहायता उसके अंतर्गत बनाई गई नीति के अनुसार 3 अलग-अलग चरणों में प्रदान की गई थी।

3.3 नामांकन भागीदार

आधार नामांकन और अद्यतन करने के लिए भाविपप्रा के पास एक ईकोसिस्टम विद्यमान है, जिसमें आधार (नामांकन और अद्यतन)

विनियम, 2016 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार निम्नलिखित भागीदार शामिल हैं :

1. **रजिस्ट्रार:** आधार अधिनियम, 2016 के तहत व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण (भाविपप्रा) द्वारा अधिकृत या मान्यताप्राप्त कोई भी संस्था।
2. **नामांकन एजेंसी:** आधार अधिनियम, 2016 के तहत व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक सूचना एकत्र करने के लिए प्राधिकरण या रजिस्ट्रार, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त एजेंसी।
3. **नामांकन केंद्र:** व्यक्तियों का नामांकन करने और उनकी जानकारी को अद्यतन करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा स्थापित एक स्थायी या अस्थायी केंद्र।
4. **प्रचालक:** नामांकन केंद्रों पर नामांकन की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी।
5. **पर्यवेक्षक:** नामांकन केंद्रों के संचालन और प्रबंधन के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी।
6. **सत्यापनकर्ता:** नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कार्मिक।

3.4 नामांकन प्रक्रिया

3.4.1 नामांकन चाहने वाले व्यक्ति के लिए आधार नामांकन प्रक्रिया में नामांकन केंद्र पर जाना, नामांकन फॉर्म भरना, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करना, पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीबी) संबंधी दस्तावेज जमा करना, सूचित सहमति देना और नामांकन पूरा होने के बाद नामांकन आईडी/एसआईडी युक्त पावती पर्ची प्राप्त करना शामिल है।

घर पर बुजुर्ग व्यक्ति का आधार नामांकन

3.4.2 नामांकन फॉर्म में भरे गए नामांकन डेटा को सहायक दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाता है और सिस्टम में अपलोड किया जाता है, जहां डेटा विभिन्न जांच और सत्यापन चरणों से होकर गुजरता है तथा आधार नंबर सृजित किया जाता है।

3.4.3 भाविपप्रा प्रक्रिया अनुलग्नक-III में उल्लिखित पीओआई, पीओए और पीडीबी दस्तावेजों की विस्तृत श्रृंखला को स्वीकार करती है। यदि परिवार के किसी सदस्य के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, तब भी वह आधार के लिए नामांकन कर सकता/सकती है, यदि उसका नाम पारिवारिक पात्रता दस्तावेज में मौजूद है। ऐसे मामले में, पात्रता दस्तावेज में दर्ज परिवार के मुखिया (एचओएफ) को पहले वैध पीओआई, पीओए और पीडीबी दस्तावेजों के साथ खुद को नामांकित करने की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात, परिवार का मुखिया संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज जमा करके परिवार के अन्य सदस्यों का परिचय, आधार नामांकन के लिए कर सकता है। नए नामांकन के लिए केवल माता/पिता/कानूनी संरक्षक ही एचओएफ के रूप में कार्य कर सकते हैं। भाविपप्रा अनुलग्नक - III में उल्लिखित कई दस्तावेजों को संबंध के प्रमाण (पीओआर) के रूप में स्वीकार करता है।

3.4.4 आधार के लिए नामांकन के दौरान, केवल न्यूनतम जनसांख्यिकीय जानकारी, जैसे नाम, लिंग, आवासीय पता, जन्म तिथि (डीओबी) तथा बायोमेट्रिक जानकारी जैसे सभी दस उंगलियों के निशान, दोनों आईरिस और चेहरे की छवि का स्कैन कैप्चर किया जाता है।

3.4.5 इसके अतिरिक्त, आवेदक के पास अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर देने का विकल्प होता है। प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए मोबाइल नंबर के व्यापक उपयोग को ध्यान में रखते हुए, नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों को नामांकन के समय मोबाइल नंबर इंगित करने का सुझाव दिया जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के संबंध में, केवल नाम, लिंग, जन्मतिथि और बच्चे के चेहरे की छवि कैप्चर की जाती है तथा माता-पिता का आधार नंबर कैप्चर किया जाएगा। बच्चे की ओर से प्रमाणीकरण के लिए माता-पिता/कानूनी संरक्षक (एचओएफ) दोनों का आधार नंबर कैप्चर किया जाएगा। हालाँकि, एचओएफ आधारित नामांकन को प्रमाणित करने के लिए माता-पिता/कानूनी संरक्षक में से किसी एक की बायोमेट्रिक दर्ज की जाती है।

3.4.6 संक्षेप में, नामांकन के लिए दो माध्यम मौजूद हैं

दस्तावेज आधारित

पहचान के प्रमाण (पीओआई) का वैध दस्तावेज, पते के प्रमाण (पीओए) का वैध दस्तावेज और जन्मतिथि के प्रमाण (पीडीबी) का दस्तावेज (सत्यापित डीओबी के मामले में) को नामांकन के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

परिवार के मुखिया (एचओएफ) पर आधारित

परिवार का मुखिया (एचओएफ) ऐसे दस्तावेज, जो संबंध का प्रमाण (पीओआर) स्थापित करते हैं, के माध्यम से परिवार के सदस्यों का प्रमाणीकरण करा सकता है।

3.4.7 आधार एक सर्व-समावेशी कार्यक्रम है और इसलिए, भाविपप्रा ने उन व्यक्तियों के नामांकन के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की है, जो किन्हीं कारणों से अपने सभी या कोई बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार, नामांकन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति आधार से वंचित नहीं रहता है।

3.5 आधार नामांकन प्रगति

3.5.1 सितंबर 2010 में पहला आधार सृजित किए जाने के बाद से, आधार नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है और 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार 141.80 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं। आधार की यात्रा और वर्ष-वार प्रगति को ग्राफ 1 में चित्रित किया गया है। संचयी आधार सृजन को ग्राफ 2 में दशार्या गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, माह-वार आधार सृजन डेटा को तालिका 4 में दशार्या गया है।

3.5.2 वयस्क आबादी के बीच आधार की पहुंच संतृप्ति स्तर तक पहुंच गई है और इसलिए, भाविपप्रा का प्राथमिक ध्यान अब 0-5 और 5-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन पर केंद्रित हो गया है। 0-5 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या को कवर करने के लिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को भी शामिल किया गया है। भाविपप्रा ने क्रमशः आंगनवाड़ियों, अस्पतालों और स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), स्वास्थ्य विभाग तथा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ भागीदारी की है।

3.6 आधार डेटा अद्यतन

3.6.1 आधार नंबर एक आजीवन अद्वितीय नंबर है जिसे नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को जारी किया जाता है। किसी आवेदक की बायोमेट्रिक विशेषताओं के अलावा, जनसांख्यिकीय विवरण जैसे आवेदक का नाम, पता, जन्मतिथि (डीओबी), लिंग और मोबाइल नंबर/ईमेल (वैकल्पिक) को

आधार नामांकन शिविर में बालक का नामांकन

ग्राफ 1 – वर्षवार आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2025)

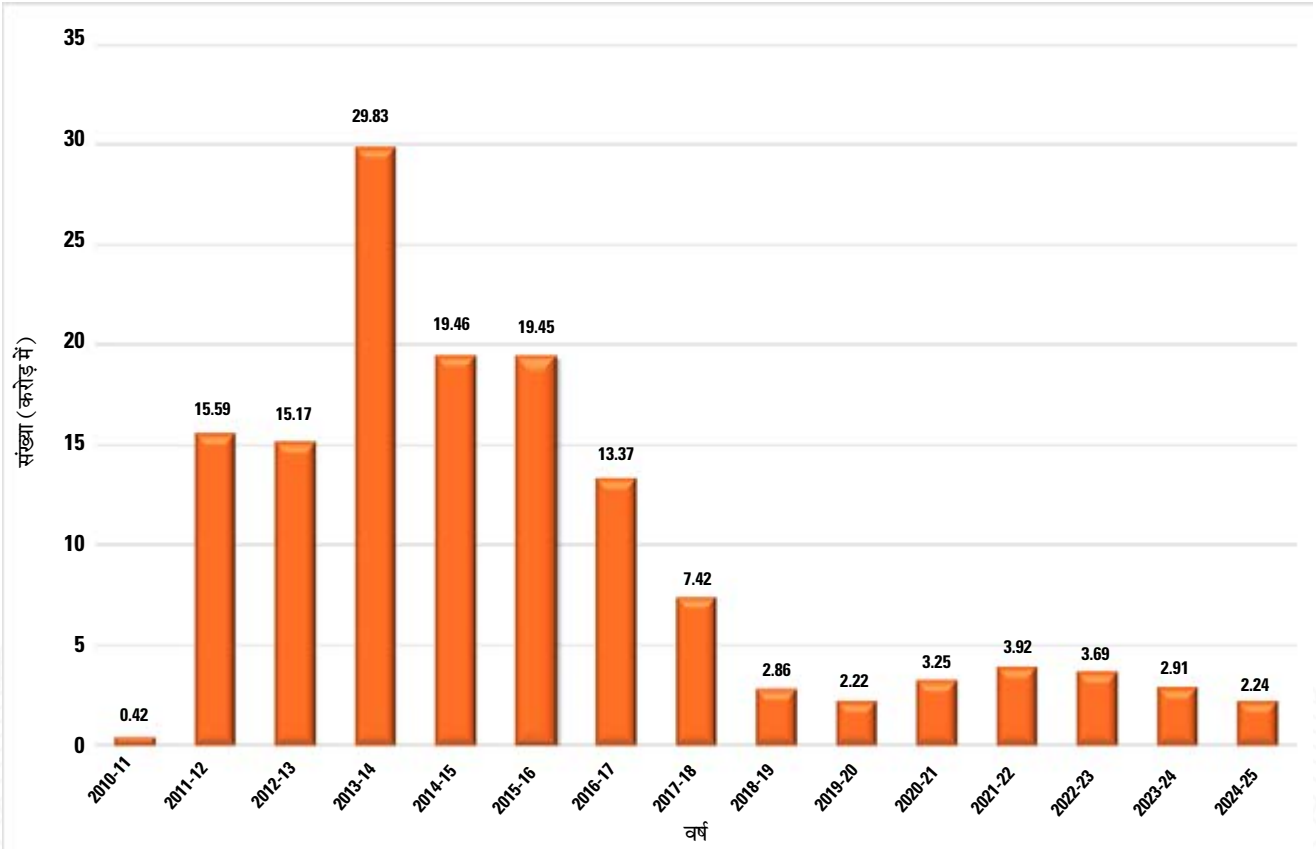

ग्राफ 2 – संचयी आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2025)

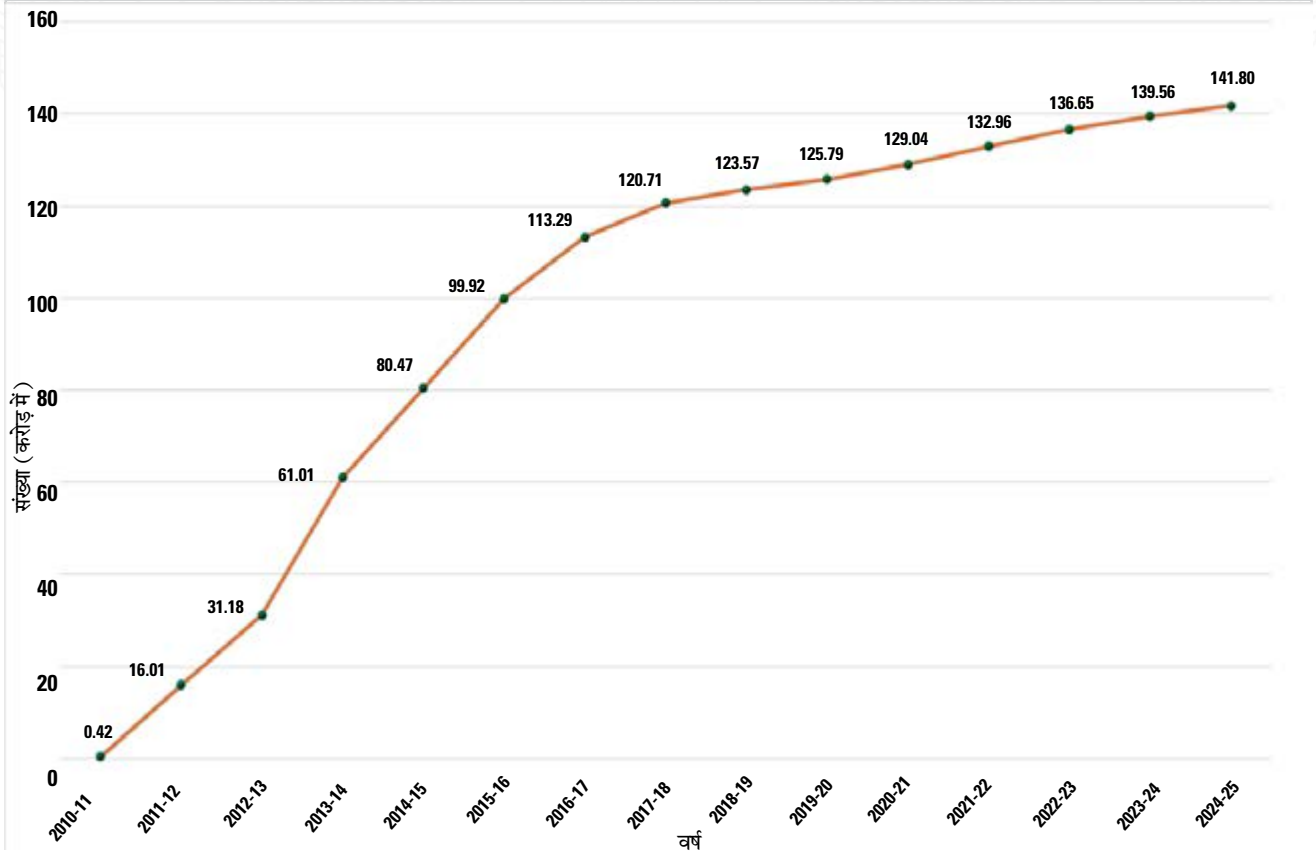

तालिका 4 - माहवार आधार सृजन (2024-25)

माह	माहवार आधार सृजन (लाख में)
अप्रैल 2024	19.80
मई 2024	20.11
जून 2024	14.47
जुलाई 2024	21.41
अगस्त 2024	29.93
सितंबर 2024	23.00
अक्तूबर 2024	6.36
नवंबर 2024	3.42
दिसंबर 2024	17.82
जनवरी 2025	15.18
फरवरी 2025	31.80
मार्च 2025	20.49
कुल	**223.79**

भाविपप्रा के डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है। यद्यपि आधार नंबर धारक के जीवनकाल के दौरान पते, मोबाइल नंबर और विवाह के बाद नाम में परिवर्तन होने के कारण आम तौर पर जनसांख्यिकीय विवरण में, या उम्र बढ़ने/दुर्घटना के कारण बायोमेट्रिक्स में क्षति/बदलाव होने से परिवर्तन होते रहते हैं। 5-7 और 15-17 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों के बायोमेट्रिक का अद्यतन (अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट) करने की आवश्यकता होती है। यह सेवा आधार नंबर धारकों के लिए निःशुल्क है। आधार नंबर धारक के निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन (एमबीयू) करने में असमर्थ रहने पर शुल्क को आधार नंबर धारक द्वारा वहन किया जाएगा तथा बायोमेट्रिक अपडेट के अभाव में आधार को निष्क्रिय किया जा सकता है। तदनुसार, आधार नंबर से जुड़े जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को अद्यतन करने की आवश्यकता रहती है, ताकि डेटाबेस में संग्रहित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित हो और वह प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हो।

3.6.2 भाविपप्रा ने दिनांक 09.11.2022 को राजपत्र अधिसूचना के तहत प्रकाशित आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का संख्यांक 6) के अंतर्गत दस्तावेज अद्यतन के लिए प्रावधान किया है। प्रावधान के अनुसार, आधार धारकों को आधार नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर न्यूनतम एक बार पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज जमा करके आधार में अपने समर्थित दस्तावेजों को अद्यतित कर सकते हैं ताकि केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में उनकी जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

3.6.3 हाल के दिनों में प्राथमिक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार को प्राप्त महत्व को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी कपटपूर्ण नामांकन गतिविधियों के संभावित प्रभाव में मामले बढ़ गये हैं। किसी अनधिकृत व्यक्ति के लिए आधार सृजन के अवसर को कम करने के लिए, नए आधार नामांकन के संबंध में नामांकन ईकोसिस्टम को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि वयस्कों (>18 वर्ष की आयु) के लिए नए आधार के अनुरोध राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को, आधार राज्य सत्यापन पोर्टल के जरिए जनसांख्यिकीय सूचना एवं समर्थित दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजा जाए।

3.6.4 परिवार का मुखिया (एचओएफ) आधारित पता अद्यतन झ नागरिक केंद्रिक सेवा के अंश के रूप में आधार 2.0 विचार-विमर्श के अनुक्रम में, आसानी से पता अद्यतन के लिए भाविपप्रा ने ऐसे व्यक्तियों के पारिवारिक सदस्य का आधार में पता अद्यतन करने का प्रावधान किया है जिनके पास पते के प्रमाण (पीओए) का वैध दस्तावेज नहीं है। एचओएफ प्रमाणीकरण और पता अद्यतन के लिए एचओएफ प्रपत्र के उपयोग द्वारा ऑनलाइन माईआधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) के जरिए किया जा सकता है।

3.6.5 आधार डेटा को अद्यतन करने के संबंध में आधार नंबर धारक के लिए मुख्य तौर पर दो तरीके उपलब्ध हैं:

- **ऑनलाइन (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) पूर्व में स्वयं सेवा अद्यतन पोर्टल (एसएसयूपी पोर्टल) के माध्यम से :** यह एक ऑनलाइन माध्यम है जिसके द्वारा आधार नंबर धारक वैध सहायक दस्तावेजों के साथ अपने पते को अद्यतन

करवा सकता हैं। आधार नंबर धारक जिनके मोबाइल नंबर पहले से आधार में दर्ज हैं, वे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

- **आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्र पर जाकर** : आधार नंबर धारक किसी भी जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक डेटा को अद्यतन करने के लिए नामित बैंक शाखाओं, डाकघरों, एएसके, सीएससी, यूटीआईआईएसएल या अन्य सरकारी कार्यालयों में स्थित 64,253 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्रों में से किसी पर जाकर भी ये सेवाएं ले सकता है। उपरोक्त के अलावा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नामांकन की सुविधा के लिए लगभग 45,000 बाल नामांकन लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) नामांकन किट भी उपलब्ध हैं।

3.6.6 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, भाविपप्रा की स्थापना के बाद से 131.31 करोड़ जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक अद्यतन किए जा चुके हैं। 2012 से वर्षवार आधार अद्यतन को ग्राफ 3 में दर्शाया गया है।

3.6.7 नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों के लिए आधार नामांकन और बच्चों (आधार नंबर धारक) का अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन निःशुल्क किया जाता है। हालांकि, अन्य सेवाओं के लिए आकृति 5 में दर्शाए अनुसार मामूली शुल्क लिया जाता है।

3.7 आधार सेवा केंद्र

3.7.1 भाविपप्रा ने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत देश भर के 72 शहरों में 88 आधार सेवा केंद्र (एएसके) स्थापित किए हैं, ताकि आवेदकों को आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं के संदर्भ में सुरक्षित और पूर्व-अपॉइंटमेंट आधारित सुविधाजनक सेवा प्रदान की जा सके। इन आधार सेवा केंद्रों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये सप्ताह के सभी 7 दिनों में अन्य सुविधाएं प्रदान करने के अलावा उच्च सेवा क्षमता, वातानुकूलित परिवेश, एक से अधिक नामांकन काउंटर, बैठने की उचित व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक टोकन प्रणाली प्रदान कर सकें। सभी आधार सेवा केंद्रों में व्हील-चेयर की सुविधा उपलब्ध है तथा इनमें बुजुर्गों या शारीरिक रूप से अक्षम/ दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करने के लिए यहां विशेष प्रावधान किए गए हैं।

ग्राफ 3 – वर्षवार आधार अद्यतन

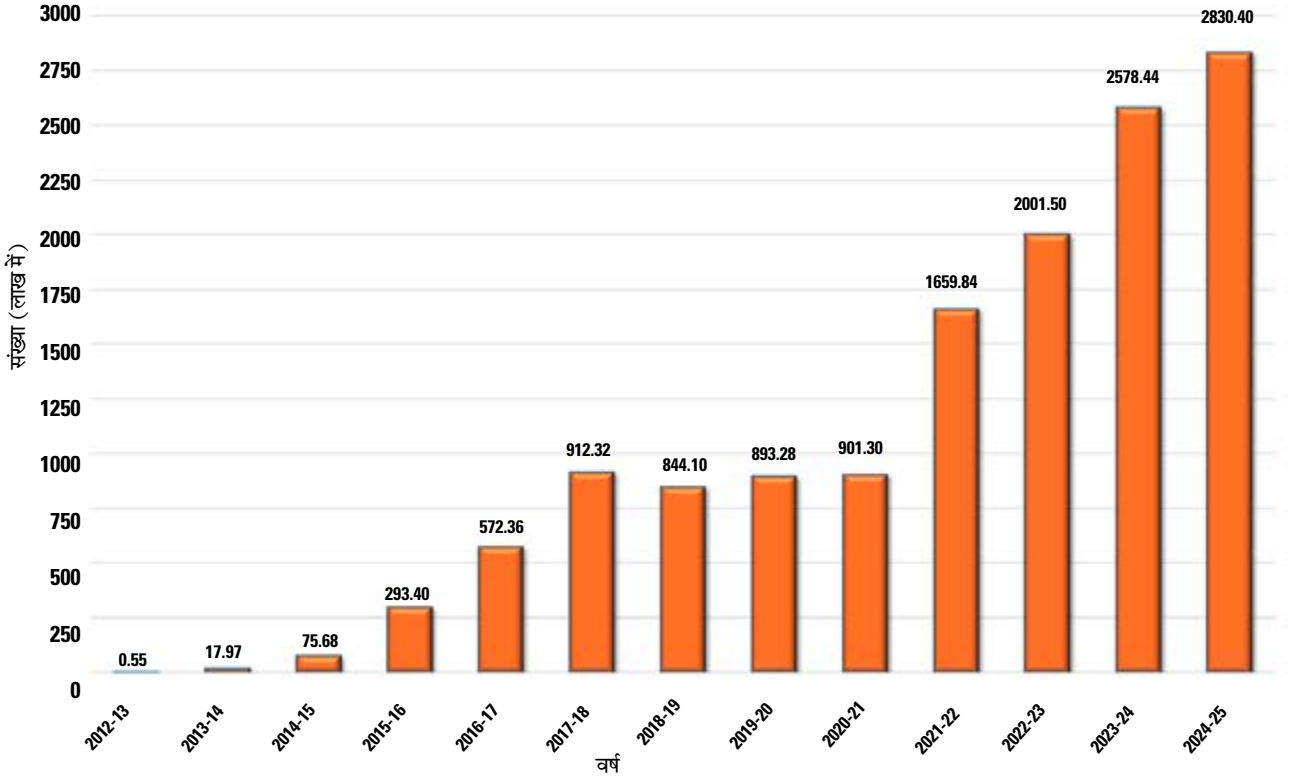

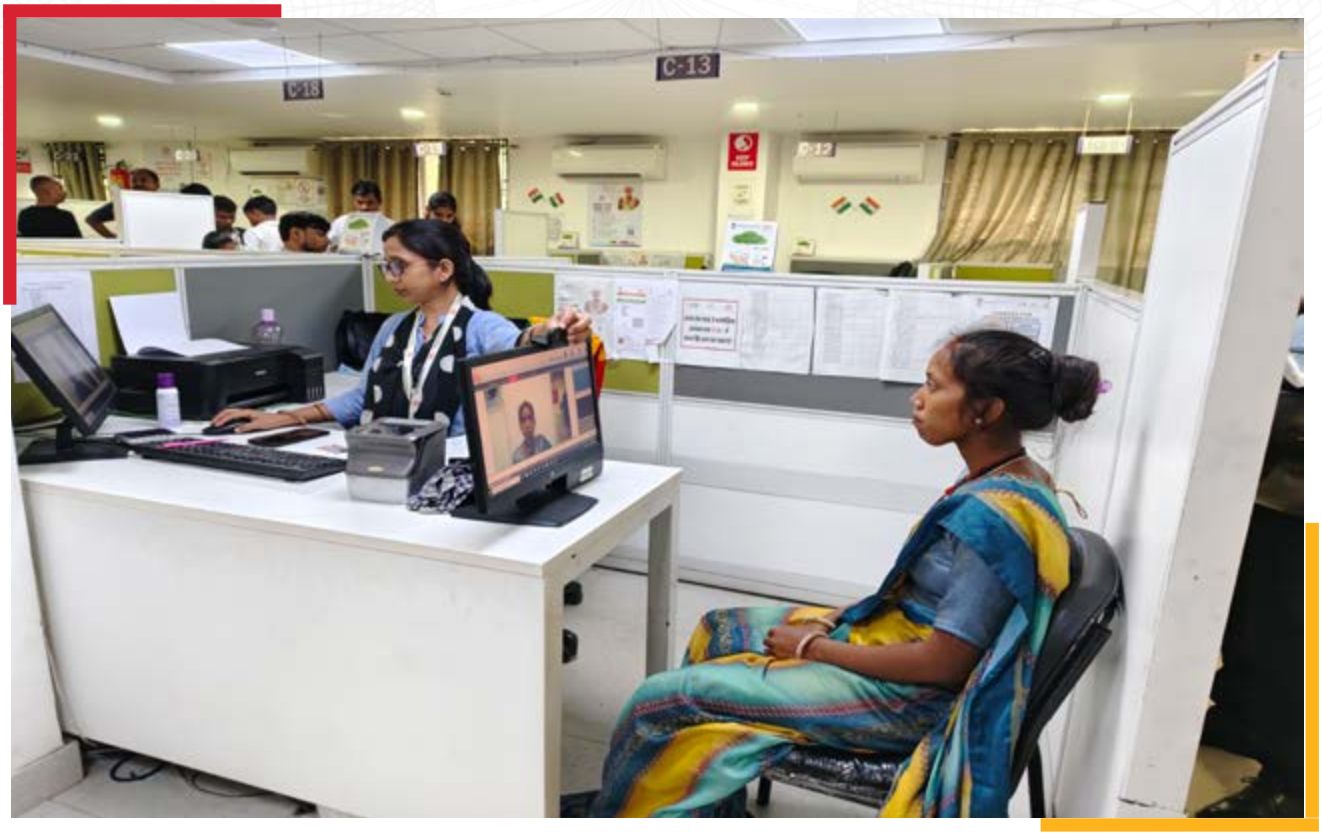

आधार सेवा केंद्र में नामांकन प्रक्रिया

आकृति 5 – विभिन्न आधार सेवाओं के लिए एक व्यक्ति द्वारा संदेय प्रभार (31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार)

3.7.2 देश के 72 शहरों में इन 88 आधार सेवा केंद्रों को स्थापित करने और संचालन करने के लिए भाविपप्रा ने दो सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किया है। अनिवासी भारतीयों सहित नामांकन चाहने वाले व्यक्ति या आधार नंबर धारक निम्नलिखित सेवाओं के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेकर अपनी सुविधानुसार अपने नजदीकी किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं :

- आधार नामांकन
- आधार में किसी जनसांख्यिकीय जानकारी – नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी का अद्यतन करना
- आधार में बायोमेट्रिक डेटा – फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन का अद्यतन करना
- डाउनलोड और प्रिंट आधार सेवाएं

3.8 आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

3.8.1 आधार नंबर धारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, भाविपप्रा ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सुविधा शुरू की है। भाविपप्रा द्वारा संचालित सभी आधार सेवा केंद्र ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम का पालन किया जा रहा है, जिसमें कोई भी आवेदक आधार नामांकन के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है या अपनी पसंद के अनुसार किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र में नामांकन या अद्यतन करा सकता है। एक आवेदक वेबसाइट लिंक https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx के माध्यम से अपने या परिवार के किसी सदस्य के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है।

3.8.2 यह एक निःशुल्क सेवा है जहां आवेदक को आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, कोई भी आवेदक एक मोबाइल नंबर के द्वारा प्रति माह अधिकतम 2 अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है।

3.9 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम

3.9.1 भाविपप्रा जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा के द्वारा ऑनलाइन अधिप्रमाणन सेवा प्रदान करता है। यूआईडी

रांची में आधार सेवा केंद्र

(आधार) नंबर, जो विशिष्ट रूप से किसी आधार नंबर धारक की पहचान करता है, व्यक्तियों को देश भर में सार्वजनिक और/या निजी एजेंसियों को स्पष्ट रूप से अपनी पहचान स्थापित करने का साधन प्रदान करता है। आधार ऑनलाइन अधिप्रमाणन आधार नंबर धारक के आधार नंबर के सत्यापन की अनुमति देता है और पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आधार ने औपचारिक रूप से 7 फरवरी 2012 को फिंगरप्रिंट आधारित ऑनलाइन अधिप्रमाणन, 24 मई 2013 को आईरिस आधारित अधिप्रमाणन, ओटीपी अधिप्रमाणन, ई-केवाईसी सेवाएं और 15 अक्तूबर, 2021 को चेहरा अधिप्रमाणन सेवा शुरू की गई।

3.9.2 तत्पश्चात, विभिन्न योजनाओं जैसे पीडीएस, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां और एलपीजी सब्सिडी आदि को सेवा के लक्षित वितरण के लिए आधार के साथ एकीकृत किया गया। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकार लोक आयोग, परिवार पहचान, विभिन्न चिकित्सा परिषद/स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं और विद्युत बोर्ड सुशासन (समाज कल्याण, नवप्रवर्तन, ज्ञान नियम, 2020) के लिए आधार अधिप्रमाणन के तहत आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। ई-केवाईसी सेवा का उपयोग विभिन्न सरकारी आवेदनों द्वारा किया जा रहा है, जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करना और पैन कार्ड जारी करना। ई-केवाईसी सेवा प्रदाता, आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए पेपरलेस केवाईसी सेवा प्रदान कर सकते हैं और कागज के रखरखाव, उसके भंडारण और जाली दस्तावेजों के जोखिम से बच सकते हैं। चूंकि आधार ई-केवाईसी वास्तविक-समय पर आधारित है, यह सेवा प्रदाताओं को, निवासियों के लिए सेवाओं का तत्काल वितरण करने में समर्थ बनाता है।

3.10 अधिप्रमाणन भागीदार

भाविपप्रा अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए), ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) और अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए) नामक एजेंसियों, जिन्हें आधार (अधिप्रमाणन और सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 12 के अनुसार नियुक्त किया जाता है, के माध्यम से अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाएं प्रदान करता है।

1. **अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए) :** अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी या एयूए से अभिप्राय एक अनुरोधकर्ता संस्था से है, जो प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई हाँ/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करती है। एक एयूए, सुरक्षित प्रोटोकॉल के उपयोग द्वारा एक एएसए (या तो स्वयं एएसए बनकर या किसी मौजूदा एएसए की सेवाएँ लेकर) के माध्यम से भाविपप्रा डेटा सेंटर/केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) से जुड़ा होता है। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, आधार ईकोसिस्टम में 219 एयूए सक्रिय हैं।

2. **ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) :** ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी या केयूए से अभिप्राय ऐसी अनुरोधकर्ता एजेंसी से है जो एयूए होने के अलावा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करती है। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, आधार ईकोसिस्टम में 215 केयूए संस्थाएँ सक्रिय हैं।

3. **अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए):** अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी या एएसए से अभिप्राय लाइसेंस प्राप्त ऐसी संस्था से है जो सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी और संबंधित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अवसरंचना प्रदान करती है, ताकि अनुरोधकर्ता संस्था प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रमाणीकरण सुविधा के उपयोग द्वारा प्रमाणीकरण करने में सक्षम हो सके। ये सीआईडीआर के साथ स्थापित किए गए सुरक्षित कनेक्शन के माध्यम से मध्यवर्ती इकाइयों को समर्थ बनाने की भूमिका निभाती हैं। एएसए एयूए से प्राप्त प्रमाणीकरण अनुरोधों को सीआईडीआर को प्रेषित करती हैं और सीआईडीआर की प्रतिक्रिया को वापस एयूए को भेजती हैं। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार 20 एएसए सक्रिय हैं।

3.11 आधार अधिप्रमाणन सेवाएं

3.11.1 आधार अधिप्रमाणन वह प्रक्रिया है जिसमें आधार नंबर, अन्य विशेषताओं (जनसांख्यिकीय/बायोमेट्रिक्स/ओटीपी) के साथ सत्यापन के लिए भाविपप्रा के केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में प्रस्तुत की जाती है; सीआईडीआर यह सत्यापित करता है कि प्रस्तुत किया गया डेटा सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा से मेल खाता है या नहीं और "हाँ/नहीं" के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। प्रतिक्रिया के अंश के रूप में कोई भी व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी नहीं बताई जाती है। अधिप्रमाणन का उद्देश्य आधार नंबर धारकों को सेवा प्रदाताओं के समक्ष अपनी पहचान स्थापित करने में सक्षम बनाना है, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या वे वही आधार नंबर धारक हैं जिसका 'वे दावा कर रहे हैं" जिससे कि उन्हें सेवाएं और लाभ प्रदान किए जा सकें। आधार ई-केवाईसी एक अन्य प्रकार की अधिप्रमाणन सेवा है जिसमें भाविपप्रा अपने सीआईडीआर में संग्रहीत डेटा के अनुसार इनपुट मापदंडों को अधिप्रमाणित करता है और एन्क्रिप्टेड ई-केवाईसी डेटा के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-केवाईसी अधिप्रमाणन प्रतिक्रिया देता है।

3.11.2 अधिप्रमाणन के प्रकार

प्राधिकरण द्वारा दो प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, अर्थात :

1. **"हाँ/नहीं" अधिप्रमाणन :** "हाँ/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा" से अभिप्राय एक प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधा से है जिसमें पहचान संबंधी सूचना और आधार नंबर को अनुरोधकर्ता संस्था के माध्यम से आधार नंबर धारक की सहमति से सुरक्षित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद इसे सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा के साथ मिलान किया जाता है और प्राधिकरण डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 'हाँ' या 'नहीं' प्रतिक्रिया के साथ अधिप्रमाणन संव्यवहार से संबंधित अन्य तकनीकी विवरण देता है, लेकिन

पहचान संबंधी कोई सूचना नहीं देता है। "हाँ/नहीं" अधिप्रमाणन सुविधा फरवरी 2012 में आरंभ हुई थी। शुरूआत से लेकर 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार अनुरोधकर्ता संस्थाओं द्वारा 12,445.84 करोड़ हाँ/नहीं अधिप्रमाणन किए गए हैं।

वर्षवार और संचयी आधार हाँ/नहीं अधिप्रमाणन संव्यवहारों को तालिका 5, ग्राफ 4 और ग्राफ 5 में दशार्या गया है। इसी प्रकार, 2024-25 के दौरान माह-वार किए गए आधार हाँ/नहीं अधिप्रमाणन संव्यवहार को तालिका 6 में दशार्या गया है।

2. **ई-केवाईसी अधिप्रमाणन** : ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा से अभिप्राय एक प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधा से है जिसमें आधार नंबर धारक की सहमति से एक अनुरोधकर्ता संस्था के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रस्तुत की गई बायोमेट्रिक सूचना और/या ओटीपी तथा आधार नंबर का सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा के साथ मिलान किया जाता है, और प्राधिकरण डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतिक्रिया देता है जिसमें अधिप्रमाणन संव्यवहार से संबंधित अन्य तकनीकी विवरणों के साथ ई-केवाईसी डेटा शामिल होता है। भाविपप्रा ने मई 2013 में ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा शुरू की। शुरूआत से लेकर 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा 2356 करोड़ ई-केवाईसी अधिप्रमाणन किए गए हैं।

वर्षवार और संचयी आधार ई-केवाईसी अधिप्रमाणन संव्यवहारों को तालिका 7, ग्राफ 6 और ग्राफ 7 में दशार्या गया है। इसी प्रकार, 2024-25 के दौरान माह-वार किए गए आधार ई-केवाईसी अधिप्रमाणन संव्यवहार को तालिका 8 में दशार्या गया है।

3.11.3 अधिप्रमाणन के माध्यम: भाविपप्रा अधिप्रमाणन के विभिन्न माध्यम प्रदान करता है, जैसे जनसांख्यिकीय, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरा), ओटीपी और बहु-कारक अधिप्रमाणन। प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणन अनुरोध पर केवल आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के अनुसार अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए अनुरोध और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिदेर्शों के अनुरूप ही विचार किया जाता है। प्रमाणीकरण निम्नलिखित माध्यमों द्वारा किया जा सकता है

1. **जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन:** आधार नंबर और आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय सूचना (उदाहरणार्थ नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, फोन नंबर, ईमेल आदि) का मिलान सीआईडीआर में आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय सूचना से किया जाता है।

2. **वन टाइम पिन (ओटीपी) आधारित अधिप्रमाणन:** प्राधिकरण के साथ पंजीकृत आधार नंबर धारक के मोबाइल नंबर पर सीमित समय की वैधता वाला वन टाइम पिन (ओटीपी) भेजा जाता है, या अन्य उचित माध्यम से सृजित किया जाता है। आधार नंबर धारक अधिप्रमाणन के दौरान अपने आधार नंबर के साथ इस ओटीपी को उपलब्ध कराएगा और इसका भाविपप्रा द्वारा सृजित ओटीपी से मिलान किया जाएगा।

3. **बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन:** आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत आधार नंबर और बायोमेट्रिक सूचना का मिलान सीआईडीआर में संग्रहीत उक्त आधार नंबर धारक की बायोमेट्रिक सूचना से किया जाता है। यह फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरा आधारित अधिप्रमाणन हो सकता है या सीआईडीआर में संग्रहीत बायोमेट्रिक सूचना के आधार पर अन्य बायोमेट्रिक तौर-तरीके हो सकते हैं।

4. **बहु-कारक अधिप्रमाणन:** अधिप्रमाणन के लिए

ग्राफ 4 – वर्षवार हाँ/नहीं आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार

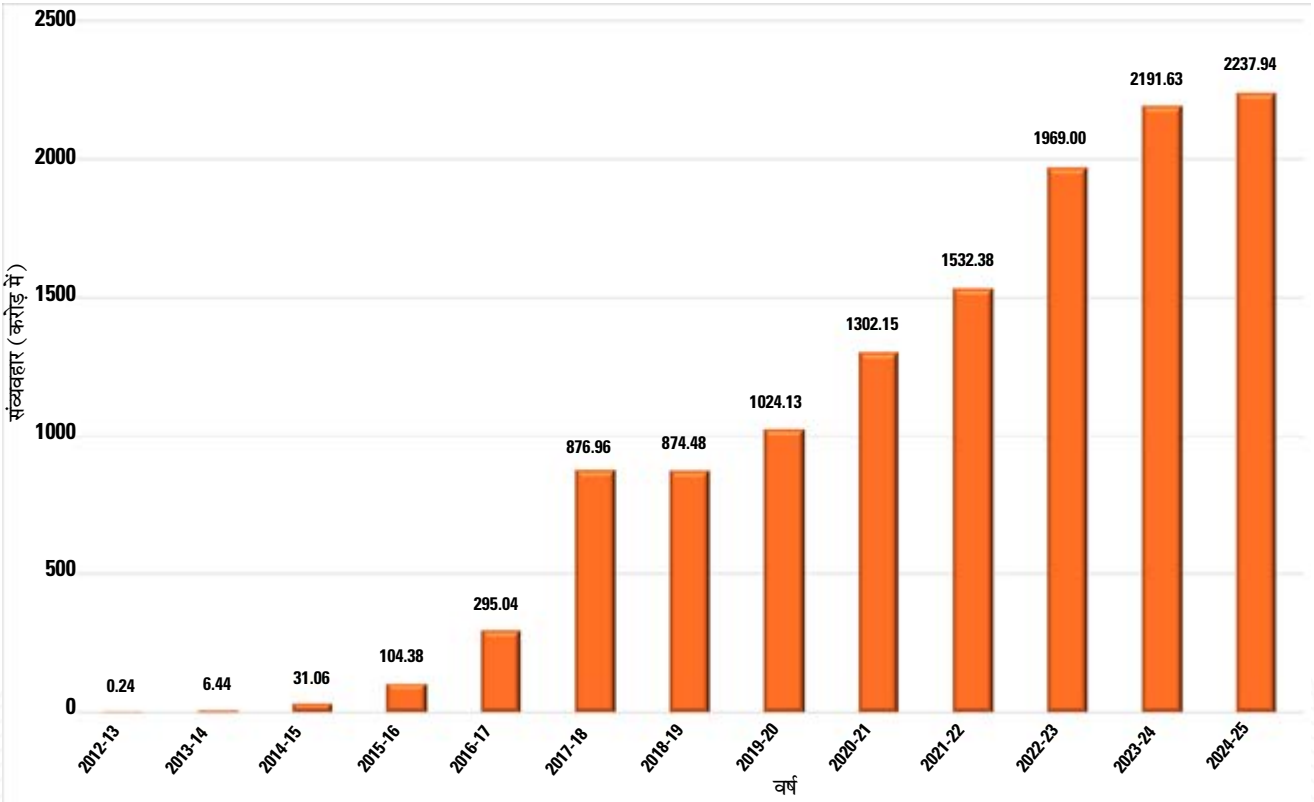

ग्राफ 5 – संचयी हाँ/नहीं आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार

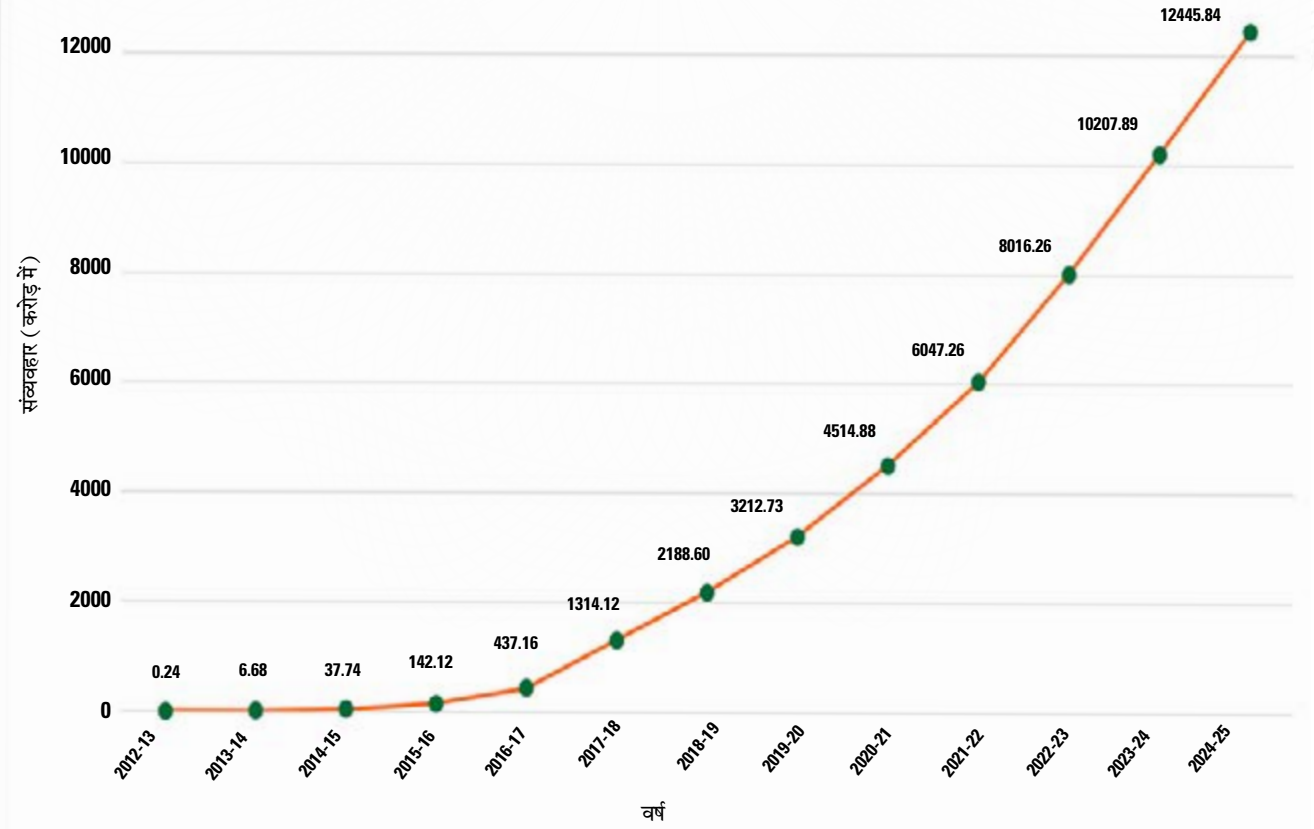

तालिका 5 – वर्षवार और संचयी हाँ/नहीं अधिप्रमाणन संव्यवहार

वर्ष	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2012-13	0.24	0.24
2013-14	6.44	6.68
2014-15	31.06	37.74
2015-16	104.38	142.12
2016-17	295.04	437.16
2017-18	876.96	1,314.12
2018-19	874.48	2,188.6
2019-20	1,024.13	3,212.73
2020-21	1,302.15	4,514.88
2021-22	1,532.38	6,047.26
2022-23	1,969.00	8,016.26
2023-24	2,191.63	10,207.89
2024-25	2237.94	12445.84

तालिका 6 – माहवार हाँ/नहीं अधिप्रमाणन संव्यवहार (2024-25)

माह	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल 2024	167.86
मई 2024	170.82
जून 2024	171.90
जुलाई 2024	172.31
अगस्त 2024	160.96
सितंबर 2024	171.45
अक्तूबर 2024	175.09
नवंबर 2024	174.91
दिसंबर 2024	247.49
जनवरी 2025	241.21
फरवरी 2025	181.83
मार्च 2025	202.11
कुल	**2,237.94**

ग्राफ 6 – वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार

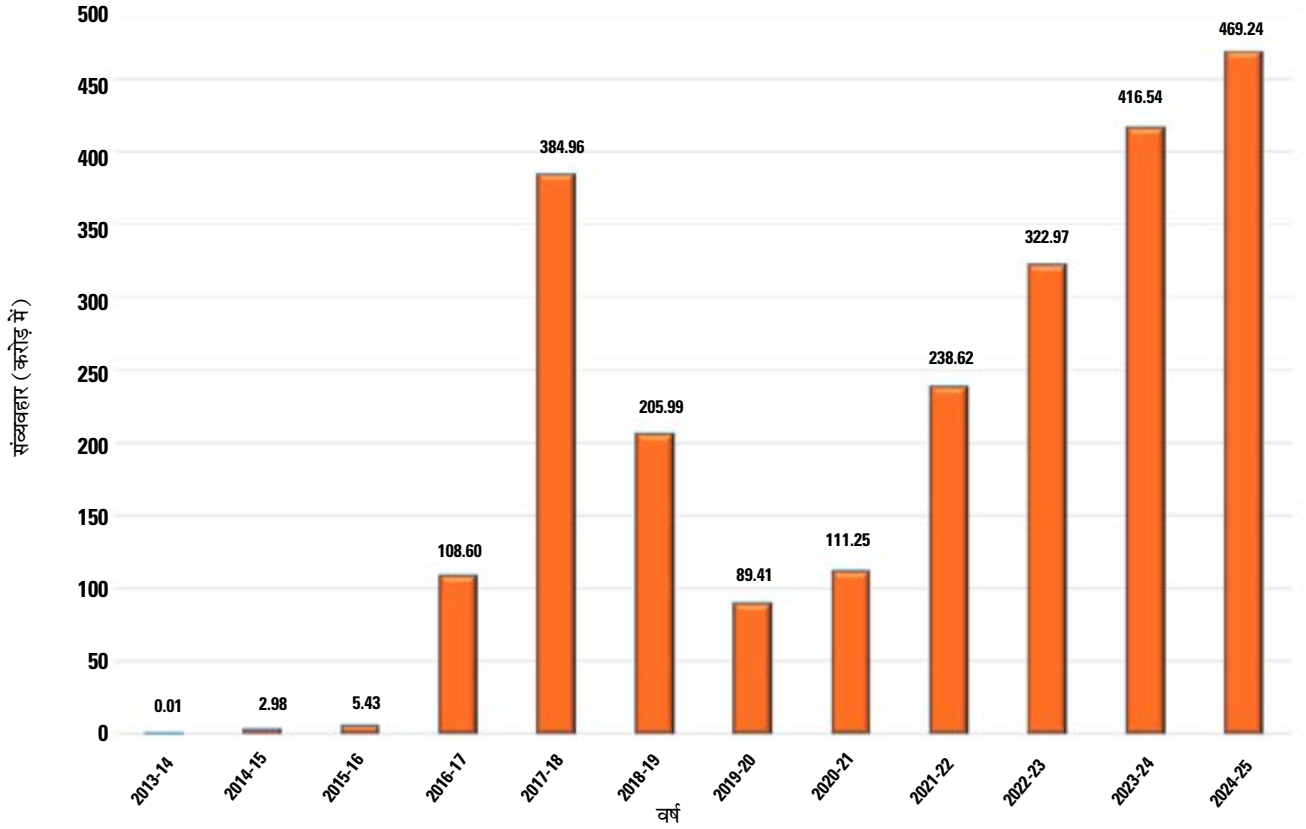

ग्राफ 7 – संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

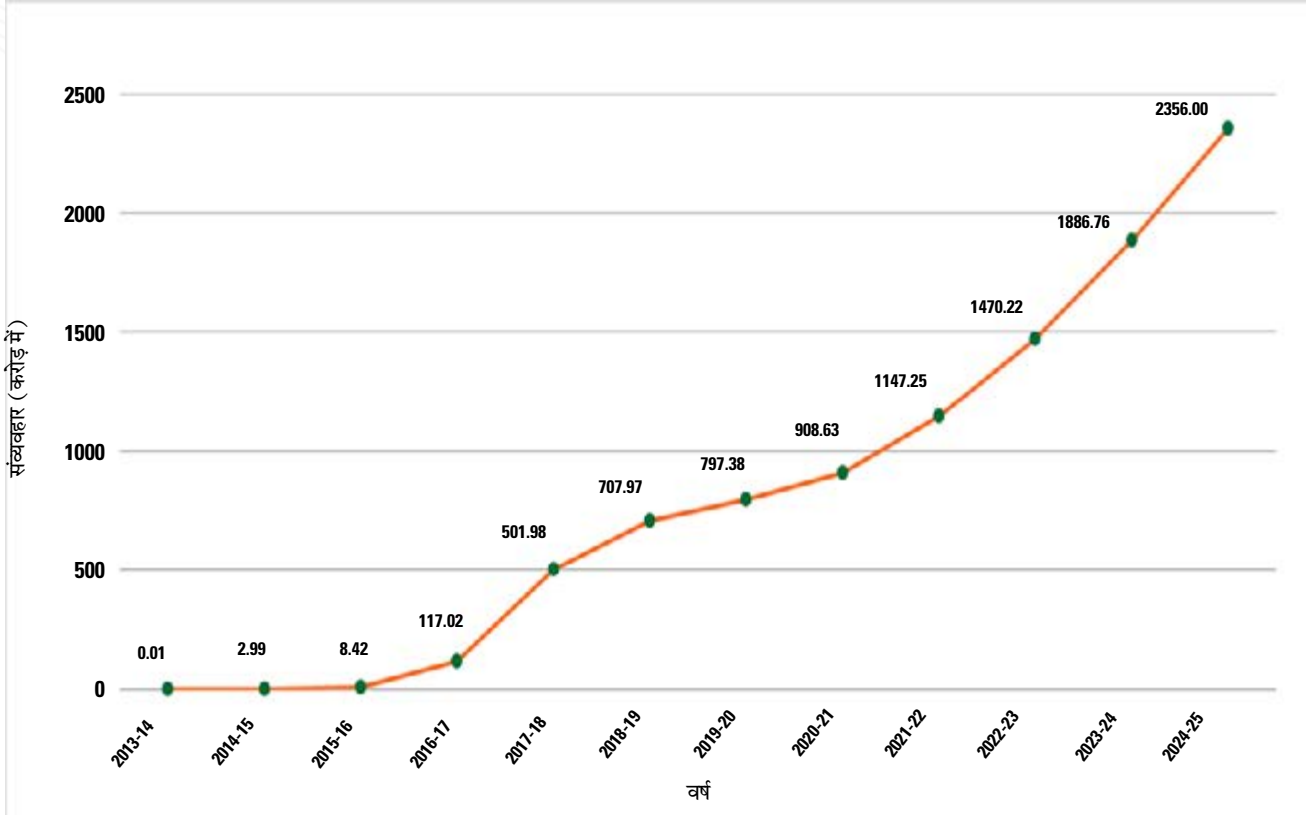

तालिका 7 – वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

वर्ष	ई-केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2013-14	0.01	0.01
2014-15	2.98	2.99
2015-16	5.43	8.42
2016-17	108.60	117.02
2017-18	384.96	501.98
2018-19	205.99	707.97
2019-20	89.41	797.38
2020-21	111.25	908.63
2021-22	238.62	1,147.25
2022-23	322.97	1,470.22
2023-24	416.54	1,886.76
2024-25	469.24	2356.00

तालिका 8 – माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2024-25)

वर्ष	ई-केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल 2024	26.70
मई 2024	30.94
जून 2024	40.89
जुलाई 2024	40.53
अगस्त 2024	39.29
सितंबर 2024	43.93
अक्तूबर 2024	35.26
नवंबर 2024	37.92
दिसंबर 2024	43.26
जनवरी 2025	43.02
फरवरी 2025	42.89
मार्च 2025	44.63
कुल	**469.24**

उल्लिखित माध्यमों में से दो या अधिक संयोजनों का उपयोग किया जा सकता है।

3.11.4 अनुरोधकर्ता संस्था सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार बहु-कारक अधिप्रमाणन सहित किसी विशेष सेवा या व्यावसायिक कार्य/संव्यवहार के लिए यथावर्णित उपलब्ध अन्य माध्यमों में से अधिप्रमाणन के किसी भी उपयुक्त माध्यम का चयन कर सकती है।

3.11.5 अपवाद प्रबंधन: आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 14(1)(i) के अनुसार, सभी अनुरोधकर्ता संस्थाओं द्वारा आधार नंबर धारक के लिए अधिप्रमाणन सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अपवाद-प्रबंधन तंत्र और बैक-अप पहचान अधिप्रमाणन तंत्र को क्रियान्वित करना आवश्यक है।

3.12 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम में प्रमुख विकास

3.12.1 एल1 पंजीकृत उपकरण: डेटा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भाविपप्रा ने सभी बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों (आरडी) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। क्षेत्र में एल0 पंजीकृत उपकरणों के सफल रूपांतरण के बाद, भाविपप्रा ने एम्बेडेड प्री सर्टिफाइड हार्डवेयर (पीसीएच) के साथ एल 1 पंजीकृत प्रमाणीकरण उपकरण शुरू किए हैं। एल1 पंजीकृत उपकरणों में, हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक के एन्क्रिप्शन को विश्वसनीय निष्पादन परिवेश (टीईई) के भीतर कार्यान्वित किया जाता है, जहां मेजबान ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) में निजी कुंजी प्राप्त करने या बायोमेट्रिक्स इंजेक्ट करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं होता है। एल1 पंजीकृत अधिप्रमाणन उपकरणों के लाभ निम्न प्रकार हैं:-

- बॉयोमेट्रिक के हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन को हार्डवेयर स्तर पर विश्वसनीय निष्पादन परिवेश (टीईई) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है।
- टीईई के अंतर्गत निजी कुंजियों का प्रबंधन।
- पीआईडी ब्लॉक अधिक सुरक्षित परिवेश में है।
- पीसीएच (पूर्व-प्रमाणित हार्डवेयर), सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रमाणन/सत्यापन।
- पूर्व-प्रमाणित हार्डवेयर के लिए विशिष्ट पहचान।
- पीआईडी ब्लॉक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं।
- "रिप्ले" विकल्प कम हो गए हैं।
- गणना में कम छेड़छाड़ की जाती है।
- उपकरण केवल-पढ़ने के लिए मेमोरी के साथ एम्बेडेड है।
- चिप स्तर पर अधिक सुरक्षा विशेषताएं।
- बायोमेट्रिक उपकरण की कीमत में मामूली वृद्धि।
- भाविपप्रा में संव्यवहार संचालन क्षमता वही रहेगी।

पांच फिंगरप्रिंट एल1 उपकरणों को प्रमाणित किया गया है। अन्य उपकरण प्रमाणन की प्रक्रिया में हैं। एल1 पंजीकृत प्रमाणीकरण उपकरणों को अक्तूबर 2022 में आधार प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम में रोल आऊट किया गया है।

3.12.2 फिंगरप्रिंट इमेज रिकार्ड (एफआईआर) – फिंगरप्रिंट मिनुतिया रिकार्ड (एफएमआर) एकल पीआईडी ब्लॉक में कार्यान्वयन : आधार प्रमाणीकरण को अधिक सुरक्षित बनाने और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के जीवंतता गुणों को बढ़ाने के लिए, भाविपप्रा ने सिंगल पीआईडी ब्लॉक (व्यक्तिगत पहचान ब्लॉक) में एफआईआर-एफएमआर की सुविधा शुरू की है। सिंगल पीआईडी ब्लॉक अवधारणा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, आधार सक्षम भुगतान प्रणालियों और आधार नंबर धारकों के लिए अन्य आधार अनुप्रयोगों में धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को खत्म करना और प्रमाणीकरण को अधिक सुरक्षित और लाइवनेस डिटेक्शन को कुशल बनाना है। प्रमाणीकरण एपीआई में सिंगल पीआईडी ब्लॉक में एफएमआर (फिंगर मिनुतिया रिकॉर्ड) - एफआईआर (फिंगर इमेज रिकॉर्ड) का उपयोग करके फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण अनुरोध भेजने का प्रावधान है। वर्तमान में सभी संस्थाएं मुख्य रूप से फिंगरप्रिंट आधारित आधार प्रमाणीकरण के लिए एफएमआर का उपयोग कर रही थीं और कुछ केवल एफआईआर का उपयोग कर रही थी। वर्तमान में प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम में सभी एयूए/केयूए 28.02.2023 तक पूरी तरह स्थानांतरित हो गई हैं। सभी

फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण संव्यवहार अब एफएमआर-एफआईआर सिंगल पीआईडी कैप्चर विधि में निष्पादित किए जाते हैं।

3.12.3 चेहरा प्रमाणीकरण : भाविपप्रा ने 15 अक्तूबर 2021 को चेहरा प्रमाणीकरण (फेस ऑथेंटिकेशन) विधि की शुरूआत की, जिसके द्वारा आधार नंबर धारक की पहचान को आधार प्रमाणीकरण के साथ सत्यापित किया जा सकता है। चेहरा प्रमाणीकरण की सफलता से यह पुष्टि होती है कि सत्यापन के लिए स्कैन किया जा रहा आपका भौतिक चेहरा उसी चेहरे से मेल खाता है जिसे नामांकन के समय आपका आधार नंबर सृजित करने के दौरान कैप्चर किया गया था। चेहरे का सफल प्रमाणीकरण यह पुष्टि करता है कि आप वही हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं। चेहरा प्रमाणीकरण आरडी ऐप एक टचलेस एप्लिकेशन है जो आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए) एप्लिकेशन को कैप्चर की गई चेहरे की छवि के जरिए जीवंतता की पुष्टि उपरांत आधार नंबर धारक को प्रमाणित करने की सुविधा देता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) द्वारा आंतरिक रूप से विकसित एआई/एमएल आधारित चेहरा प्रमाणीकरण समाधान का उपयोग अब 105 संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के विभाग, केंद्र सरकार के मंत्रालय, दूरसंचार, बैंक और एनबीएफसी शामिल हैं, जिनके द्वारा प्रारंभ से लेकर 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार चेहरा प्रमाणीकरण संव्यवहार की कुल संख्या 130.31 करोड़ है। वर्षवार के साथ साथ संचयी आधार चेहरा अधिप्रमाणन संव्यवहार तालिका 9, ग्राफ 8 और ग्राफ 9 में दशार्या गया है।

चेहरा अधिप्रमाणन को अब सुशासन, सामाजिक कल्याण, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों के लिए बैकबोन के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि चेहरा अधिप्रमाणन का उपयोग निम्नलिखित में सहायक है:

- भौतिक दस्तावेजों और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- लाभ के वितरण में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करता है।
- सुनिश्चित करना कि लाभ समयबद्ध ढंग में लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे।
- धोखाधड़ी के दावों और भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करता है।
- लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है

भाविपप्रा की चेहरा अधिप्रमाणन एप्लिकेशन को वर्ष 2023 के लिए नवाचार केंद्र श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के शीर्ष तीन दावेदारों में चुना गया है।

3.12.4 आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी: भाविपप्रा ने बिना अधिप्रमाणन के आधार नंबर धारक की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

1. आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी: "आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी" से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा सृजित एक सुरक्षित डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज है, जिसमें आधार नंबर के अंतिम 4 अंक, जनसंख्यिकीय डेटा जैसे नाम, पता, लिंग, और जन्मतिथि, तथा आधार नंबर धारक का फोटोग्राफ आदि शामिल है।

2. आधार सुरक्षित क्यूआर कोड: आधार सुरक्षित क्यूआर कोड से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया एक त्वरित प्रतिक्रिया कोड है, जिसमें आधार नंबर के अंतिम 4 अंक, जनसंख्यिकीय डेटा जैसे नाम, पता, लिंग, और जन्मतिथि, तथा आधार नंबर धारक का फोटोग्राफ

तालिका 9 - वर्षवार और संचयी चेहरा अधिप्रमाणन संव्यवहार

वर्ष	वार्षिक संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2021-22	0.017	0.017
2022-23	4.47	4.49
2023-24	23.50	27.99
2024-25	102.31	130.31

ग्राफ 8 - वर्षवार चेहरा अधिप्रमाणन

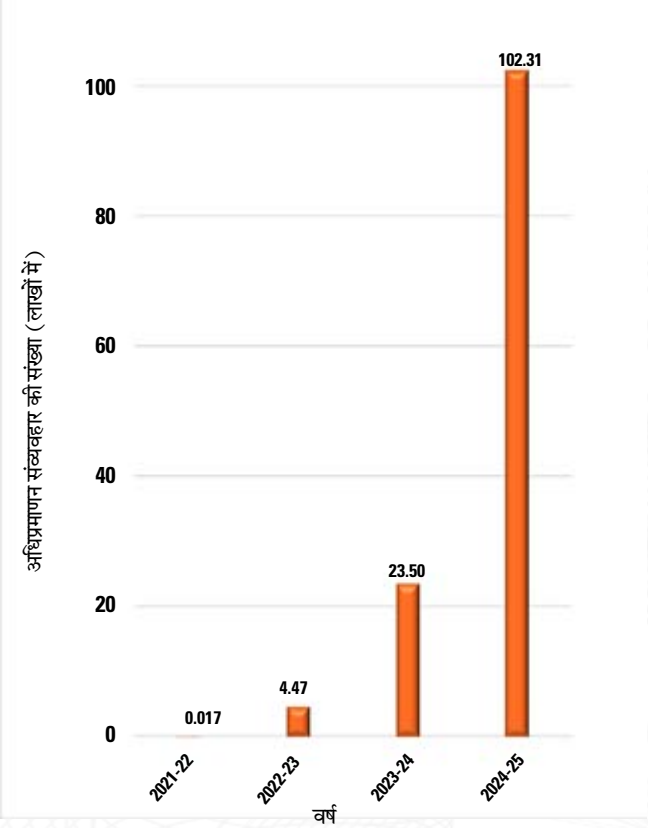

ग्राफ 9 - संचयी चेहरा अधिप्रमाणन

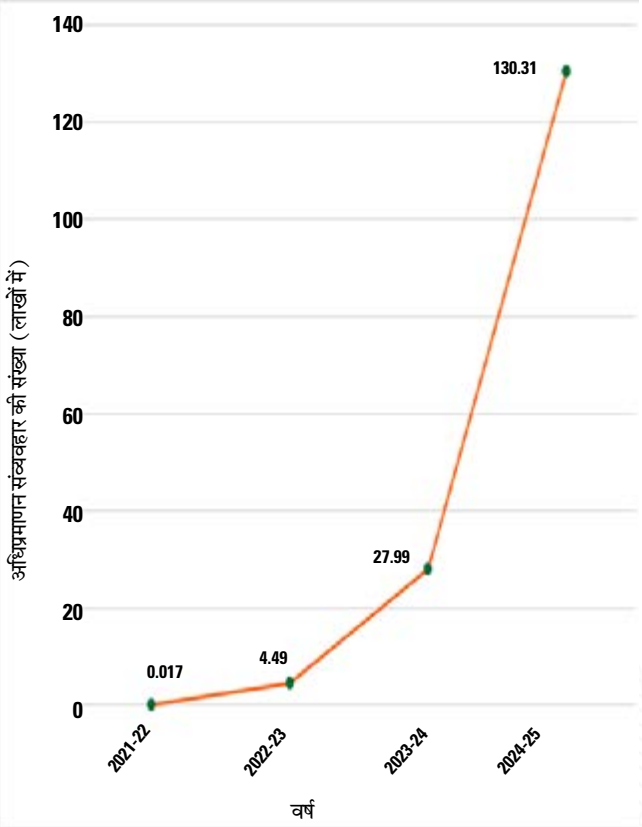

आदि डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित डेटा शामिल है। यह नया डिजिटल हस्ताक्षरित क्यूआर कोड ई-आधार, आधार पत्र और एम-आधार पर उपलब्ध है। आधार सुरक्षित क्यूआर कोड को एंड्रॉयड/आईओएस/विंडोज रीडर एप्लिकेशन या क्यूआर कोड स्कैनर उपकरणों का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है।

3.12.5 आधार लॉक/अनलॉक: आधार की सुरक्षा और अधिक बढ़ाने के लिए, भाविपप्रा ने आधार को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा आरंभ की है, जो आधार धारक को अपने आधार को 'लॉक' या 'अनलॉक' करने का विकल्प प्रदान करती है। आधार लॉक होने की स्थिति में, अनुरोधकर्ता संस्थाएं आधार का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणन (बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय/ओटीपी) नहीं कर सकेंगी। तथापि, अनुरोधकर्ता संस्थाएं लॉक किए गए आधार की वर्चुअल आईडी का उपयोग करके अधिप्रमाणन करने में सक्षम होंगी। आधार धारक भाविपप्रा की वेबसाइट, एसएमएस और एम-आधार मोबाइल एप्लिकेशन जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपना आधार लॉक कर सकता है। यूआईडी अनलॉक करने के लिए, आधार धारक के पास 16 अंकों की अद्यतन वर्चुअल आईडी होनी चाहिए। अद्यतन वर्चुअल आईडी को आधार धारक अपने पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के जरिए प्राप्त कर सकता है।

3.12.6 आधार सुरक्षित क्यूआर कोड : आधार सुरक्षित क्यूआर कोड आधार धारक की पहचान के ऑफलाइन सत्यापन के लिए भाविपप्रा द्वारा प्रदान किया गया एक त्वरित प्रतिक्रिया कोड है। आधार सुरक्षित क्यूआर कोड में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जनसांख्यिकीय डेटा अर्थात नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, अप्रत्यक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर, पंजीकृत ई-मेल पता और संदर्भ आईडी (आधार और समय टिकट के अंतिम 4 अंक) शामिल है। यह डिजिटल हस्ताक्षरित क्यूआर कोड ई-आधार, आधार पत्र, आधार पीवीसी कार्ड एवं एंड्रॉयड और ओओएस पर उपलब्ध एम-आधार ऐप पर उपलब्ध है। आधार सुरक्षित क्यूआर कोड को भाविपप्रा द्वारा प्रकाशित एंड्रॉयड/आईओएस/विंडोज रीडर एप्लिकेशन या एमआधार ऐप के माध्यम से स्कैन किया जा सकता है।

3.12.7 आइरिस उपकरणों को बढ़ावा देना: आइरिस उपकरण संपर्क - रहित डिवाइस हैं और अधिप्रमाणन की प्रक्रिया, आधार नंबर धारक के साथ बिना किसी शारीरिक संपर्क के पूर्ण की जा सकती है। आइरिस उपकरणों का प्रयोग महामारी के समय में एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है, यह एक ऐसी संपर्क-रहित अधिप्रमाणन विधि है जिससे आधार नंबर धारक की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और यह उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा, फिंगरप्रिंट उपकरणों की तुलना में आइरिस उपकरणों में अधिप्रमाणन सफलता दर अधिक है। आइरिस डिवाइस सुरक्षित भी है, क्योंकि इसमें किसी भी क्लोन आइरिस का प्रयोग करके फर्जी अधिप्रमाणन करना असंभव है। इन कारकों के फलस्वरूप, भाविपप्रा अनुरोधकर्ता संस्थाओं के मध्य आइरिस उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। भाविपप्रा एसटीक्यूसी के साथ मिलकर विभिन्न फॉर्म फैक्टर में आइरिस उपकरण मॉडल को प्रमाणित करने और उन्हें आरंभ करने की दिशा में काम कर रहा है। आइरिस डिवाइस मॉडल, टैबलेट/पीओएस उपकरणों में पृथक या एकीकृत रूप में उपलब्ध हैं, जो अनुरोधकर्ता संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार आइरिस उपकरण मॉडल चुनने की सुविधा प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 31 मार्च, 2025 तक आइरिस डिवाइस के प्रयोग में लगभग 2.50 लाख की वृद्धि हुई है।.

3.12.8 एसडब्ल्यूआईके नियमों में संशोधन: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान-एसडब्ल्यूआईके) नियम, 2020 में 31.01.2025 से संशोधन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य आधार प्रमाणीकरण के दायरे और उपयोगिता को बढ़ाना है, ताकि सुशासन, सामाजिक कल्याण, नवाचार और ज्ञान प्रसार को और बढ़ावा दिया जा सके, जिससे सेवा वितरण में सुधार के लिए आधार का उपयोग संभव हो सके और इस प्रकार निवासियों के जीवन को सुगम बनाया जा सके और उन्हें विभिन्न सेवाओं की बेहतर ऐक्सेस प्रदान की जा सके। इस संशोधन से लोगों को सरकारी संस्थाओं के अन्यत्र भी अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही ई-कॉमर्स, यात्रा , पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य क्षेत्र आदि की सेवाओं का निर्बाध लाभ लेने में सहायता मिलेगी।

संशोधित नियम में यह है कि, "*4.(I) नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने का इच्छुक भारत सरकार या राज्य सरकार का मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रस्ताव के बारे में औचित्य के साथ एक प्रस्ताव तैयार करेगा जिसके लिए आधार अधिप्रमाणन की मांग की गई है और इसे प्राधिकरण के संदर्भ के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। 4. (II) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट मंत्रालय या विभाग के अलावा भी कोई संस्था, जो आधार अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करने की इच्छुक है, नियम 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्य और राष्ट्र हित में मांगे गए अधिप्रमाणन के संबंध में औचित्य के साथ एक प्रस्ताव तैयार करेगी और उसे यथोचित सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग को प्रस्तुत करेगी।*"

यह संशोधन सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थाओं को जनहित में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवा का लाभ लेने में सक्षम बनाता है, ताकि नवाचार को बढ़ावा देने, ज्ञान का प्रसार करने, निवासियों के जीवन को सुगम बनाने और उनके लिए सेवाओं की बेहतर ऐक्सेस सुनिश्चित करने जैसे विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इससे सेवा प्रदाताओं और सेवा चाहने वाले, दोनों को भरोसेमंद संव्यवहार करने में सहायता मिलेगी।

3.13 संभारिकी एवं सीआई ईकोसिस्टम

भाविपप्रा के संभारिकी एवं सीआई प्रभाग को आधार धारकों के आधार पत्रों के मुद्रण और वितरण का काम सौंपा गया है। नए नामांकन, जनसांख्यिकीय अद्यतन (मोबाइल और ईमेल को छोड़कर) और पुनर्मुद्रण के मामले में आधार पत्र मुद्रण उपरांत आधार धारकों को भेजे जाते हैं। भाविपप्रा ने 25 सितंबर, 2020 से एक प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है, जिसका नाम "ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी)" है। यह प्रभाग विभिन्न संबंधित गतिविधियों के लिए सभी कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य व्यावसायिक प्रभागों, आधार ईकोसिस्टम के हितधारकों और भागीदारों के साथ समन्वय करता है। प्रभाग

द्वारा चैनल इंटरफेस (सीआई) घटक माईआधार पोर्टल और माईआधार मोबाइल एप्लिकेशन की यूआई/यूएक्स-संबंधित गतिविधियों पर भी ध्यान रखा जाता है, ताकि निवासियों को एक निर्बाध और उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्राप्त हो सके।

3.14 आधार पत्र मुद्रण और वितरण

3.14.1 एक बार आधार सृजित हो जाने के बाद, इसे मुद्रित किया जाता है और स्वीकार्य समय-सीमा के भीतर आधार नंबर धारक को वितरित किया जाता है। आधार पत्र एक मुद्रित, लैमिनेटेड दस्तावेज होता है जिसमें फोटोग्राफ, आधार धारक की जनसांख्यिकीय सूचना, आधार नंबर और सुरक्षित (क्यूआर) कोड होता है, जिसमें ऑफलाइन सत्यापन के लिए भाविपप्रा के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय विवरण शामिल होता है।

3.14.2 आधार पत्र हिंदी, अंग्रेजी और 11 स्थानीय भाषाओं सहित 13 विभिन्न भाषाओं में मुद्रित होता है। आधार डेटाबेस में पंजीकृत पते पर आधार धारकों को आधार पत्रों के वितरण के लिए डाक विभाग भाविपप्रा का वितरण भागीदार है। स्थापना के बाद से, 31 मार्च 2025 तक भारतीय डाक द्वारा प्रथम श्रेणी डिजिटली फ्रैंक किए गए लेखों के रूप में 140.09 करोड़ नए आधार पत्र मुद्रित और भेजे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 तक भारतीय डाक के जरिए प्रथम श्रेणी डिजिटली फ्रैंक्ड आर्टिकल के रूप में विभिन्न आधार धारकों को 82.02 करोड़ अद्यतन अनुरोध आधार पत्र (ई-मेल/मोबाइल के अपडेट को छोड़कर) भेजे गए हैं।

3.15 ई-आधार

ई-आधार, आधार का ही एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जिसे माईआधार पोर्टल और एमआधार मोबाइल ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-आधार में भाविपप्रा द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड निहित है, जो स्कैन करने पर आधार धारक की तस्वीर और जनसांख्यिकीय विवरण प्रदर्शित करता है। आधार धारकों के विवरणों को क्यूआर कोड और ऑफलाइन एक्सएमएल की सहायता से स्थापित ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रक्रिया या ऑफलाइन सत्यापन सुविधा के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। इसलिए, पहचान के वैध प्रमाण के रूप में ई-आधार स्वीकार्य है। 31 मार्च 2025 तक कुल 276.19 करोड़ ई-आधार डाउनलोड किए गए हैं।

3.16 आर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा

3.16.1 भाविपप्रा ने 25 सितंबर 2020 से ऑनलाइन ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा प्रारंभ की। आधार धारक भाविपप्रा की वेबसाइट www.uidai.gov.in और एंड्रॉयड और आईओएस आधारित स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध एम-आधार ऐप के माध्यम से स्पीड पोस्ट डिलीवरी शुल्क की लागत सहित 50/- का मामूली शुल्क देकर आधार पीवीसी कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आधार धारकों को आधार पीवीसी कार्ड, भाविपप्रा के साथ पंजीकृत उनके पते पर प्रेषित किया जाता है।

3.16.2 आधार पीवीसी कार्ड में क्यूआर कोड, माइक्रो टेक्स्ट, गिलोच पैटर्न, घोस्ट इमेज और होलोग्राम जैसी उन्नत सुरक्षा विशेषताएं मौजूद हैं। आधार पीवीसी कार्ड, आधार पत्र, ई-आधार और एम-आधार; सभी उपयोग के लिए समान रूप से मान्य हैं। इसके अलावा, आधार पीवीसी कार्ड टिकाऊ और रखने में आसान है।

3.16.3 भाविपप्रा ने 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 6.08 करोड़ आधार पीवीसी कार्ड (समुद्री मछुवारों को 13 लाख कार्ड सहित) का मुद्रण और प्रेषण किया है। समुद्री मछुवारों को आधार पीवीसी कार्ड अपेक्षित अनुरोधों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

3.17 प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम

3.17.1 किसी भी कार्यक्रम, विशेषकर भाविपप्रा जैसे व्यापक पैमाने के कार्यक्रम, की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि नामांकन के दौरान एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल दिया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आधार डेटा को कैप्चर करने और उसका प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए, भाविपप्रा ने प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन ईकोसिस्टम को तैयार किया है। इस इकोसिस्टम में "सामग्री विकास एजेंसी" (सीडीए) और "परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी" (टीसीए) शामिल हैं।

3.17.2 आधार नामांकन या अद्यतन के समय एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, भाविपप्रा केवल प्रमाणित ईसीएमपी (एनरोलमेंट क्लाइंट मल्टीपरपस प्लेटफॉर्म) प्रचालकों/पर्यवेक्षकों और चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) प्रचालकों को ही नियुक्त करता है। आधार नामांकन/अद्यतन में शामिल सभी हितधारकों के पर्याप्त और प्रभावी प्रशिक्षण के लिए भाविपप्रा द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाया गया है, जिनमें बृहद प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविरों, और पुनश्चर्या/अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में सुव्यवस्थित नामांकन हुआ है और लगभग 100% नामांकन स्तर प्राप्त किया गया है।

- **मास्टर ट्रेनिंग (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण):** मास्टर ट्रेनिंग प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षकों का एक पूल बनाया जाना सुनिश्चित करता है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने क्षेत्राधिकार में नामांकन प्रचालकों (ईसीएमपी और सीईएलसी) को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होंगे। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक कुल 229 मास्टर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 19,891 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

- **मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण कैम्प :** भाविपप्रा ने नामांकन की गति में कोई व्यवधान न आए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित प्रचालकों/पर्यवेक्षकों का एक बृहद समूह तैयार करने के लिए मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविरों के माध्यम का आयोजन करता है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आधार नामांकन पर कुल 63 मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 4,613 व्यक्तियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया।

- **अभिविन्यास कार्यक्रम :** नवनियुक्त नामांकन कर्मचारियों को नामांकन प्रक्रिया से अच्छी तरह

से परिचित कराने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 216 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 7,963 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

तालिका 10 – प्रदान किए गए प्रशिक्षकों का विवरण (01.04.2024-31.03.2025)

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रतिभागी	सत्रों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	अभिविन्यास कार्यक्रम	नए/नवीन नामांकन स्टाफ	216	7,963
2.	मेगा प्रशिक्षण - एवं प्रमाणीकरण कैंप	सरकारी कार्मिक जिन्हें नामांकन स्टाफ बनाने के लिए नामित किया गया है	63	4,613
3.	पुनश्चर्या प्रशिक्षण	विद्यमान नामांकन स्टाफ	1,178	55,240
4.	मास्टर प्रशिक्षण	सरकारी कार्मिक एवं नामांकन स्टाफ जिन्हें प्रशिक्षक बनाने के लिए नामित किया गया है।	229	19,891
योग			**1,686**	**87,707**

- **पुनश्चर्या कार्यक्रम :** यह कार्यक्रम सक्रिय/प्रमाणित नामांकन प्रचालकों के ज्ञान को परिपुष्ट करने और प्रक्रिया में नवीनतम नीतिगत परिवर्तनों से उन्हें अवगत कराने के लिए आयोजित किया जाता है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 1,178 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 55,240 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान; 1,00,931 उम्मीदवारों को ईसीएमपी/सीईएलसी प्रचालकों/पर्यवेक्षकों के रूप में प्रमाणित किया गया। इसमें निजी/पीएसयू बैंकों, डाक विभाग, आईपीपीबी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और अन्य विभागों/मंत्रालयों के उम्मीदवार शामिल हैं।

3.17.3 एलएमएस (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) – ई-लर्निंग पोर्टल : भाविपप्रा ने एलएमएस पोर्टल बनाया है और स्व-अध्ययन/पुनश्चर्या एवं अभिविन्यास प्रशिक्षण के लिए अपने ऑपरेटरों को ऐक्सेस प्रदान की है। एलएमएस में भाविपप्रा ईकोसिस्टम प्रचालकों के प्रमाणन, प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण मॉड्यूल है। एलएमएस स्वचालित, वास्तविक समय की अधिसूचनाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों की प्रगति, पाठ्यक्रम पूर्णता, प्रमाणन, उपलब्धियों को मॉनिटर करता है। एलएमएस पोर्टल में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव को ट्रैक करने और मापने की विशेषताएं हैं। यह अनुकूलन योग्य रिपोर्ट और डैशबोर्ड के माध्यम से सीखने का परिज्ञान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जो शिक्षार्थियों की गतिविधि पर मेट्रिक्स प्रदान करता है।

31 मार्च 2025 तक, "नामांकन और अद्यतन" और "अधिप्रमाणन" कार्यों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1,95,686 नए उम्मीदवारों को ई-लर्निंग पोर्टल पर शामिल किया गया है। पोर्टल वर्तमान में केवल सक्रिय ऑपरेटरों के लिए खुला है और यह भाविपप्रा ईकोसिस्टम का एक अंश है।

3.17.4 वार्षिक प्रशिक्षण केलैंडर (एटीसी) : भाविपप्रा ने नामांकन एवं अद्यतन तथा प्रमाणीकरण ऑपरेटरों के बीच आधार ईकोसिस्टम से संबंधित ज्ञान का प्रसार करने के लिए विभिन्न हितधारकों के परामर्श से 'वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर 2024-25'

प्रकाशित किया है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक अखिल भारत में 99 प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं; जिनमें 9,107 आधार ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया गया है।

3.18 ग्राहक संबंध प्रबंधन

ग्राहक संबंध प्रबंधन भाविपप्रा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के खंड 32, अध्याय-VII (शिकायत निवारण तंत्र) में यह विचार किया गया है कि प्राधिकरण (भाविपप्रा) व्यक्तियों के प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीय संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए एक संपर्क केंद्र स्थापित करेगा, जिससे व्यक्ति टोल-फ्री नंबर और/या ईमेल के माध्यम से, जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, संपर्क कर सकते हैं। संपर्क केंद्र निम्नलिखित कार्य करेगा :

- प्रश्नों या शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना और मामले के समाप्त होने तक उसकी आगे निगरानी करने के लिए व्यक्तियों को एक विशिष्ट संदर्भ संख्या प्रदान करना।
- यथासंभव क्षेत्रीय भाषा में सहयोग प्रदान करना।
- व्यक्तियों से प्राप्त उनकी पहचान संबंधी सूचना से जुड़ी किसी भी सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना।

3.19 आधार सहायता सेवाएं - आधार संपर्क केंद्र

3.19.1 इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना।भाविपप्रा ने आधार जीवन चक्र और संबंधित सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों के प्रश्नों और शिकायतों का समाधान करने के सहायतार्थ आधार संपर्क केंद्र या संपर्क केंद्र स्थापित किए हैं। आधार संपर्क केंद्र के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- अखिल भारत स्तर पर एक सुलभ टोल-फ्री नंबर और ईमेल प्रदान करना जिसके उपयोग द्वारा व्यक्ति आधार संपर्क केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

- भारत के सभी क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों और प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करना।
- आधार संपर्क केंद्र पर कॉल करने वाले व्यक्तियों के लिए एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) तंत्र प्रदान करना।
- व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार उन्हें आधार संपर्क केंद्र के कार्यकारी के साथ बातचीत करने के लिए सुविधा प्रदान करना।
- व्यक्ति भाविपप्रा के एमआधार पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- व्यक्तियों के प्रश्नों और शिकायतों के समाधान में सहायता के लिए सामान्य ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) संबंधी एक एप्लिकेशन बनाना और उसका रखरखाव करना।

3.19.2 आधार संपर्क केंद्र की अवसरंचना और प्रौद्योगिकी

वर्तमान में, आधार संपर्क केंद्र में निम्नलिखित शामिल हैः :

- **टोल-फ्री नंबर 1947:** टोल फ्री नंबर '1947' पर पूरे भारत में कहीं से भी बात की जा सकती है। यह शॉर्ट कोड श्रेणी-कका टोल फ्री नंबर है, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा भाविपप्रा को आवंटित किया गया है। इस शॉर्ट कोड का उपयोग अंतगार्मी और निगार्मी एसएमएस सेवाओं के लिए भी किया जाता है।
- **संपर्क केंद्र अवसंरचना:** संपर्क केंद्र अवसंरचना में ट्रंक लाइन, पीबीएक्स सोल्यूशन, आईवीआरएस प्रणाली, स्वचालित कॉल वितरक (कॉल सेंटर सहायकों के मध्य कॉल वितरण के लिए), कंप्यूटर टेलीफोन एकीकरण यूनिट और वॉइस लॉगर सिस्टम (तकनीकी गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए दर्ज 100% कॉल) शामिल हैं। आईवीआरएस कॉल करने वालों के साथ कॉलर के संबंधित राज्य की स्थिति के अनुसार हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में संश्लेषित रिकॉर्ड की गई आवाज के माध्यम से दुतरफा बातचीत करता है। वर्तमान में आईवीआरएस में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, बंगाली,

पंजाबी, ओडिया, तमिल, असमिया और मलयालम हैं। वर्तमान में आईवीआरएस में निम्नलिखित विशेषताएं उपलब्ध हैं :

- बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न।
- 14-अंकीय ईआईडी सर्च पर आधारित आधार नामांकन की स्थिति।
- 14-अंकीय यूआरएन नंबर पर आधारित आधार अद्यतन की स्थिति।
- कॉलर के क्षेत्र पर आधारित आईवीआरएस पर भाषा विकल्प का बौद्धिक चयन।
- पहले ही लॉग की गई शिकायतों की स्थिति।
- अपना आधार नंबर जानें।
- आधार संपर्क केंद्र कार्यकारी को कॉल भेज देना, यदि कॉलर द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है।

3.19.3 कॉल परिमाण : सामान्यतया, भाविपप्रा संपर्क केंद्र में कॉल पैटर्न 1.65-1.80 लाख कॉल/प्रतिदिन और प्रतिदिन 6,000 से 6,500 ईमेल प्राप्त होते हैं। किसी विशेष योजना/लाभ के लिए आधार के उपयोग/लिंकिंग/सीडिंग के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी बड़ी घोषणा के साथ यह मात्रा बदलती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप इस परिमाण में अचानक वृद्धि होती है। अधिक नामांकन, अद्यतन और प्रमाणीकरण तथा केंद्र सरकार की योजनाओं/लाभों के साथ आधार को जोड़ने के कारण इस ट्रैफिक की वर्तमान मात्रा के न्यूनतम 5% (प्रत्येक वर्ष के आधार पर) की वृद्धि होने की संभावना रहती है।

3.20 चैटबॉट सेवाएं

एआई/एमएल आधारित चैटबॉट, जिसे "आधार मित्र" कहा जाता है, व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय है और आधार मित्र पर प्रतिदिन लगभग 60,000 वार्तालाप हो रहे हैं।

नए चैटबॉट में कई नई विशेषताएँ हैं – जैसे आधार नामांकन/अद्यतन स्थिति की जांच, आधार पीवीसी कार्ड को ट्रैक करना, नामांकन केंद्र के जगह की सूचना, इत्यादि। व्यक्ति आधार मित्र के द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज कर उनको ट्रैक कर सकते हैं। "आधार मित्र" हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

4. डेटा सुरक्षा एवं निजता

4.1 डेटा सुरक्षा एवं निजता संरक्षण

4.1.1 भाविपप्रा में एक सुव्यवस्थित, बहु-स्तरीय मजबूत सुरक्षा प्रणाली स्थापित है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जिसे उच्चतम स्तर की डेटा सुरक्षा और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए अपग्रेड किया जाता है। आधार ईको-सिस्टम के आर्किटेक्चर को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रारंभिक डिजाइन से अंतिम चरण तक सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को और मजबूत करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती हैं और भाविपप्रा की समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

4.1.2 आधार में डेटा की गोपनीयता को परम प्राथमिकता दी जाती है, जो इसके मूलभूत आबद्धकारी सिद्धांतों से स्पष्ट है, जिन पर आधार को डिजाइन किया गया है तथा इसे आधार अधिनियम और विनियमों के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से और मजबूत किया गया है। आधार अधिनियम की धारा 29 किसी भी उद्देश्य के लिए कोर बायोमेट्रिक की सहभागिता या प्रकटीकरण पर रोक लगाती है, जिसका उल्लंघन करना अधिनियम की धारा 37 के तहत तीन वर्ष तक की कैद सहित दंडनीय है। केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में अनधिकृत एक्सेस करने के लिए 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान है (धारा 38)। सीआईडीआर में डेटा से छेड़छाड़ के लिए 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान है (धारा 39)। इसके अलावा, भाविपप्रा आईएसओ/आईईसी 27701 प्रमाणित है और सभी गोपनीयता आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

4.1.3 आधार अधिनियम के तहत विनियमों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया है कि नामांकन, अधिप्रमाणन और अन्य संबद्ध गतिविधियों को नियम के अनुसार सख्ती से लागू किया जाए। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन एक सुरक्षित प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया में शामिल सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। इसके अलावा, आधार (अधिप्रमाणन) विनियम 2016 को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि अधिप्रमाणन सुरक्षित परिस्थितियों में किया जाए।

4.2 डिजाइन द्वारा सुरक्षा एवं निजता

4.2.1 आधार की अवसंरचना को आंतरिक रूप से न्यूनतम सूचना, इष्टतम अनभिज्ञता और फेडरेटेड डेटाबेस के तीन मुख्य सिद्धांतों के साथ डेटा सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आधार को स्वाभाविक रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति की जानकारी संबंधी गोपनीयता सुरक्षित रह सके। यह आधार नंबर धारक की सहमति से नामांकन के समय और बाद में अद्यतन के समय न्यूनतम डेटा का संग्रह करने के द्वारा, विशिष्ट पहचान प्रदान करना, बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन के बाद आधार नंबर जारी करना, उक्त पहचान रिकॉर्ड के जीवनचक्र परिवर्तनों का प्रबंध करना और पहचान सत्यापन के लिए आवश्यक विभिन्न ऐप्लिकेशन हेतु पहचान सत्यापन (ऑनलाइन अधिप्रमाणन) करने के संबंध में एक ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रदान करना सुनिश्चित करता है।

4.2.2 इष्टतम अनभिज्ञता के सिद्धांत के अनुपालन में, आधार कभी भी किसी अन्य जानकारी या ऐसा कोई विवरण एकत्र नहीं करता है, जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता के संबंध में चिंता का कारण बन सके। आधार नंबर एक यादृच्छिक संख्या है, जिसमें कोई खुफिया अथवा प्रोफाइलिंग जानकारी शामिल नहीं है। इसके अलावा, आधार अधिनियम 2016 के अनुसार, आधार कार्ड को प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाणीकरण या ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में, यथा विनिर्दिष्ट, सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

4.2.3 आधार का डिजाइन केवल पहचान पर ही आधारित है। एक विशुद्ध पहचान प्लेटफार्म के रूप में आधार प्रणाली का डिजाइन आधार के संभावित दुरुपयोग के भ्रम को दूर करता है, जबकि व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार के उपयोग की अनुमति दी जाती है। यह आधार प्लेटफॉर्म पर बनाए जाने वाले विभिन्न अनुप्रयोगों और उपयोगिताओं को नया रूप देने और उनका उपयोग करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान भी करता है। आधार लिंकिंग के दौरान, संबंधित डेटाबेस, आधार नंबर धारक की स्पष्ट सहमति के साथ केवल आधार आधारित सत्यापन करता है, किंतु तत्पश्चात उक्त डेटाबेस भाविपप्रा अथवा बाह्य एजेंसी के साथ किसी भी जानकारी को साझा नहीं करता है, यहां तक कि भाविपप्रा के पास सत्यापन से संबंधित जानकारी भी नहीं होती है।

4.3 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार नामांकन

4.3.1 भाविपप्रा ने भारत के आधार नंबर धारकों का आधार नामांकन करने के लिए रजिस्ट्रारों एवं अधिकृत नामांकन एजेंसियों के जरिए राष्ट्रव्यापी अवसंरचना स्थापित की है। रजिस्ट्रार मुख्यतः सरकारी विभागों, एजेंसियों, केंद्रीय मंत्रालयों, बैंकों तथा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन से संबद्ध हैं। नामांकन एजेंसियों का चयन एक कड़ी चयन प्रक्रिया से किया जाता है। आधार नंबर धारक का नामांकन, भाविपप्रा प्रमाणित प्रचालक द्वारा भाविपप्रा के सॉफ्टवेयर पर अत्यधिक मजबूत, नियंत्रित, अपरिवर्तनीय एवं सुरक्षित प्रक्रिया से किया जाता है।

4.3.2 पूरे देश में आधार नंबर धारकों को, कड़ी परीक्षा और परीक्षण प्रक्रिया के आधार पर चयनित प्रमाणित ऑपरेटरों के माध्यम से आधार के लिए नामांकित किया जाता है। प्रचालक को पहले अपना आधार नंबर प्राप्त करना होता है और तत्पश्चात उसे अपनी अंगुलियों की छाप तथा आधार नंबर के जरिए प्रत्येक नामांकन को हस्ताक्षरित करना होता है। इस प्रक्रिया से यह पूरा लेखा-जोखा मिल जाता है कि कौन सा नामांकन कब, कहां, किस प्रचालक ने किया तथा उल्लंघन किए जाने के किसी मामले में प्रचालक एवं नामांकन एजेंसी के दायित्व को तत्काल निर्धारित किया जा सकता है। तत्पश्चात, व्यक्ति के एकत्रित बायोमेट्रिक डेटा का मिलान आधार धारकों, जो वर्तमान में 132.96 करोड़ से अधिक हैं, के विद्यमान डेटाबेस से किया जाता है और मिलान न होने पर ही, आधार नंबर सृजित किया जाता है। इतने बड़े पैमाने का बायोमेट्रिक मिलान 24

घंटे के भीतर हो जाता है।

4.3.3 बायोमेट्रिक सहित समस्त नामांकन डेटा को नामांकन के समय 2048 बिट एंक्रिप्शन कुंजी से ही कूटबद्ध कर दिया जाता है। इसके पश्चात कोई भी एजेंसी इसको एक्सेस नहीं कर सकती तथा भाविपप्रा द्वारा भी इसका एक्सेस केवल उपलब्ध सुरक्षित डिक्रिप्शन कुंजी के उपयोग से किया जा सकता है। अभी तक, ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है जिसमें आधार के डेटाबेस से मूल बायोमेट्रिक का अनाधिकृत एक्सेस करने की सूचना प्राप्त हुई हो।

4.4 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार अधिप्रमाणन

4.4.1 आधार अधिप्रमाणन से केवल हाँ/नहीं में प्रयुत्तर प्राप्त होते हैं। यह डेटा निजता को सुरक्षित रखते हुए आधार नंबर धारक के पहचान दावे के एप्लिकेशनों के द्वारा ''सत्यापन'' करा देता है। सुविधा के सुनिश्चयन और साथ ही आधार नंबर धारकों के पहचान डेटा के संरक्षण के लिए 'निजता एवं उद्देश्य' के बीच संतुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बाह्य प्रयोक्ता एजेंसियों की आधार डेटाबेस तक एक्सेस नहीं है।

4.4.2 आधार ई-केवाईसी सेवा, आधार नंबर धारक को अपने आधार जनसांख्यिकीय डेटा के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को साझा करने के लिए भाविपप्रा को अधिकृत करने की अनुमति देती है। आधार ई-केवाईसी के प्रत्येक अनुरोध के लिए, आधार नंबर धारकों के सफल अधिप्रमाणन के बाद ही जनसांख्यिकीय और फोटो डेटा, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जाता है।

4.5 लिंकेज के बिना न्यूनतम डेटा

4.5.1 आधार प्रणाली में देश के प्रत्येक आधार धारक से संबंधित डेटा भाविपप्रा के केंद्रीय रिपॉजिटरी में होता है, अतः इसका डिजाइन न्यूनतम डेटा संग्रहण को ध्यान में रखकर इस प्रकार किया गया है कि इससे केवल पहचान संबंधी क्रियाकलाप (सृजन तथा अधिप्रमाणन) ही किए जा सकें। इस डिजाइन की अवधारणा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है कि भाविपप्रा आधार नंबर धारकों की निजता का सम्मान करता है तथा अपनी प्रणाली में गैर-अनिवार्य डेटा का संयोजन नहीं करता है। आधार उद्देश्य-अज्ञेयवादी है। न्यूनतम डेटा (4 गुण - नाम, पता, लिंग, तथा जन्म तिथि तथा 2 गुण - वैकल्पिक डेटा – मोबाइल एवं ई-मेल) के अलावा इसके केंद्रीय डेटाबेस में आधार का उपयोग करने के संबंध में विद्यमान प्रणाली या ऐप्लिकेशन में कोई संयोजन उपलब्ध नहीं है।

4.5.2 यह न्यूनतम डिजाइन अनिवार्य रूप से डेटा के एक समूह का निमार्ण करता है जिसमें एक केंद्रीकृत मॉडल के अन्यत्र विभिन्न अनुप्रयोगों/प्रणालियों (निवासी डेटा के लिए एक संघीय मॉडल) में निवासी डेटा अंतर्निहित है, जिससे एकल प्रणाली के निवासी और उसके लेनदेन इतिहास का पूरा ज्ञान होने का जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.6 डेटा का कोई एकीकरण नहीं

आधार तंत्र को विभिन्न प्रकार के डेटा का संग्रहण एवं पुल करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और इस प्रकार यह ऐसा एकल केंद्रीय डेटा रिपॉटजिटरी नहीं बन सकता, जिसमें आधार नंबर धारकों के बारे में सभी जानकारी मौजूद हो। इसमें सूचनाओं (जैसे पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पीडीएस कार्ड नंबर, ईपीआईसी नंबर, इत्यादि) का कोई संयोजन किसी अन्य प्रणाली के साथ नहीं होता है। इस डिजाइन ने संव्यवहार डेटा को एक फेडरेटेड मॉडल में विशिष्ट सिस्टम में रहने की अनुमति दी है। इस दृष्टिकोण से आधार नंबर धारक की जानकारी विभिन्न एजेंसियों के स्वामित्व वाली कई प्रणालियों में वितरित रूप में बनी रहेगी।

4.7 इष्टतम अनभिज्ञता

4.7.1 आधार, संव्यवहार विवरण, अधिप्रमाणन उद्देश्य, बैंक खाता संख्या, बैंक विवरण, पसंद या नापसंद, जाति, पारिवारिक संबंध, धर्म, आय, पेशा, संपत्ति, शिक्षा, मोबाइल (संचार प्रयोजनों या आधार नामांकन ओटीपी भेजने के लिए भाविपप्रा के दौरान पंजीकृत एक के अन्यत्र), ऐसा कोई विवरण जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता के संबंध में चिंता का कारण हो जैसे अन्य जानकारी

एकत्र नहीं करता है। आधार, न्यूनतम डेटा संग्रहण और उद्देश्य सीमा जैसे गोपनीयता के सिद्धांतों को अपनाकर, आधार नंबर धारक की सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यहां तक कि जन्म की तारीख या किसी अन्य सूचना जैसे कि प्रशासनिक सीमाओं (राज्य/जिला/तालुक) के उपयोग द्वारा जन्म या निवास का स्थान, आधार नंबर में एम्बेडेड नहीं है। आधार नंबर एक यादृच्छिक संख्या है, जिसमें कोई खुफिया या प्रोफाइलिंग जानकारी अंतर्निहित नहीं है। 12 अंकों की संख्या को अगले कुछ शताब्दियों के लिए आबादी की पहचान की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनाया गया है।

4.7.2 अधिप्रमाणन का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे न तो अधिप्रमाणन का "उद्देश्य" और न ही किसी प्रकार के अन्य संव्यवहार संदर्भों की जानकारी आधार तंत्र को हो पाती है। आधार अधिप्रमाणन तथा इसके प्रचालन मॉडल का निर्माण शून्य-ज्ञान व्यवस्था के रूप में किया गया है तथा यह सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना वैयक्तिक निजता की रक्षा, स्वतः ही संव्यवहार अपरिज्ञानी बन कर करता है। किसी एजेंसी द्वारा आधार नंबर धारक का अधिप्रमाणन करने मात्र से आधार तंत्र को अधिप्रमाणन के उद्देश्य अथवा स्थल की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार, आधार प्रणाली को यह पता नहीं होता कि क्या व्यक्ति एक बैंक कर्मचारी है जो काम पर दैनिक उपस्थिति को चिह्नित करने या खाता संचालित करने या धन हस्तांतरण आदि के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करता है, भाविपप्रा आधार नंबर धारक की पहचान गुप्त बनाए रखता है।

4.8 स्थान की अनभिज्ञता

आधार प्रमाणीकरण प्रणाली में स्थान की जानकारी नहीं होती है, अर्थात आधार प्रमाणीकरण उस स्थान से अंजान होता है, जहाँ से प्रमाणीकरण अनुरोध भेजा जाता है, जिससे आधार नंबर धारक के स्थान की पूर्ण गुमनामी सुनिश्चित करने और उसकी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए आधार संख्या धारक का पता लगाने का जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.9 संघबद्ध डेटा मॉडल तथा एक-मार्गी संयोजन

4.9.1 इसके विशिष्ट डिजाइन के द्वारा यह सिस्टम सभी डोमेन विशिष्ट संव्यवहार डेटा युक्त आधार डेटाबेस को समाप्त कर देता है और इस तरह आधार नंबर धारकों को विशिष्ट संव्यवहार डेटा सामान्य डेटाबेस में केंद्रित रहने की बजाय सभी प्रयोक्ता एजेंसियों के बीच विकेंद्रित रहता है।

4.9.2 यहां यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न तंत्र (आधार नंबर के उपयोग द्वारा) भाविपप्रा से संदर्भित होते हैं, परंतु भाविपप्रा द्वारा ऐसी प्रणालियों के लिए विपरीत संयोजन का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, बैंक खाता खोलते समय, बैंक को आधार नंबर दिया जाता है, परंतु भाविपप्रा, बैंक में धारित किसी डेटा अथवा बैंक खाता संख्या और न ही किसी बैंकिंग लेनदेन तक एक्सेस नहीं कर सकता है। इस प्रकार, आधार सीडिंग एक प्रकार से कड़ी व्यवस्थित एकमार्गीय संयोजन है, जिसमें आधार नंबर का समावेश लाभार्थी के डेटाबेस से किसी प्रकार के डेटा से भाविपप्रा के डेटाबेस में पुलिंग के बिना लेनदेन किया जाता है।

4.10 आधार डेटा की सुरक्षा

4.10.1 भाविपप्रा द्वारा विश्व की अत्यधिक उन्नत एंक्रिप्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से आधार डेटा का संव्यवहार एवं भंडारण किया जाता है। आधार आधारित अधिप्रमाणन किसी भी समकालिक अन्य प्रणाली की तुलना में सुदृढ़ एवं सुरक्षित है। भाविपप्रा डेटा अतिरेकता सुनिश्चित करता है। आधार व्यवस्था में से किसी भी आधार बायोमेट्रिक के दुरूपयोग की स्थिति में जांच करने एवं चोरी की पहचान तथा कार्रवाई करने की क्षमता उपलब्ध है।

4.10.2 भाविपप्रा के सर्वरों में से कोर बायोमेट्रिक का उल्लंघन अथवा लीकेज की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। भाविपप्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भाविपप्रा अपनी सुरक्षा प्रणालियों और सुरक्षा तंत्रों का अद्यतीकरण और समीक्षा करता रहता है।

4.10.3 आधार डेटा सुरक्षा को नियमित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन और विभिन्न ईकोसिस्टम साझेदारों की लेखापरीक्षा के जरिए और अधिक सुदृढ़ किया गया है। आवधिक लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि ईकोसिस्टम पुरानी प्रणालियों से जुड़ी सुरक्षा कमजोरियों और नए जोखिमों से सुरक्षित और संरक्षित है।

4.11 भाविपप्रा आईएसओ 27001:2022 द्वारा प्रमाणित

भाविपप्रा ने अत्यधिक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, तथा इसने एसटीक्यूसी से आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त किया है।

4.12 आईएसओ/आईईसी 29100:2011 एवं आईएसओ/आईईसी 27701:2019 का भाविपप्रा द्वारा अनुपालन

भाविपप्रा आईएसओ/आईईसी 29100:2011 (सूचना प्रौद्योगिकी - सुरक्षा तकनीक – केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) के लिए गोपनीयता फ्रेमवर्क) का अनुपालन करता है और आईएसओ/आईईसी 27701:2019 (गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली) के लिए प्रमाणित है। गोपनीयता के संदर्भ में भाविपप्रा पर लागू होने वाले सभी नियंत्रणों पर विधिवत विचार किया जाता है और आधार नंबर धारक की सूचना की सुरक्षा के साथ-साथ गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करके उनका पालन किया जाता है।

4.13 "संरक्षित प्रणाली" के रूप में सीआईडीआर अवसंरचना की घोषणा

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने भाविपप्रा के केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉटजिटरी (सीआईडीएआई) सुविधाओं को सरंक्षित तंत्र के रूप में घोषित किया। आधार नंबर धारक डेटा की सुरक्षा के लिए भाविपप्रा-सीआईडीआर सूचना की सुरक्षा सर्वोपरि है। सूचना की गोपनीयता, अखंडता,सत्यनिष्ठा और उपलब्धता को नियंत्रणों के जरिए हर समय बनाए रखा जाता है, जो सूचना परिसंपत्तियों के अनुरूप है, ताकि सूचना प्रणाली को, सभी प्रकार के जोखिमों से बचाया जा सके। भाविपप्रा की सुरक्षा को साइबर खतरे की खुफिया जानकारी के जरिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एसीएससी) द्वारा भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया जा रहा है।

.4.14 सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपी-एसपी)

सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता भाविपप्रा की ओर से एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी है, जो प्रक्रियाओं के साथ-साथ भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे या जोखिम को निर्धारित करने के लिए भाविपप्रा ईको-सिस्टम का अनुपालन और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जीआरसीपी फ्रेमवर्क का विजन, भाविपप्रा के संचालन के लिए एक मजबूत, व्यापक और सुरक्षित वातावरण के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जीआरसीपी-एसपी दृश्यता, प्रभावकारिता और नियंत्रण के संदर्भ में भाविपप्रा और भागीदार ईको-सिस्टम की निगरानी के साथ भाविपप्रा प्रबंधन प्रदान करता है।

4.15 बाह्य ईकोसिस्टम भागीदारों की सूचना सुरक्षा का मूल्यांकन

भाविपप्रा की सुरक्षा को विभिन्न ईको-सिस्टम भागीदारों के नियमित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन के जरिए और संवर्धित किया गया है। इसमें गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सहित सभी प्रकार के नियंत्रण शामिल हैं, ताकि यह आकलन किया जा सके कि ईको-सिस्टम भागीदार आवश्यकताओं का पालन करने के लिए आवश्यक कार्य कर रहे हैं।

4.16 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली

भाविपप्रा के पास एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई, बहु-स्तरीय दृष्टिकोण और मजबूत धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के समन्वय से धोखाधड़ी मामलों के निपटान के लिए एक समर्पित धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) उपलब्ध है। आधार से संबंधित डिजिटल कलाकृतियों की जांच के लिए यूआईडीएआई साइबर फोरेंसिक धोखाधड़ी जांच प्रयोगशाला (यूसीएफएफआईएल) क्रियाशील है। यूआईडीएआई आधार से संबंधित धोखाधड़ी मामलों से निपटने और उन्हें कम करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ सक्रिय रूप से समन्वय और संपर्क कर रहा है।

5. आधार – सुशासन में उपयोग

5.1 आधार – शासन में सुधार हेतु एक उपकरण

5.1.1 वित्तीय समावेशन हेतु आधार: आधार नंबर एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है, जिसे किसी व्यक्ति के जीवनकाल में बदला नहीं जा सकता है। बैंक खाते के साथ लिंक किए जाने पर, आधार किसी व्यक्ति का 'वित्तीय पता' बन जाता है, जो देश के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करता है। किसी व्यक्ति विशेष के बैंक खाते में कोई भी भुगतान अंतरित करने के लिए 12-अंकीय आधार नंबर पर्याप्त है। इस प्रकार यह अन्य ब्योरा यथा बैंक खाता, आईएफएससी कोड और बैंक शाखा विवरण सरकार/संस्थानों को देने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। यह किसी व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार भी देता है कि वह किस बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत धन प्राप्त करना चाहता है, जिसे लाभार्थी द्वारा कभी भी बैंक खाता लिंकिंग फॉर्म, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा यथा अनुमोदित, को भरकर अपने आधार की एक प्रति जमा करने के द्वारा बदलवा सकता है। 19 दिसंबर 2017 से प्रक्रिया को सरल बनाने और खाताधारक की जानकारी के बिना किसी अन्य बैंक में डीबीटी से जुड़े बैंक खाते के हस्तांतरण की सुभेद्यता को कम करने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, एनपीसीआई मैपर पर [डेटा स्रोतः भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम - एनपीसीआई] 86.82 करोड़ से अधिक आधार को बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जोड़ा गया है। ग्राफ 10 में, मई 2014 से बैंक खातों से विशेषकर जुड़े आधार नंबरों की प्रगति दी गई है (डेटा स्रोतः एनपीसीआई)।

ग्राफ 10 – बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जुड़े आधारों की प्रगति

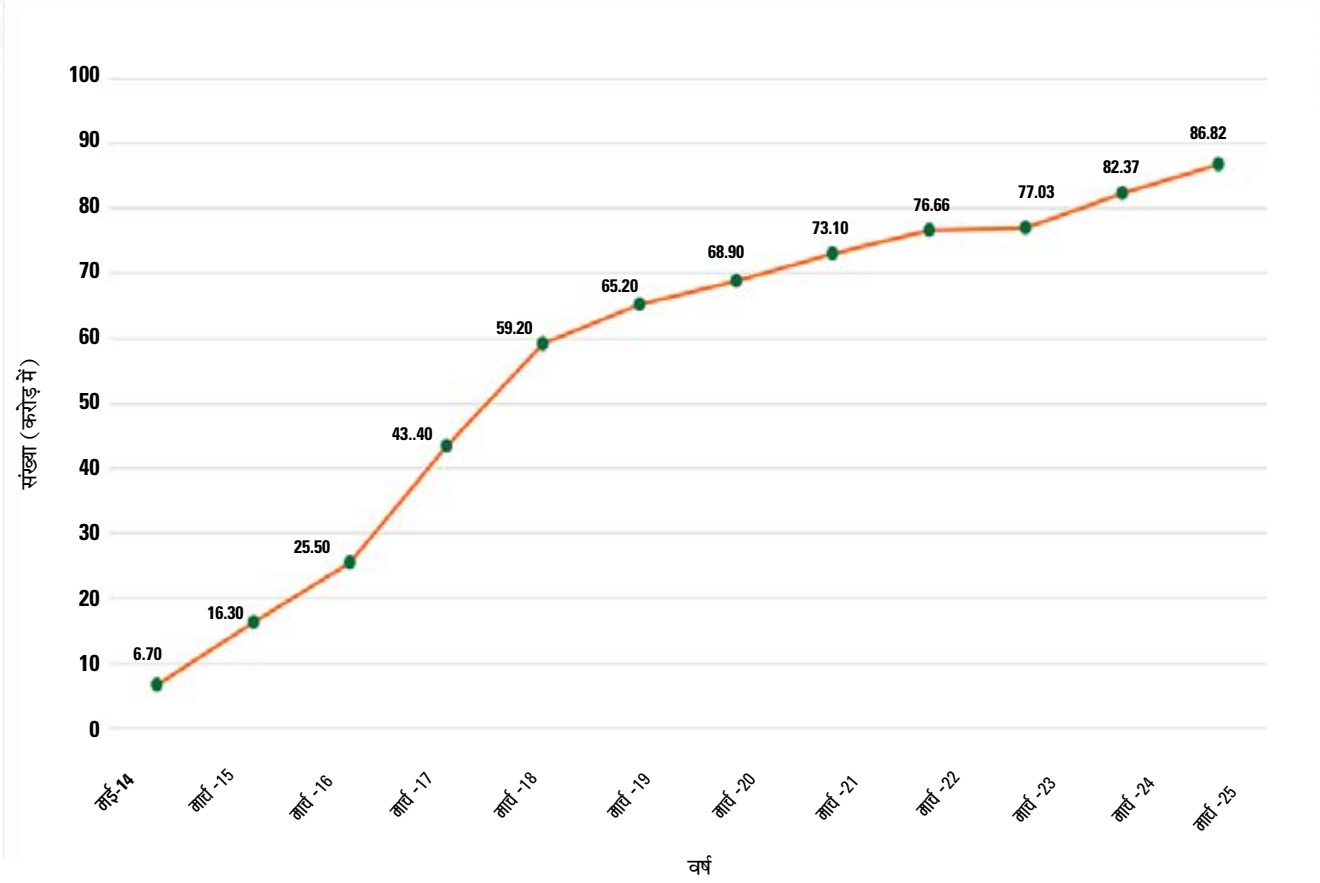

5.1.2 आधार का प्रयोग विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियां जैसे ऐईपीएस, एपीबी और भीम आधार विकसित की गई हैं और इनका संचालन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा किया जा रहा है, जिनसे देश में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सहायता मिली है। इनका संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित खंडों में किया गया है।

5.1.3 आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस): आधार समर्थित भुगतान प्रणाली या एईपीएस माइक्रो एटीएम में उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, जो बैंकों द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त बैंक मित्रों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। एईपीएस प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने आधार का उपयोग करके बुनियादी बैंकिंग लेनदेन जैसे निकासी, नकद जमा, अपने बैंक खाते से धन का हस्तांतरण आदि करने में सहायता प्रदान करता है। 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, 2157.55 करोड़ से अधिक सफलतापूर्वक संव्यवहार एईपीएस प्लेटफार्म पर किए गए हैं तथा 144 बैंकों और डाक विभाग द्वारा लगभग 44.34 लाख माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराये गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि 2023-24 की तुलना में एईपीएस लेनदेन की कुल संख्या में संचयी रूप से 12.53% की वृद्धि देखी गई है। इसने डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में अत्यधिक सुविधा प्रदान की और कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की कठिनाइयों को कम करने में सहायता की। ग्राफ-11 में मई, 2014 से माइक्रो एटीएम में एईपीएस संव्यवहारों की प्रगति को दशार्या गया है (डेटा स्त्रोतःएनपीसीआई)

5.1.4 आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) : आधार भुगतान ब्रिज अथवा एपीबी एक अन्य भुगतान प्रणाली है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से सरकार और निवासी दोनों पक्षों को, लाभ के साथ बैंकिंग लेनदेन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करना है। यह मुख्यतः सरकार-से-नागरिक (जी2सी) तथा

ग्राफ 11 - एईपीएस संव्यवहार की प्रगति मई 2014 से

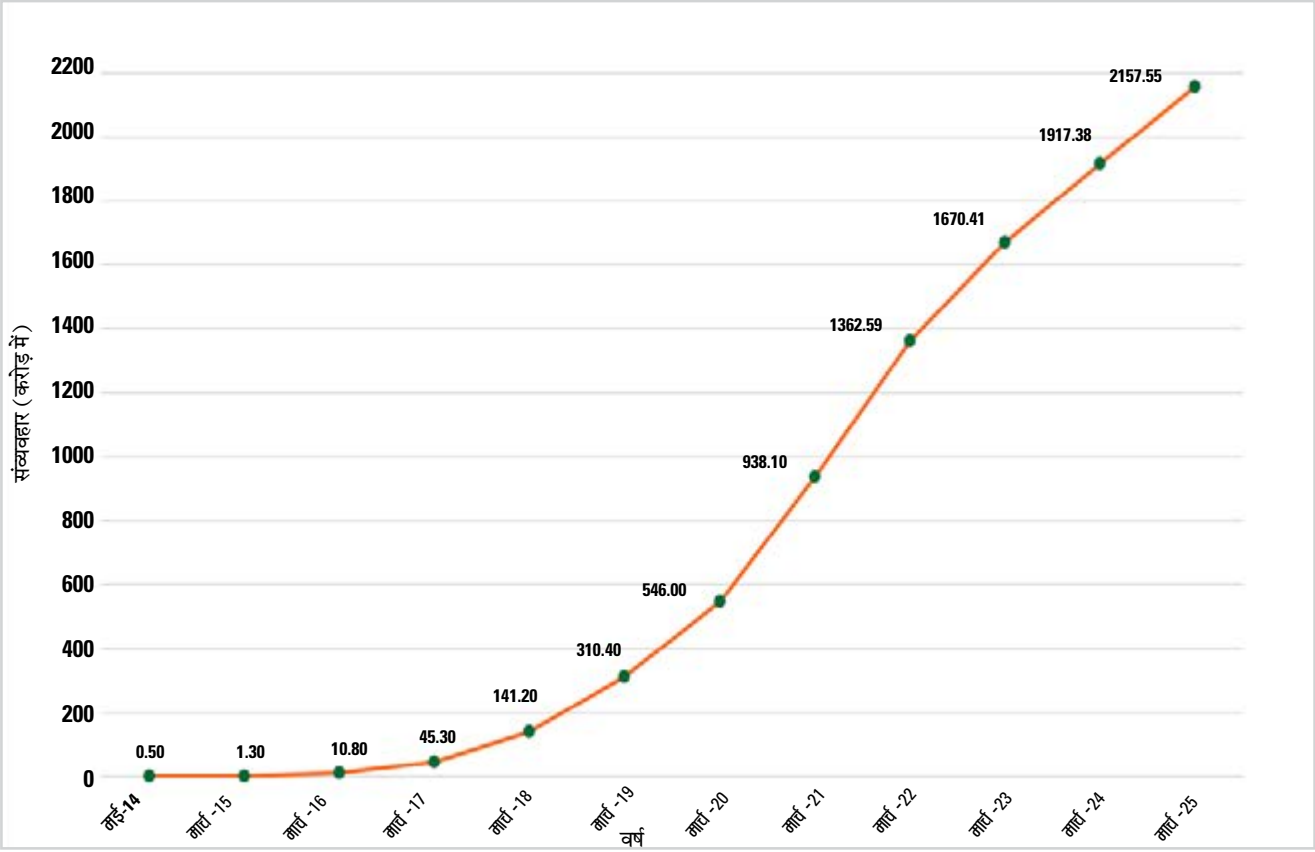

व्यवसाय-से-उपभोक्ता (बी2सी) का एक अंतरण प्लेटफार्म है, जिसमें किसी आधार धारक की निधियों का अंतरण मात्र उसकी आधार नंबर का उल्लेख करके ही किया जा सकता है। एनपीसीआई मैपर के जरिए आधार के साथ विशिष्ट रूप से संबद्ध (लिंक) बैंक खाते में, जिसमें निधि का आधार भुगतान ब्रिज प्लेटफार्म के माध्यम से स्वतः अंतरित हो जाता है।

5.1.5 ईकोसिस्टम स्तर पर, आधार भुगतान ब्रिज को पहले ही व्यापक स्वीकार्यता मिल चुकी है तथा अब यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एक अनुमोदित भुगतान व्यवस्था है। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, 1335 बैंक आधार भुगतान ब्रिज से संबद्ध हैं, जिनमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा कई सहकारी बैंक शामिल हैं। संचयी रूप से, 1665.77 करोड़ से अधिक लेनदेन सफलतापूर्वक एपीबी पर किया गया है, जिसकी राशि 18,13,328.25 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल (राशि 12,59,293.93 करोड़ रुपए) की तुलना में 44% की वृद्धि है। मई, 2014 से, लेन-देन क्रमशः ग्राफ 12 और 13 एपीबी की प्रगति और लेनदेन की संख्या को दशार्ते हैं (डेटा स्रोतः एनपीसीआई)।

5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में आधार

5.2.1 कल्याणकारी सेवाओं की अधिक पारदर्शी और कुशल ढंग में लक्षित डिलीवरी की प्राप्ति हेतु, भारत सरकार ने जनवरी 2013 के दौरान आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) और अन्य चैनलों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को शुरू किया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अधिकार के साथ संयुक्त त्रि-व्यवस्था जेएएम (जन-धन, आधार और मोबाइल) ने समाज के वंचित वर्गों को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली में शामिल कर दिया है, जिसके द्वारा पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन, लोगों के

ग्राफ 12 - एपीबी से संव्यवहार की प्रगति

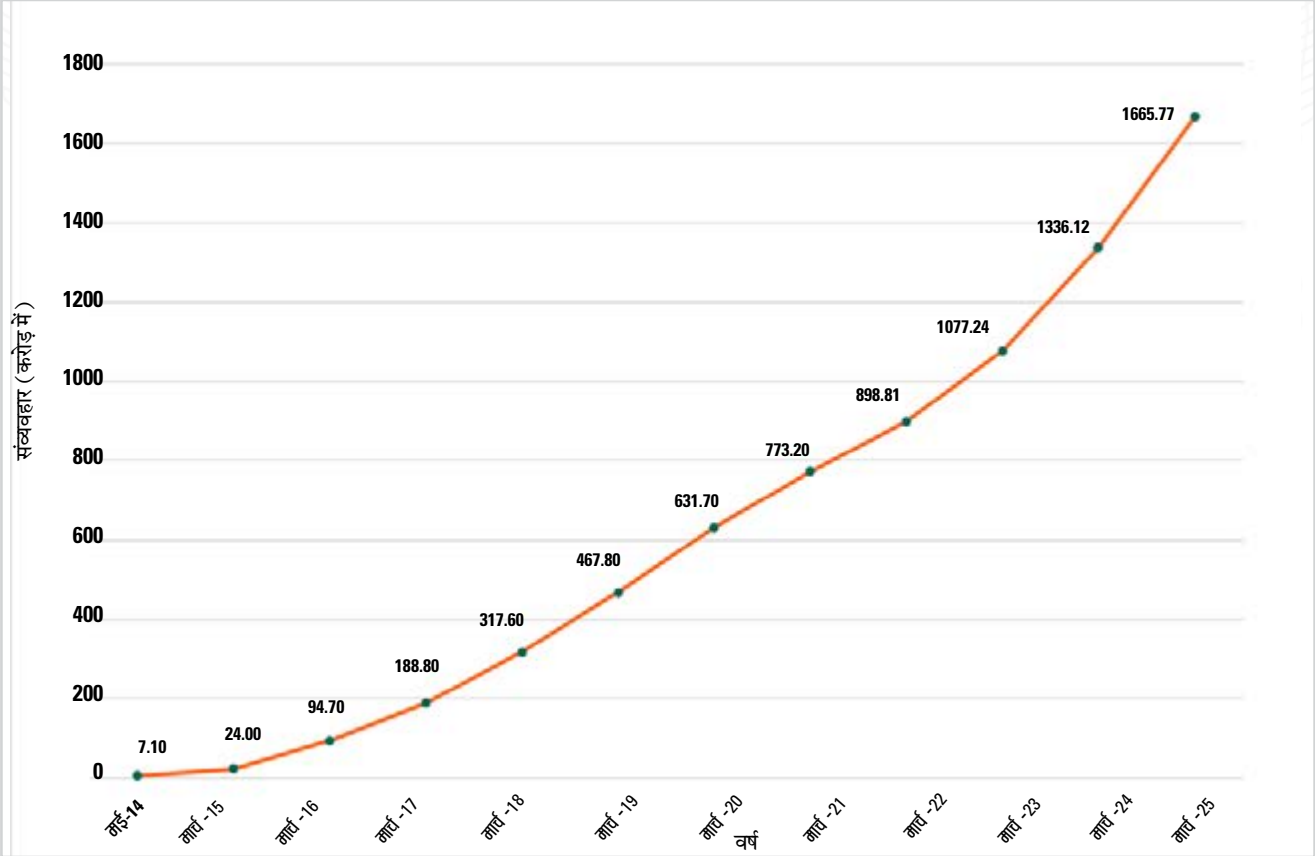

विकास और सशक्तीकरण के पथ पर क्रांति आयी है।

5.2.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय रूप से प्रायोजित सभी योजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। लाभार्थियों के बैंक खातों से संबद्ध आधार हेतु नगद लाभों के अंतरण हेतु एपीबी पर विभिन्न डीबीटी योजनाएं लाभ ले रही हैं। 31 मार्च, 2025 के अनुसार, पहल (पीएएचएएल), मनरेगा इत्यादि सहित विभिन्न योजनाओं में 1665.77 करोड़ सफलतापूर्वक संव्यवहारों में 18,13,328.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था (डेटा स्रोत : एनपीसीआई)।

5.3 डीबीटी योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार का उपयोग

5.3.1 अधिनियम 2016 [आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा यथा संशोधित] की धारा 7 के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत भारत के समेकित कोष या राज्य के समेकित कोष से वित्तपोषित किसी भी योजना के लिए आधार का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित विभाग/मंत्रालय को पहचान के रूप में आधार को राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्णय के अनुसार, भाविपप्रा को आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा धारा 7 की अधिसूचनाओं के प्रारूपण एवं पुनरीक्षण कार्य को कानून और न्याय मंत्रालय की सम्यक विधीक्षा के साथ सुगम बनाने हेतु अधिदेशित किया गया है। 31 मार्च 2025 तक, केंद्र सरकार के 50 मंत्रालयों/विभागों ने आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत विभिन्न योजनाओं (केंद्रीय रूप से प्रायोजित या केंद्रीय क्षेत्र) को कवर करते हुए 229 अधिसूचनाएं जारी की हैं (डेटा स्रोत:eGazette.nic.in)।

5.3.2 आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के साथ अधिनियम 2016 की धारा 7 में संशोधन करके इसे समेकित कोष राज्य के लिए भी लागू किया जाएगा। तदनुसार, भाविपप्रा ने 25 नवंबर, 2019 को सभी राज्य समेकित निधि से वित्तपोषित योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश

ग्राफ 13 – एपीबी पर संव्यवहार के मूल्य की प्रगति

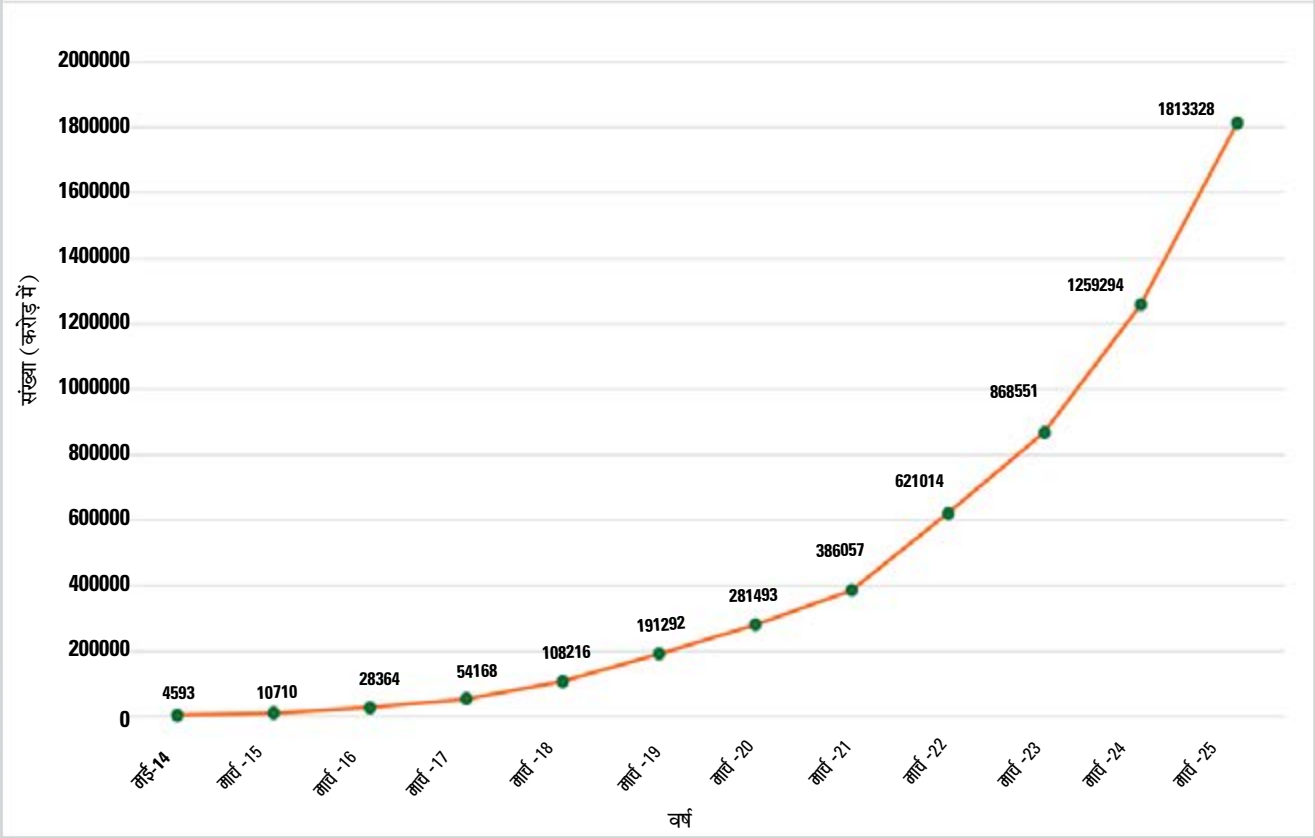

जारी किए हैं। वयस्कों और बाल लाभार्थियों के लिए दिशानिदेर्शों में, धारा 7 अधिसूचनाएं जारी करते समय मानक टेम्पलेट्स का अलग से उपयोग करते हुए राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले चरणों को रेखांकित किया गया है। 31 मार्च 2025 तक, धारा 7 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा 1787 से अधिक योजनाएं अधिसूचित की गईं।

5.4 आधार अधिनियम 2016 (संशोधित) की धारा 4 के तहत राष्ट्र हित में निर्धारित उद्देश्यों के लिए आधार का उपयोग

आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आधार अधिनियम 2016 की धारा 4 में भी संशोधन किया गया है, ताकि केंद्र सरकार प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में, इस तरह के प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन करने की अनुमति दे सके। इस संशोधन के अनुसरण में, 5 अगस्त, 2020 को सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवप्रवर्तन, ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 अधिसूचित किया गया, जिसके अंतर्गत केंद्र/राज्य मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों के लिए सुशासन के हित में, सार्वजनिक धन के लीकेज को रोकने, आधार नंबर धारकों के सुलभ जीवन को बढ़ावा देने तथा उनके लिए सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, स्वैच्छिक तौर पर आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 18.08.2020 के परिपत्र संख्या 13(6)/2018-ईजी-II (वॉल्यूम-II) के माध्यम से उपरोक्त नियमों के तहत आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए आवेदन प्रारूप और दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिसूचना के उपरांत, 31 मार्च 2025 तक, केंद्र के 69 प्रस्तावों और राज्य सरकार के 214 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले

6.1 कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति (पीओएसएच नीति)

6.1.1 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 फरवरी 2015 के का.ज्ञा. सं. 11013/2/2014-स्था.क-III में जारी किए गए अनुदेशों के अनुपालन में, वर्ष के लिए अपेक्षित जानकारी नीचे तालिका 11 में दी गई है।

तालिका 11 – कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम (2024-25)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25
1	वर्ष में लैंगिक उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतें	कोई नहीं
2	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	कोई नहीं
3	90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामले	कोई नहीं
4	लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए वर्ष के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों पर कार्यशालाएं	08
5	कार्रवाई की प्रकृति	लागू नहीं

6.1.2 उक्त अधिनियम और उसके प्रासंगिक नियमों/आदेशों के अनुरूप (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशानिर्देश सहित), भाविपप्रा ने 'कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति' (पीओएसएच नीति) तैयार की है, जो भाविपप्रा की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

6.1.3 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अध्याय-II की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, भाविपप्रा का प्रधान कार्यालय और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रौद्योगिकी केंद्र में "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन किया गया।

6.2 भाविपप्रा में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

6.2.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपने प्रधान कार्यालय और सभी आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू कर रहा है तथा राजभाषा अधिनियम और राजभाषा (संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग) नियमों में परिकल्पित विभिन्न प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है।

6.2.2 वर्ष 2024-25 के दौरान, भाविपप्रा के प्रधान कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की

गई, जिनमें अन्य मदों/विषयों के अलावा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और भाविपप्रा के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निर्णय लिए गए। हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष रूप से क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' में, हिंदी में मूल पत्राचार करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 29 जुलाई, 2024 और 11 फरवरी, 2025 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (मध्य-2) की बैठकों में भाविपप्रा प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

6.2.3 समीक्षा अवधि के दौरान, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नीतियों/नियमों पर जानकारी देने के लिए 04 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में प्रधान कार्यालय के विभिन्न प्रभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के 202 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

6.2.4 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 से 29 सितंबर, 2024 के दौरान हिंदी पखवाडे.का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर, प्राधिकरण के सभी अधिकारियों/ कार्मिकों के लिए भाविपप्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से हिंदी संदेश प्रचालित किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान भाविपप्रा प्रधान कार्यालय में पांच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें 267 अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 26 दिसंबर, 2024 को वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधान कार्यालय के 24 विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

6.2.5 सरकारी कार्य में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक वर्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रधान कार्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग प्रोत्साहन योजना लागू करता है। इस योजना के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय के सात कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार के लिए पात्र पाया गया और 26 दिसंबर, 2024 को वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया। सितंबर/अक्तूबर, 2024 के दौरान, भाविपप्रा के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

6.2.6 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमानुसार संगठन के अंदर 25 प्रतिशत हिंदी निरीक्षण के निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रधान कार्यालय के मानव संसाधन प्रभाग की राजभाषा टीम द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2025 को क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली का निरीक्षण किया गया और दिनांक 10 और 11 मार्च, 2025 को भाविपप्रा के प्रधान कार्यालय के क्रमशः 04 प्रभागों (मानव संसाधन, अधिप्रमाणन और सत्यापन, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन तथा प्रवर्तन) का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। सभी संबंधितों को समीक्षा रिपोर्ट आवश्यक सुझाव और दिशानिर्देश जारी किए गए।

6.3 नागरिक चार्टर

यह चार्टर संगठन की ओर से अपने सभी हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए विशिष्ट मानकों, गुणवत्ता और समय-सीमा के साथ नागरिकों को सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करने वाला एक साधन है। नागरिक चार्टर की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। भाविपप्रा की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर नागरिक चार्टर उपलब्ध है: " *"https://uidai.gov.in/images/Citizen_Charter_Jan24.pdf"*

नागरिक चार्टर डाउनलोड करने के लिए स्कैन करें

6.4 ज्ञान प्रबंधन प्रणाली

ज्ञान प्रबंधन मॉड्यूल (केएमएस) भाविपप्रा कर्मचारियों के बीच आंतरिक संचार, बेहतर सूचना विनिमय और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित

एक ऑनलाइन समुदाय आधारित मंच है। ज्ञान प्रबंधन सिस्टम ई-ऑफिस का ही अंश है जहां विभिन्न प्रभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रबंधित सेवा प्रदाता द्वारा नवीनतम कार्यालय आदेश, परिपत्र, निविदाएं, अन्य भाविपप्रा संबंधित दस्तावेज आदि अपलोड किए जाते हैं।

6.5 नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के अनुसार, भाविपप्रा में समन्वय प्रभाग के अंतर्गत नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन/अपील/शिकायतों के साथ-साथ केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से संबंधित मामलों को संसाधित करता है। साथ ही, इस संबंध में तिमाही रिपोर्ट तैयार की जाती है और उनके निदेशों के अनुसार सीआईसी पोर्टल पर अपलोड की जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय अधिकारियों (एफएए) द्वारा क्रमशः 3979 आरटीआई आवेदनों और 461 अपीलों पर कार्रवाई की गई। सीआईसी के निर्देशानुसार भाविपप्रा के लिए वर्ष 2023-24 के लिए पारदर्शिता लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। भाविपप्रा के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों (एफएए) की सूची को भी आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार अन्य अनिवार्य मदों के साथ नियमित रूप से तैयार/अद्यतित किया जाता है और भाविपप्रा की आधिकारिक वेबसाइटः www.uidai.gov.in. पर "आरटीआई" टैब के तहत पोस्ट किया जाता है।

6.6 भाविपप्रा की वेबसाइट

6.6.1 भाविपप्रा की वेबसाइट (https://www.uidai.gov.in/) भारत के निवासियों को आधार ऑनलाइन सेवा प्रदान करती है, साथ ही यह विभिन्न ईकोसिस्टम भागीदारों और बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्राथमिक सूचना का माध्यम है। भारत में अधिकांश निवासी मोबाइल के माध्यम से आधार सेवाएं और संबंधित जानकारी चाहते हैं। उन मोबाइल उपयोगकताओं तक पहुंचने के लिए और आधार सेवाओं की पहुंच में सुधार सुनिश्चित करने के लिए, भाविपप्रा की वेबसाइट और आधार सेवा पोर्टल को हाल ही में नया रूप दिया गया है तथा इन्हें बहु-उपकरण अनुकूल बनाया गया है। इसके साथ ही, यह देश की विविध डेमोग्राफिक्स के उपयोग के लिए जानकारी हिन्दी एवं अंग्रेजी के अलावा अन्य 11 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराती है। वेबसाइट का लैंडिंग पृष्ठ, मुख पृष्ठ और अन्य सेवा पोर्टल अगले पृष्ठ पर दिखाए गए हैं -

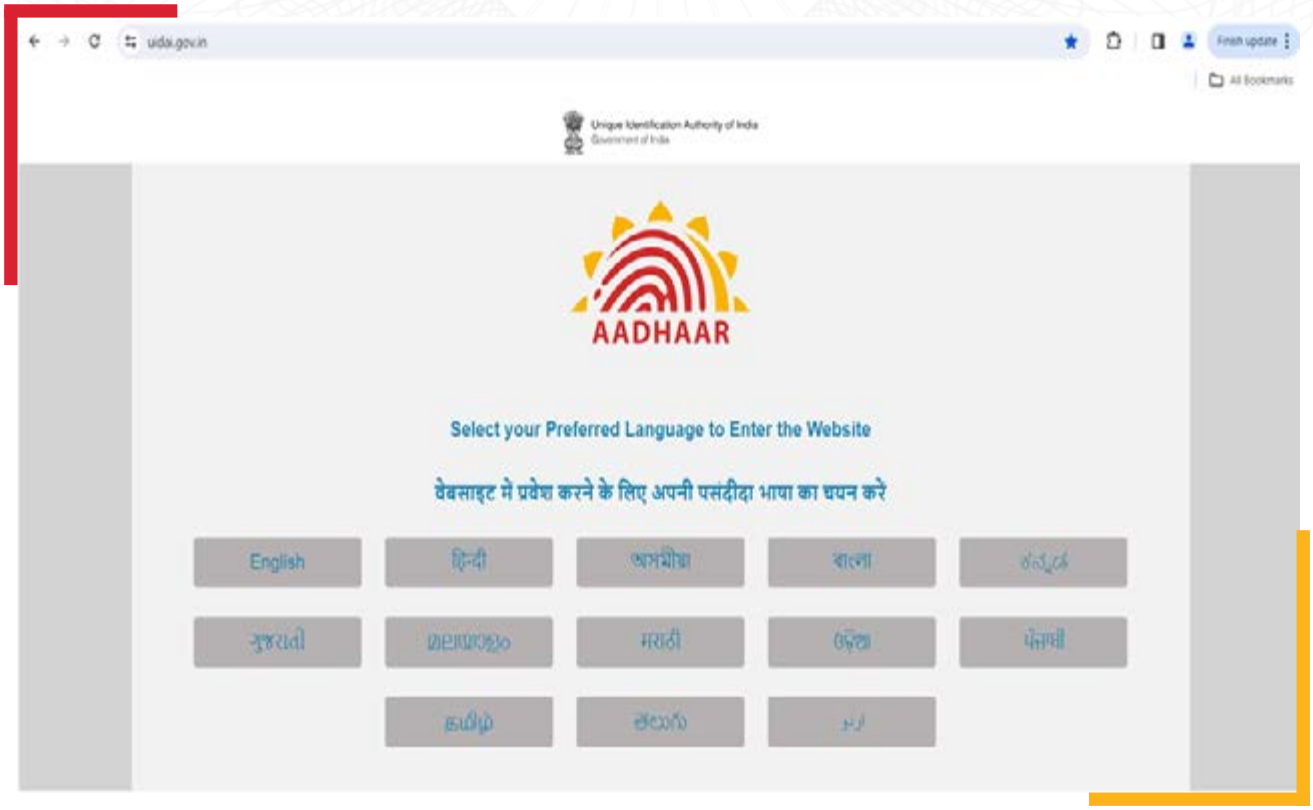

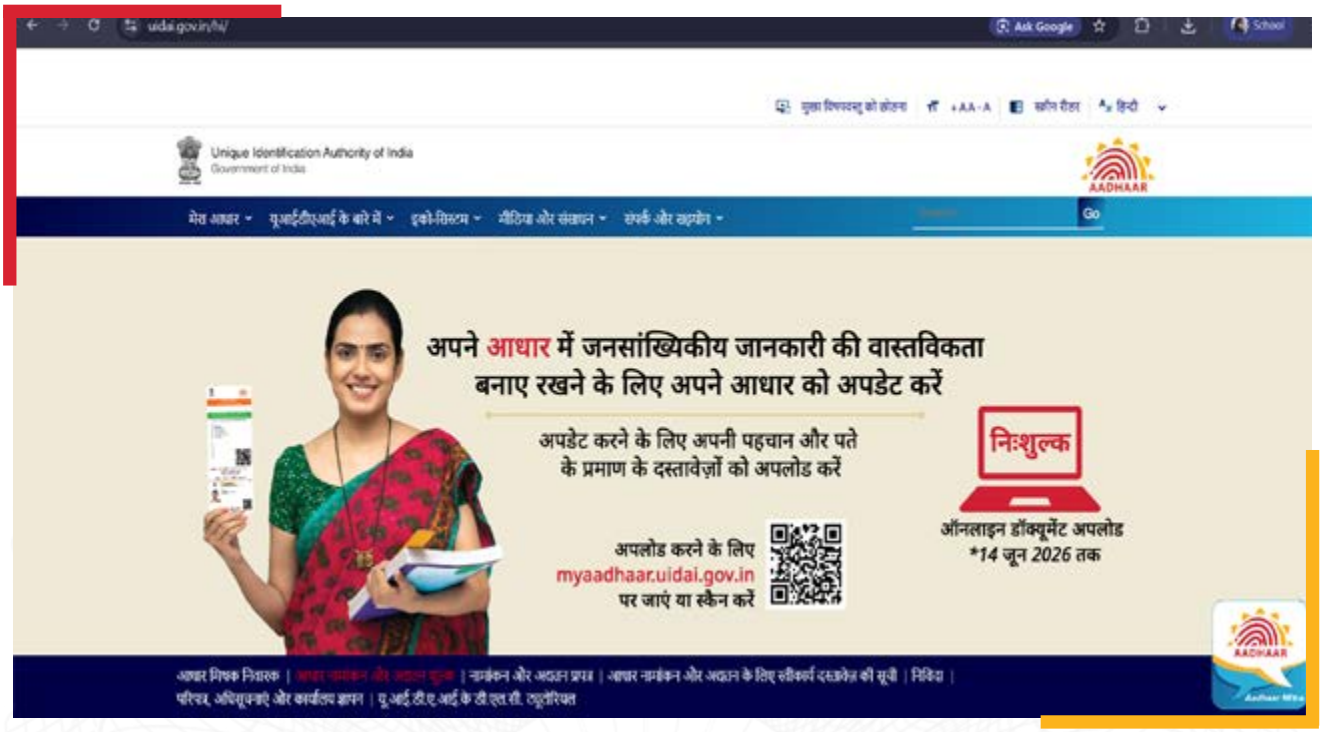

uidai.gov.in पर जाने के लिए स्कैन करें

6.6.2 भाविपप्रा वेबसाइट की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :-

- रेस्पोंसिव यूएक्स यह सुनिश्चित करता है कि आधार सेवाओं और जानकारियों तक पहुँच बनाने के दौरान मोबाइल उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव हासिल हो।
- सबसे अधिक मांग वाली आधार सेवाओं को वेबसाइट के भीतर रखने के स्थान पर भाविपप्रा की वेबसाइट आधार ऑनलाइन सेवाओं तक सीधे पहुंच प्रदान करती है। स्पष्ट जानकारी, आर्किटेक्चर, निर्बाध दो-चरणीय नेविगेशन, सार्वभौमिक रूप से समझने योग्य लेबल और सर्च विशेषताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी को सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके।
- आधार नामांकन, अधिप्रमाणन प्रौद्योगिकियों, भाविपप्रा इकोसिस्टम पर सूचनात्मक दस्तावेज, जो नामांकन और अधिप्रमाणन प्रणालियों/प्रक्रियाओं और वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न आधार सेवाओं पर प्रशासनिक और तकनीकी विवरण प्रदान करते हैं।
- वेबसाइट के "संपर्क और सहयोग" टैब पर मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के विभिन्न प्रभागों और पदाधिकारियों के संपर्क विवरण उपलब्ध हैं।
- W3C द्वारा वेबसाइट को सीएसएस और एचटीएमएल के लिए प्रमाणित किया गया है तथा इसे जीआईजीडबलू 2.0 के अनुसार एसटीक्यूसी वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणन भी प्राप्त है। "मीडिया और संसाधन" टैब निवासियों को नवीनतम अपडेट देखने और भाविपप्रा के फेसबुक और ट्विटर पेजों को फॉलो करने की सुविधा प्रदान करता है।

6.6.3 सामान्य रिपॉजिटरी के रूप में भाविपप्रा की वेबसाइट

भाविपप्रा की वेबसाइट निम्नलिखित के लिए सामान्य रिपॉजिटरी

के रूप में कार्य करती है :

- ईकोसिस्टम भागीदारों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे - नीतियां, दिशानिर्देश, जांच-सूचियां और राज्य और गैर-राज्य रजिस्ट्रारों के साथ हुए समझौता ज्ञापन के साथ-साथ व्यावसायिक उपयोगकताओं के लिए सभी उपयोगी दस्तावेज "इको-सिस्टम" टैब पर उपलब्ध हैं।।
- आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और संबंधित नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ और परिपत्र "यूआईडीएआई के बारे में" टैब के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
- समाचार, प्रेस विज्ञप्ति, आधार से संबंधित अभियान, एवं वीडियो, डाउनलोड करने योग्य रूप में, " मीडिया और संसाधन" टैब के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)"संपर्क और सहयोग" टैब में उपलब्ध हैं।

6.6.4 ऑनलाइन आधार सेवाओं और अन्य पोर्टल के लिए एकल प्वाइंट एक्सेस

भाविपप्रा की वेबसाइट, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, नामांकन केंद्र का पता लगाने, आधार स्थिति की जांच करने, आधार डाउनलोड करने, गुम हुई अथवा भूली हुई यूआईडी/ईआईडी प्राप्त करने, आर्डर आधार पीवीसी कार्ड आदि का आर्डर करने जैसी निवासी केंद्रित सेवाओं के लिए सीधा लिंक (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) प्रदान करती है।

6.6.5 आधार डैशबोर्ड: भाविपप्रा की वेबसाइट आधार विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का भी सीधा लिंक (https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/) उपलब्ध कराती है जो कि आधार नामांकन, अद्यतन, अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाओं, पंजीकृत उपकरणों के लिए वृहत डेटा को प्रदर्शित करता है।

6.7 एकीकृत मोबाइल ऐप

भाविपप्रा ने एमआधार ऐप का उन्नत संस्करण जारी किया है। यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों संस्करणों में उपलब्ध है, जो

आधार सेवाओं जैसे ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, क्यूआर कोड स्कैनर, अपॉइंटमेंट बुकिंग आदि की एक श्रृंखला प्रदान करता है। यह ऐप आधार धारक के लिए एक व्यक्तिगत खंड प्रदान करती है, जिससे निवासी हर समय भौतिक प्रति रखने के बजाय सॉफ्टकॉपी के रूप में आधार की जानकारी अपने पास रख सकता है। निवासी आधार के साथ या आधार के बिना इस ऐप को अपने स्मार्ट फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तथापि, आधार धारक को वैयक्तिक आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऐप में अपना आधार प्रोफाइल पंजीकृत करना होगा। एमआधार मोबाइल ऐप अंग्रेजी, हिंदी और 10 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है।

7. 2024-25 की प्रमुख उपलब्धियां और पहल

7.1 घरेलू और वैश्विक आउटरीच

7.1.1 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024, मुंबईः भाविपप्रा ने 28 अगस्त से 30 अगस्त 2024 के दौरान जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में आयोजित 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) में सक्रिय रूप से भागीदारी की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारतीय भुगतान परिषद (पीसीआई), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (एफसीसी) के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम ने डिजिटल फाइनेंस में परिवर्तनकारी नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। भाविपप्रा ने फेस्ट के दौरान एआई और एमएल इंजनों द्वारा संचालित इन-हाउस विकसित अपनी उन्नत चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा का प्रदर्शन किया। भाविपप्रा स्टॉल ने विशेष रूप से डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं में एयूएएस/उप-एयूए द्वारा प्रदर्शित चेहरा प्रमाणीकरण के विभिन्न उपयोग के संबंध में प्रकाश डाला। चेहरा प्रमाणीकरण के उपयोग द्वारा 'ग्रामीण महिलाओं के लिए लक्ष्य-आधारित बचत' की शुरूआत करना एक उल्लेखनीय पहल रही, ताकि ग्रामीण महिलाएं भी खाता खोलने और अपनी वित्तीय व्यवस्था में बढ़ोतरी करने में समर्थ हो सकें। भाविपप्रा ने फेस-ऑथ पर भाविपप्रा नॉलेज पार्टनर माइक्रोसेव कंसल्टिंग (एमएससी) द्वारा प्रकाशित एक प्लेबुक भी जारी की।

कार्यक्रम के तीसरे दिन, श्री आमोद कुमार, उपमहानिदेशक, भाविपप्रा ने डिजिटल पहचान नवाचार विषय पर आयोजित एक पैनल चर्चा में भाग लिया, जिसमें समावेश पर आधार के प्रभाव और डीबीटी के माध्यम से बचत में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्जित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। भाविपप्रा का एआई/एमएल-संचालित चेहरा प्रमाणीकरण, बाहरी उपकरणों पर निर्भरता को समाप्त करना, सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रमाणीकरण में एक आदर्श बदलाव को निरूपित करता है, जो भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में आधार की भूमिका की पुष्टि करता है।

7.1.2 अंतर्राष्ट्रीय निकायों और विदेशी देशों के साथ कार्यः भाविपप्रा ने 2024-25 में विश्व बैंक, आईडी4अफ्रीका,

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024, मुंबई

इंडिया-ब्राजील चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईबीसीसी) आदि जैसे अंतराष्ट्रीय निकायों के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया है, जिसने वैश्विक दर्शकों को आधार और इसकी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है। मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, मॉरीशस, क्यूबा, जमैका, नाइजीरिया, डेनमार्क केन्या, मेडागास्कर और इंडोनेशिया जैसे कुछ देशों ने भाविपप्रा के अनुभव से सीखने में रुचि दिखाई है।

7.1.3 क्यूबा सरकार के साथ कार्य: डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर क्रियान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के लिए 19 जनवरी, 2024 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत तथा संचार मंत्रालय, क्यूबा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। क्यूबा सरकार ने क्यूबा आईटी विशेषज्ञ को प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया। भाविपप्रा ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के तहत क्यूबा के आईटी विशेषज्ञ को प्रशिक्षण प्रदान किया।

7.1.4 नवाचार-2025: नवाचार 2025 एक अद्वितीय प्रदर्शनी और प्रतिष्ठित सम्मेलन है, जिसमें दुनिया ऐसे सरकारी लीडर एकत्र होते हैं, जो उनके सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और सेवाओं में परिवर्तन और संवृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। इस कार्यक्रम की मेजबानी संयुक्त रूप से ब्रिटेन सरकार और ग्लोबल गवर्नमेंट फोरम (जीजीएफ) द्वारा 24-26 मार्च 2025 को एक्सेल (एक्ज़िबिशन सेंटर लंदन) लंदन, ब्रिटेन में की गई थी। जीजीएफ विश्व के वरिष्ठ सिविल सेवकों की अपनी विशेषज्ञता, ज्ञान और संबंधों का निर्माण करने के द्वारा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है। यह राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के सहायकों को विदेशों में अपने साथियों के कार्यों से सीखने और अन्य देशों में साथी सिविल सेवकों के साथ संपर्क बनाने में भी सहायता करता है।

श्री आमोद कुमार, उपमहानिदेशक (आधार यूसेज) ने "सरकार डिजिटल क्रेडेंशियल्स अधिकार कैसे प्राप्त कर सकती है" विषय पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट के तौर पर सम्मेलन में भाग लिया।

7.1.5 भाविपप्रा के हितधारकों की बैठक - बीएफएसआई, फिनटेक और दूरसंचार क्षेत्रों के साथ "आधार संवाद": भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से, बीएफएसआई, फिनटेक, दूरसंचार, एनपीसीआई

सचिव, एमईआईटीवाई, आधार संवाद, मुंबई

आधार संवाद, मुंबई

और संबंधित क्षेत्रों के लगभग 500 वरिष्ठ नीति निमार्ताओं, उद्योग क्षेत्र के लीडरों और टेक्नोक्रेट्स को एक साथ लाने की दिशा में एक उच्च-स्तरीय हितधारक बैठक, आधार संवाद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आधार-समर्थित समाधानों के जरिए सेवा वितरण को बढ़ाने और डिजिटल लेनदेन में विश्वास को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आधार चेहरा प्रमाणीकरण संव्यवहार में 100 करोड़ की संख्या को पार करना एक प्रमुख उपलब्धि रही, यह केवल पांच महीनों में 50 करोड़ से दोगुना हुआ, जो भाविपप्रा के एआई/एमएल आधारित इन-हाउस समाधान के तेजी से अंगीकृत करने को दशार्ता है।

श्री एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और श्री भुवनेश कुमार, सीईओ, भाविपप्रा ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) में आधार की मूलभूत भूमिका और इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया। भाविपप्रा के अध्यक्ष श्री नीलकंठ मिश्रा ने डिजिटल पहचान उपयोग के मामलों के विस्तार में आधार की क्षमता पर प्रकाश डाला। चार संकेंद्रित पैनल चचाओं ने अभिनव एप्लिकेशन फ्रेमवर्क विकास और उपयोगकर्ता-केंद्रित संवर्द्धन का अन्वेषण किया, जिससे भविष्य के सहयोग और ईकोसिस्टम के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

7.2 आधार ईकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण

भाविपप्रा प्रौद्योगिकी केंद्र ने नामांकन, अधिप्रमाणन प्रक्रिया आदि में आधार ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं/गतिविधियां शुरू की हैं।

7.2.1 ई एंड यू ट्रैक: भाविपप्रा ने निवासियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की गुणवत्ता जांच में सुधार करने के द्वारा आधार नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। जन्म प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र और राजपत्र जैसे प्रमाण दस्तावेजों की सटीकता सुनिश्चित करने और त्रुटियों को कम करने के लिए आधिकारिक सरकारी स्रोतों से सत्यापन किया जाता है। भाविपप्रा सत्यापन में तेजी लाने के लिए एपीआई एकीकरण के माध्यम से पैन और पासपोर्ट अधिकारियों के साथ भी कार्य कर रहा है। इससे निवासियों को अपना आधार नंबर शीघ्र और बिना किसी झंझट के प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

इसके अलावा, भाविपप्रा ने 27 राज्यों और 8 संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ सहयोग स्थापित किया है, जहां स्थानीय सरकारों ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए आधार नंबर जारी करने से पहले निवासियों के डेटा की समीक्षा शुरू कर दी है, जिससे डेटाबेस की विश्वसनीयता बढ़ गई है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आधार में दी गई जानकारी कई प्राधिकरणों द्वारा सत्यापित की गई है।

इस उन्नत प्रक्रिया से देरी कम होने और सिस्टम में विश्वास बढ़ने से निवासियों को लाभ होता है। यह प्राधिकारियों की आधार डेटा को स्वच्छ और अद्यतित रखने में भी सहायता करता है, जिससे सिस्टम अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनता है।

इसके अलावा, आधार डेटाबेस को अद्यतन रखने के लिए, भारत के महापंजीयक के डेटा के आधार पर मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

समग्र रूप से, ये कदम भाविपप्रा के उस मिशन का समर्थन करते हैं जिसके तहत लाखों उपयोगकताओं के लिए नामांकन और अद्यतन को सरल बनाते हुए प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट, सटीक और विश्वसनीय पहचान प्रदान की जाती है।

7.2.2 आरई ट्रैक: निवासियों को अधिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए 'माईआधार पोर्टल' को अद्यतित किया गया है। अब उपयोगकर्ता अपने आधार नामांकन या अद्यतन अनुरोधों की स्थिति का ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, विस्तृत प्रसंस्करण जानकारी देख सकते हैं, और यहां तक कि भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित वैधता अवधि वाले आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह पारदर्शिता उपयोगकताओं को पूरी प्रक्रिया के दौरान जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है।

शिकायत निवारण में सुधार के लिए, पोर्टल और एम-आधार ऐप में एक नई सुविधा "अपडेट मोड" शुरू की गई है। यह उपयोगकर्ता की शिकायतों को अधिक सटीक रूप से दर्ज करने और उन्हें ऑनलाइन, ऑफलाइन या मोबाइल माध्यमों से निर्देशित करके उनका शीघ्रता से समाधान करने सहायता करती है। स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण त्रुटि संदेश अब उपयोगकताओं की समस्याओं के मामले में मार्गदर्शन करते हैं, भ्रम की स्थिति को कम करते हैं।

भारतीय पते वाले विदेशी निवासी अब अपनी सेवा पहचान संख्या (एसआईडी) के उपयोग द्वारा एम-आधार ऐप के जरिए आसानी से अपना ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए महत्वपूर्ण अपडेट की सूचनाएं भी प्राप्त होती रहती हैं, ताकि उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रहें।

एक नया बैकऑफिस पोर्टल आधार कार्यालयों को अधिक कुशलता से संचालित करने में सहायता करता है। इसमें ऑपरेटरों को शामिल करने, बायोमेट्रिक समस्याओं के प्रबंधन और आधार सेवा केंद्रों पर प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए एक अपॉइंटमेंट सिस्टम मॉड्यूल शामिल है। ये सुधार सेवा वितरण और निवासी संतुष्टि में अभिवृद्धि करते हैं।

ये सभी अपग्रेड समग्र अनुभव, सबके लिए आधार सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और उपयोगकर्ता- अनुकूल बनाते हैं।

7.2.3 इंजीनियरिंग ट्रैक संवर्द्धन:

भाविपप्रा अपने नामांकन क्लाइंट को यूनिवर्सल क्लाइंट प्लेटफॉर्म में स्थानांतरित कर रहा है - जिसे सभी निवासी-संबंधी सेवाओं के लिए एक सामान्य आधार के रूप में डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (पीएलएल) प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करता है और डिजिलॉकर और अन्य राष्ट्रीय/राज्य रजिस्ट्री के साथ एकीकरण करने का समर्थन करता है। इसका परिणाम एक कागज रहित नामांकन अनुभव है जो सुविधा और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन दोनों को सुनिश्चित करता है।

भाविपप्रा, निवासियों के जनसांख्यिकीय डेटा के सुरक्षित, मानक-अनुपालन क्रेडेंशियल विनिमय को समर्थन देने के लिए आधार ऐप को नया रूप देने की प्रक्रिया में है। इस ऐप से निवासियों और ईकोसिस्टम भागीदार, दोनों को वास्तविक समय में ऑनलाइन उपस्थिति प्रमाण सत्यापन और क्रेडेंशियल विनिमय करने में समर्थ होंगे। इसके विमोचन के साथ, भाविपप्रा सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल और पहचान आश्वासन के लिए आईएसओ और डब्ल्यू3सी जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप हो जाएगा।

विभिन्न ओपन-सोर्स तकनीकों का लाभ लेते हुए, भाविपप्रा ने

व्यावसायिक हितधारकों और उत्पाद टीमों के लिए डेटा एक्सेस को प्रजातंत्रीय बनाने के लिए अपने डेटा प्लेटफॉर्म में व्यापक बदलाव किए हैं। नए प्लेटफॉर्म ने डेटा उपलब्धता की विलंबता को दिनों से घटाकर मिनटों में कर दिया है और शिकायत निवारण में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, इसमें वास्तविक समय में विसंगतियों का पता लगाना भी शामिल हैं जो धोखाधड़ी के पैटर्न की सक्रिय रूप से पहचान करते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए अलर्ट जारी करते हैं।

7.2.4 नवाचार: भाविपप्रा द्वारा स्थापित थिंक-टैंक में उद्योग जगत के लीडरों और क्षेत्र विशेषज्ञों के तीन केंद्रित समूह शामिल हैं, जो आधार ईकोसिस्टम में नवाचार और कार्यनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सावधिक रूप से जुड़ते हैं। प्रत्येक समूह एक प्रमुख क्षेत्र से जुड़ा है: पहला समूह पहचान दस्तावेज सत्यापन सेवा प्रदाताओं का एक ईकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है; दूसरा समूह आधार सैंडबॉक्स पर उद्योग-आधारित हैकथॉन के लिए एक मजबूत ढाँचा तैयार करने के लिए समर्पित है; और तीसरा समूह आधार-संबंधी, डेटा-संचालित अनुसंधान को समर्थ बनाने पर कार्य करता है। ये कार्य समूह संरचित और लक्ष्यपरक चचाओं के माध्यम से सहयोग करते हैं, जिनका उद्देश्य तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, सेवा वितरण को बेहतर बनाना और निवासियों को सुरक्षित और समावेशी डिजिटल पहचान सेवाएं प्रदान करने के संबंध में भाविपप्रा के व्यापक मिशन का समर्थन करना है।

आधार संवाद को विनिमय हितधारकों के लिए एक गतिशील ज्ञान सम्मेलन के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना है। यह आयोजन भाविपप्रा, उद्योग विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के बीच संरचित संवाद को सुगम बनाएगा, जिससे भाविपप्रा आधार के नए उत्पाद सुविधाओं पर तकनीकी अपडेट साझा कर सकेगा। पहले आधार संवाद की योजना और संचालन भाविपप्रा टेक सेंटर की एक प्रमुख टीम द्वारा किया गया था, जिसने मुंबई और दिल्ली में होने वाले आगामी आयोजनों के लिए समान अपेक्षाएं और दिशानिर्देश निर्धारित किए। भाविपप्रा प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा प्रस्तुत सत्र में आधार नामांकन और अद्यतन प्रक्रियाओं में नवीनतम तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डाला गया, जिससे तेज और अधिक सुरक्षित पैकेट प्रसंस्करण की सुविधा मिली, फलस्वरूप अंततः उपयोगकर्ता अनुभव और संतुष्टि में वृद्धि हुई। सत्र में भाविपप्रा के संचालन पर उभरती प्रौद्योगिकियों के परिवर्तनकारी प्रभावों को भी प्रदर्शित किया गया।

संवर्धित फिंगरप्रिंट मिलान के लिए उन्नत डीप लर्निंग मॉडल के उपयोग से लेकर ग्राहक संबंध प्रबंधन के लिए बहुभाषी एआई चैटबॉट्स के उपयोग तक, इस प्रस्तुति में कई आकर्षक उपयोग के उदाहरण शामिल हैं जो ईकोसिस्टम के भागीदारों को आकर्षित करेंगे। इसके अतिरिक्त, कई रोमांचक लॉन्च भी हुए जो स्टार्टअप्स और अन्य पहचान प्रौद्योगिकी भागीदारों के लिए रुचिकर थे। तीन ब्रेकआउट सत्र आयोजित किए गए जिनमें सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल्स, सैंडबॉक्स और डेटा शेयरिंग जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पैनल के थिंकटैंक सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कुल मिलाकर, यह ईकोसिस्टम के लिए डिजिटल नवाचारों और आधार के प्रभाव को समझने की दिशा में एक आकर्षक तकनीकी कार्यक्रम था।

7.3 भाविपप्रा प्रौद्योगिकी केंद्र की अन्य परियोजनाएं

7.3.1 प्रमाणीकरण ट्रैक: भाविपप्रा ने कुबेरनेट्स और स्प्रिंग बूट के उपयोग से क्लाउड-नेटिव परिवेश में स्थानांतरित होकर अपनी प्रमाणीकरण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया है। इससे परिनियोजन समय कम हुआ है और मापनीयता, गति और सिस्टम स्थिरता में सुधार हुआ है। इसने मालिकाना डेटाबेस से ओपन-सोर्स स्टोरेज सिस्टम, सेफ, में भी परिवर्तन किया है, जिससे प्रतिक्रिया समय में सुधार हुआ है और लागत कम हुई है।

सभी लेवल 1 फिंगरप्रिंट उपकरणों में एक नया एआई-आधारित नकली फिंगर पहचान प्रणाली परिनियोजित की गई है, जिससे धोखाधड़ी में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अतिरिक्त, प्रमाणीकरण के दौरान वास्तविक उपयोगकताओं को सत्यापित करने के लिए बैकएंड लाइवनेस मॉडल में सुधार किया जा रहा है।

सेवा स्वास्थ्य को मॉनीटर करने के लिए, स्वतः एसएमएस अलर्ट अब हितधारकों को वास्तविक समय में किसी भी सेवा व्यवधान की सूचना देते हैं। भाविपप्रा, भागीदारों को सिस्टम की स्थिति तुरंत जांचने और समस्याओं पर तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के सहायतार्थ एक नए हेल्थ एपीआई का भी परीक्षण कर रहा है।

एक प्रमुख सुरक्षा उन्नयन में, भाविपप्रा पुराने लेवल 0 फिंगरप्रिंट उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर ज्यादा सुरक्षित लेवल 1 उपकरणों को अपना रहा है, जो विश्वसनीय निष्पादन परिवेश (टीईई) के उपयोग से निजी कुंजियों की सुरक्षा करते हैं।

भाविपप्रा ने एक शक्तिशाली इनोवेशन सैंडबॉक्स भी लॉन्च किया है। यह परीक्षण प्लेटफॉर्म फिंगरप्रिंट केवाईसी, ओटीपी, चेहरा प्रमाणीकरण, आधार लॉगिन और संपर्क रहित बायोमेट्रिक्स जैसी प्रमुख सुविधाओं को समर्थन करता है। भावी चरणों में, भागीदार एक सुरक्षित, सिमुलेशन-तैयार परिवेश में नई आधार-आधारित सेवाओं का परीक्षण कर सकेंगे।

7.3.2 ऑपरेशन ट्रैक: भाविपप्रा ने अपने हेब्बल और मानेसर डेटा केंद्रों को हाई डेन्सिटी (एचडी) से अल्ट्रा-हाई डेन्सिटी (यूएचडी) में अपग्रेड करके अपनी अवसंरचना का आधुनिकीकरण किया है, जिससे रैक की संख्या 260 से घटकर 80 हो गई है और प्रसंस्करण दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इन यूएचडी डेटा केंद्रों में भारत के सबसे बड़े ओपन-सोर्स प्राइवेट क्लाउड में से एक की स्थापना करना एक बड़ी उपलब्धि रही। एक केंद्रीकृत स्वचालित पोर्टल के माध्यम से प्रोविजनिंग समय 15 दिनों से घटकर केवल 2 घंटे रह गया है। प्राइवेट क्लाउड को 230 नए सर्वरों और 300 से अधिक मौजूदा सर्वरों के मेमोरी अपग्रेड के साथ उन्नत किया गया है।

बड़े पैमाने पर बायोमेट्रिक प्रसंस्करण का समर्थन करने के लिए, 600 ब्लेड सर्वरों - एनईसी, इडेमिया और टीसीएस प्रत्येक के लिए 200 - को मेटल-एज-ए-सर्विस (एमएएएस) प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बेयर-मेटल सर्वर के रूप में शामिल किया गया है।

भाविपप्रा ने लगभग 30 पेटाबाइट्स (पीबी) डेटा को नए ओपन-सोर्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में स्थानांतरित करके भारत का सबसे बड़ा डेटा माइग्रेशन भी किया है। दो चरणों में पूरे हुए इस स्थानांतरण में पोर्टल, नामांकन, प्रमाणीकरण और एनालिटिक्स एप्लिकेशन शामिल थीं।

इसके अलावा, भाविपप्रा ने मापनीय, सुरक्षित और दोष-सहिष्णु अवसंरचना को सक्षम करने के लिए ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग (एसडीएन) और सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज (एसडीएस) समाधानों को लागू किया। ये समाधान स्वचालन में सुधार करते हैं, मजबूत सुरक्षा नीतियों को लागू करते हैं, और विविध कार्यभारों के लिए उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

भाविपप्रा अपने एमवाईएसक्यूएल डेटाबेस क्लस्टर्स को संस्करण 5.7 से एमवाईएसक्यूएल 8 में अपग्रेड कर रहा है। इसमें एक अधिक मजबूत आईएनएनओडीबी क्लस्टर आर्किटेक्चर में बदलाव करना शामिल है, जो बेहतर शिकायत निवारण, उत्तम सुरक्षा और स्वचालित फेलओवर क्षमताएं प्रदान करता है। कई क्लस्टर पहले ही माइग्रेट हो चुके हैं, और शेष अपग्रेड को पूरा करने के लिए कार्य जारी है।

ये पहल यह सुनिश्चित करेंगी कि भाविपप्रा की अवसंरचना भविष्य के लिए तैयार, तन्यक और निवासियों और हितधारकों को तेज और अधिक विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुकूलित हों।

7.4 वर्ष 2024-25 के लिए प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम की मुख्य उपलब्धियां

7.4.1 एसडब्ल्यूआईके पोर्टल का शुभारंभ: आधार सुशासन पोर्टल (swik.meity.gov.in) का लांच दिनांक 27.02.2025 को सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य समझौता ज्ञापन में पारदर्शिता लाना और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय या विभाग तथा मंत्रालय या विभाग के अलावा किसी अन्य संस्था द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को स्वचालित करना है, जो राज्य हित में निर्दिष्ट किसी उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की इच्छुक हो, जिससे "निवासियों के जीवन को सुगम बनाया जा सके और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर ऐक्सेस संभव हो सके"। सुशासन के अंतर्गत सभी प्रस्ताव केवल पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाएंगे।

7.4.2 प्रमाणीकरण के दौरान आधार स्थिति में परिवर्तन की अपडेट को अनुरोधकर्ता संस्थाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रावधान: भाविपप्रा ने एयूए और केयूए द्वारा किए गए प्रमाणीकरण के निष्पादन के लिए सुविधा प्रदान की है, जिसमें पहले प्रस्तुत किए गए ऐसे आधार नंबर की स्थिति की अपडेट प्राप्त करना शामिल है, जिसे बाद में हटा दिया गया है या निष्क्रिय कर दिया गया है या पुनः सक्रिय कर दिया गया है। एयूए और केयूए को इस सुविधा

का लाभ लेने के लिए प्राधिकरण के साथ एक अनुपूरक अनुबंध करना होगा और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा। यह प्रावधान आधार (प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 9 के उप-विनियम (3ए) के साथ प्रस्तुत किया गया है। 31 मार्च, 2025 तक; केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाओं, बीएफएसआई और दूरसंचार आधारित संस्थाओं से युक्त 33 एयूए/केयूएएस ने इस सुविधा का लाभ लेने के लिए प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के बाद, सीआईडीआर से मृत लाभार्थियों के आधार का लोप करने में सहायता मिलेगी।

7.4.3 ई-केवाईसी सेतु: राजस्व विभाग द्वारा 6 दिसंबर, 2022 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसरण में, आधार प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम में वित्तीय संस्थाओं को उप-एयूए/उप-केयूए के रूप में तेजी से शामिल करने के लिए ई-केवाईसी सेतु ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें एनपीसीआई मास्टर एयूए/केयूए के रूप में कार्य करेगा। ई-केवाईसी सेतु प्रणाली संस्थाओं को परिचालन संबंधी जटिलताओं को कम करने और आधार डेटा के प्रबंधन के बोझ को कम करने में सहायता करती है। इसके अलावा, यह प्रणाली संस्थाओं को उनके व्यावसायिक उपयोग के आधार पर आधार नंबर और ओटीपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तकनीकी प्लेटफॉर्म चुनने की सुविधा प्रदान करती है। 27 अगस्त, 2024 को पहली संस्था के रूप में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की ऑनबोर्डिंग करना।

7.5 मानव संसाधन प्रभाग की प्रमुख उपलब्धियां

7.5.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 में संशोधन: भाविपप्रा में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, प्राधिकरण के अनुमोदन से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 में संशोधन किए गए।

7.5.2 भाविपप्रा की तकनीकी टीम को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में, देश भर के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों से 24 युवा पेशेवरों का चयन किया गया।

7.5.3 वर्ष 2024-25 के दौरान, मानव संसाधन प्रभाग, भाविपप्रा प्रधान कार्यालय में निम्नलिखित प्रमुख कार्यशालाएं/प्रशिक्षण/कार्यक्रम आयोजित किए गए:

दिनांक	कार्यशाला/प्रशिक्षण/कार्यक्रम
14 जून, 2024	सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए ई-टूल्स के उपयोग पर राजभाषा कार्यशाला का आयोजन ।
12 सितंबर, 2024	टिप्पण एवं प्रारूपण विषय पर राजभाषा कार्यशाला का आयोजन।
20 दिसंबर, 2024	राजभाषा नीतियों, आदेशों और उनके कार्यान्वयन विषय पर कार्यशाला का आयोजन ।
23 अक्तूबर, 2024	"लोक प्रशासन में नैतिकता एवं मूल्य" विषय पर कार्यशाला का आयोजन।
25 अक्तूबर, 2024	"राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंड़ता की संस्कृति" पर कार्यशाला का आयोजन।
21 मार्च, 2025	"राजभाषा नीतियों का कार्यान्वयन एवं विभिन्न रिपोर्टों को भरना" विषय पर कार्यशाला का आयोजन।

7.6 वर्ष 2024-25 में सूचना सुरक्षा प्रभाग की प्रमुख उपलब्धियां

7.6.1 भाविपप्रा ने संगठन में क्रिटिकल सिक्योरिटी इन्फ्रॉस्ट्रक्चर में सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं के लिए डीएससीआई उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया।

7.6.2 भाविपप्रा ने सरकारी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा लीडर के लिए डीएससीआई उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया।

7.7 प्रशासन प्रभाग की प्रमुख उपलब्धियां

7.7.1 प्रशासन प्रभाग की कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

- भाविपप्रा में व्यक्तिगत मोबाइल (एंड्रॉयड वर्जन) पर फेस रिकग्निशन के जरिए उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई है।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित आधार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एएचसी) में गैर-भाविपप्रा कर्मचारियों (इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं मंत्रालय के अधीन संगठन) के लिए क्वाटरों के आवंटन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए जिससे आधार आवासीय परिसर में अधिवास दर में सुधार हो सके। अब तक 43 फ्लैटों का कब्जा लिया जा चुका है।
- भाविपप्रा के आधार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को एकीकृत आवास मूल्यांकन (जीआरआईएचए) के लिए ग्रीन रेटिंग एवं भाविपप्रा, प्रधान कार्यालय भवन को एकीकृत आवास मूल्यांकन (जीआरआईएचए) के लिए अनंतिम चार सितारा ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई
- वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रशासन प्रभाग, भाविपप्रा प्रधान कार्यालय ने राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जिन्हें नीचे तालिका में सूचीबद्ध किया गया है।

दिनांक	कार्यक्रम
05 जून, 2024	विश्व पर्यावरण दिवस
21 जून, 2024	10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
15 अगस्त, 2024	स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण
14 सितंबर, 2024	हिंदी दिवस
14 सितंबर, 2024 से 01 अक्तूबर, 2024	'स्वच्छता ही सेवा' अभियान
02 अक्तूबर, 2024 से 31 अक्तूबर, 2024	स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को न्यूनतम करने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान 4.0
29 अक्तूबर, 2024	आयुर्वेद दिवस का आयोजन
25 नवंबर 2024	19 से 25 नवंबर 2024 तक सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह और झंडा दिवस का आयोजन
26 नवंबर 2024	संविधान दिवस पर्व
01 दिसंबर 2024 से 07 दिसंबर 2024	सशस्त्र सेना झंडा दिवस में योगदान
26 जनवरी 2025	गणतंत्र दिवस का आयोजन
01 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025	स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन (नुक्कड़ नाटक)
08 मार्च 2025	12 मार्च, 2025 को महिला दिवस समारोह का आयोजन

एसडब्ल्यूआईके पोर्टल को लांच करना

भाविपप्रा के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

हिंदी दिवस

संस्थागत स्वच्छता – 2024 के लिए विशेष अभियान 4.0

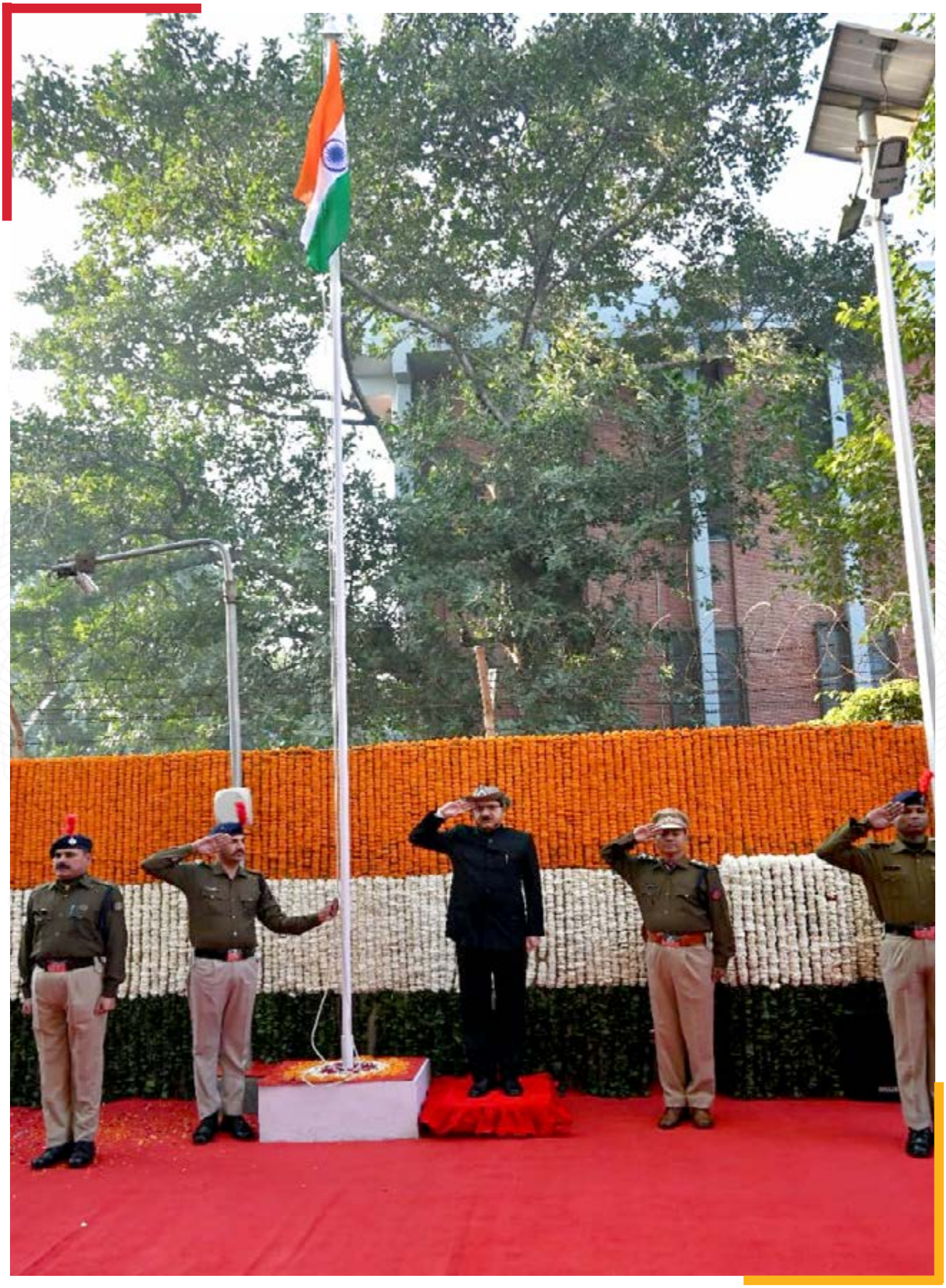

गंणतंत्र दिवस-2025 के अवसर पर ध्वज फहराना

महिला दिवस समारोह

इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का भाविपप्रा में दौरा

भाविपप्रा को डीएससीआई उत्कृष्टता पुरस्कार

आधार आवास परिसर को गृहा (जीआरआईएचए) की चार सितारा रेटिंग

8. भावी योजनाएं

8.1 प्रौद्योगिकी विकास

8.1.1 **ई एंड यू ट्रैकः** भाविपप्रा पहचान दस्तावेजों को सीधे विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापित करने की योजना बना रहा है। आयकर विभाग (सीबीडीटी) और पासपोर्ट प्राधिकरण के साथ एपीआई एकीकरण से पहचान प्रमाण दस्तावेजों का त्वरित और सुरक्षित सत्यापन संभव होगा। महाराष्ट्र के साथ एक पायलट परियोजना नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचनाओं के सत्यापन में भी सहायता करेगी।

आधार डेटाबेस को अद्यतन रखने के लिए, भाविपप्रा भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और गैर-सीआरएस राज्यों से सत्यापित आंकड़ों के आधार पर मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को निष्क्रिय करना जारी रखेगा । इससे डेटा की सटीकता और प्रामाणिकता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

8.1.2 आर एंड ई ट्रैकः भाविपप्रा बाल आधार से नियमित आधार में बदलाव करने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के दौरान माता-पिता दोनों के द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू करेगा। एक समर्पित व्यवस्था एकल-अभिभावक परिवारों की सहायता करेगा। आधार क्लाइंट एप्लिकेशन के लिए रीयल-टाइम मॉनिटरिंग टूल्स की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि समस्याओं का जल्द पता लगाया जा सके और सेवा वितरण में सुधार किया जा सके।

8.1.3 इंजीनियरिंग ट्रैक संवर्द्धनः भाविपप्रा के पास, नामांकन सर्वर, जो सभी नामांकन और अद्यतन अनुरोधों के प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी मुख्य प्रणाली है, को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध महत्वपूर्ण विकास संसाधन हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य अनुरोध प्रसंस्करण में पूर्वानुमान और विश्वसनीयता को लाना है, साथ ही पिछले एक दशक के संचालन में संचित तकनीकी ऋण का समाधान करना है। यह उन्नयन प्लेटफॉर्म को क्लाउड-नेटिव डिजाइन सिद्धांतों के अनुरूप भी बनाता है, जिससे मापनीयता, रखरखाव और प्रदर्शन में सुधार होता है।

उद्योग जगत के भागीदारों के सहयोग से, भाविपप्रा ने नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया पर फीडबैक एकत्र करने और संभावित धोखाधड़ी की स्थिति में निवासियों को रीयल-टाइम अलर्ट जारी करने के लिए एक एआई-संचालित वॉइस बॉट विकसित किया है। हालांकि, यह अभी शुरूआती चरण में है, लेकिन यह समाधान एक सुरक्षित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने की प्रबल क्षमता प्रदर्शित करता है।

8.1.4 नवाचार: डिजिटल ऐक्सेस के संवर्धन के एक अंश के रूप में, भाविपप्रा, ई-साइनेट मॉड्यूल का उपयोग करते हुए एक अटूट आधार लॉगिन सुविधा शुरू करने के लिए मोसिप (एमओएसआईपी) के साथ कार्य कर रहा है। ओपनआईडी कनेक्ट प्रोटोकॉल पर निर्मित, यह सुविधा उपयोगकताओं को ओटीपी या फिंगरप्रिंट या चेहरा जैसे बायोमेट्रिक्स के माध्यम से आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके वेबसाइटों पर लॉगिन करने की अनुमति देगी । इससे कई क्रेडेंशियल्स पर निर्भरता कम होगी और लॉगिन अनुभव अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। केवल उपयोगकर्ता द्वारा सहमति प्राप्त डेटा ही सेवा प्रदाता के साथ साझा किया जाएगा, जिससे गोपनीयता और नियंत्रण सुनिश्चित होगा।

भाविपप्रा, आईआईटी-बॉम्बे के सहयोग से, मोबाइल फोन कैमरों के उपयोग द्वारा एक संपर्क रहित फिंगरप्रिंट कैप्चर समाधान विकसित कर रहा है। इस नवाचार का उद्देश्य बिना किसी भौतिक स्पर्श के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को सक्षम बनाना है, जिससे स्वच्छता और सुविधा सुनिश्चित हो सके। यह परियोजना लाइवनेस डिटेक्शन और उच्च-गुणवत्ता वाली इमेज कैप्चर जैसी सुविधाओं पर केंद्रित है, और वर्तमान में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) चरण में है। अंततः पहुँच बढ़ाने के लिए एसडीके के माध्यम से इस समाधान को आधार मोबाइल ऐप में एकीकृत किया जाएगा।

एसआईटीएए (आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु योजना): भाविपप्रा, आधार से जुड़े नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एसआईटीएए नामक एक कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया में है। कार्यनीतिक साझेदारियों के जरिए, इस योजना का उद्देश्य एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा पहचान के समाधान तैयार करने में स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों का समर्थन करना है। पाँच वर्षों में न्यूनतम 50 स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लक्ष्य के साथ, एसआईटीएए आईडी तकनीक के इर्द-गिर्द एक सक्रिय ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण, इनक्यूबेशन और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

8.2 प्रौद्योगिकी प्रचालन

8.2.1 प्रमाणीकरण ट्रैक: एसडब्ल्यूआईके नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों के साथ, भाविपप्रा ने सरकारी संगठनों से परे संस्थाओं को भी शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया है। इस समावेशी कदम से संव्यवहार की मात्रा में वृद्धि और उपयोगकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के बढ़ने की संभावना है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, भाविपप्रा अपनी प्रमाणीकरण अवसंरचना का विस्तार कर रहा है, जिससे प्रति डेटा केंद्र प्रतिदिन 10 करोड़ से 20 करोड़ संव्यवहार की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। इस उन्नयन में एप्लिकेशन सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्क उपकरण और सुरक्षा मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर का संवर्धन शामिल हैं। ये सुधार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि सिस्टम अधिक विविध और उच्च-मात्रा वाले ईकोसिस्टम में सुरक्षित, तन्यक और उच्च-निष्पादन वाला बना रहे।

8.2.2 बायोमेट्रिक्स ट्रैक: जैसे-जैसे भाविपप्रा भारत के पहचान अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके भावी बायोमेट्रिक रोडमैप की आधारशिला, अपना स्वयं का एबीआईएस (आधार बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली) - एक पूर्णतः स्वदेशी, एआई/एमएल-संचालित बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन इंजन विकसित करना है। उद्योग-अग्रणी परिशुद्धता के साथ 2 अरब रिकॉर्डों की गैलरी के आकार को संभालने के लिए डिजाइन किया गया, एबीआईएस पहचान प्रबंधन में आत्मनिर्भरता, मापनीयता और बुद्धिमत्ता के लिए भाविपप्रा के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दशार्ता है। इस प्रणाली का उद्देश्य उच्च गति से डी-डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी का पता लगाना है, जिससे यह आधार -आधारित सेवाओं की अगली पीढ़ी के लिए एक मूलभूत स्तर बन सके ।

एबीआईएस ईकोसिस्टम को विभिन्न विशिष्ट मॉडलों के साथ निर्मित

किया जा रहा है ताकि सभी तौर-तरीकों, अर्थात फिंगरप्रिंट, चेहरे और आईरिस में बायोमेट्रिक सटीकता और प्रामाणिकता में वृद्धि की जा सके। प्रमुख नवाचारों में गहन शिक्षण-आधारित फिंगरप्रिंट विभाजन, गुणवत्ता मूल्यांकन और जीवंतता का पता लगाना शामिल हैं। अंततः, एबीआईएस केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि एक तन्यक, भावी-तैयार बायोमेट्रिक बैकबोन की दिशा में एक कार्यनीतिक बदलाव है।

8.2.3 ऑपरेशन ट्रैक: भाविपप्रा वर्तमान में अपटाइम इंस्टीट्यूट बेंगलुरु और मानेसर दोनों डेटा केंद्रों से डिजाइन और सुविधा के लिए टियर III प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। भाविपप्रा तेज रिकवरी प्रचालन के लिए और अतिरेक, तन्यकता और व्यावसायिक निरंतरता को बढ़ाने के लिए एक तीसरा, भौगोलिक रूप से निकटवर्ती डेटा केंद्र (डीसी के समीप) स्थापित करने पर भी कार्य कर रहा है। ये सभी पहल मिलकर डेटा केंद्र प्रचालन और व्यावसायिक निरंतरता योजना में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक मजबूत, मापनीय और तन्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

इसके अलावा, ऑपरेशंस ट्रैक भाविपप्रा के प्राइवेट क्लाउड अवसंरचना के कार्यनीतिक उन्नयन पर कार्य कर रहा है ताकि क्लाउड निष्पादन, मापनीयता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाया जा सके। ओपनस्टैक परिवेश के संदर्भ में , बेहतर कार्यनिष्पादन, स्थिरता और सुरक्षा के लिए उबंटू को जैमी (22.04) में अपग्रेड करने के साथ, उसुरी से योगा तक प्रगति की जा रही है ।कंटेनरीकृत वर्कलोड के लिए, बेहतर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, नेटवर्किंग और सुरक्षा के लिए कुबेरनेट्स को v1.31 में अपग्रेड करने की योजना है।

डेटा प्लेसमेंट, मापनीयता और रिकवरी स्पीड को बढ़ाने के लिए भाविपप्रा के सॉफ्टवेयर की परिभाषित स्टोरेज, सेफ को ऑक्टोपस से क्यूंसी में अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह, वितरित ट्रेसिंग के लिए जैगर परिनियोजित करना और तेज व आसान लॉग प्रबंधन के लिए लॉग्सडीबी इंडेक्स विधि के साथ इलास्टिक स्टैक को 8.17.X में अपग्रेड किया जा रहा है।

भाविपप्रा एआई और उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग वर्कलोड जैसे एनःएन डी-डुप्लीकेशन के लिए इन-हाउस एआई/एमएल मॉडल, स्वदेशी एबीआईएस का विकास आदि को सहायता देने के लिए एक जीपीयू-संचालित प्लेटफॉर्म बनाने की प्रक्रिया में है।

ये नियोजित उन्नयन भाविपप्रा को संवर्धित डिजिटल पहचान मांगों को पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, सुरक्षित और भावी-तैयार अवसंरचना से संसाधित करेंगे।

8.3 अधिप्रमाणन प्रभाग

8.3.1 **सुशासन के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग के अन्यत्र अन्य संस्थाओं की ऑनबोर्डिंग** : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान - एसडब्ल्यूआईके) नियम, 2020 में 31.01.2025 से संशोधन किया है, ताकि मंत्रालय या विभाग के अन्यत्र संस्थाएं, जो राज्य के हित में किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए आधार प्रमाणीकरण उपयोग करने के इच्छुक हैं, जिससे "निवासियों के जीवन को सुगम और उनको सेवाओं की ऐक्सेस करने में समर्थ बनाया जा सके" वे एसडब्ल्यूआईके वेब पोर्टल पर यूआईडीएआई के साथ ऑनबोर्डिंग के लिए अनुरोध कर सकती हैं। इस पहल के माध्यम से भाविपप्रा ने सुशासन के लिए आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(4)(बी)(ii) के तहत गैर-सरकारी संस्थाओं की ऑनबोर्डिंग में बढ़ोतरी पर ध्यान केंद्रित किया है।

8.3.2 **आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) में राज्य और जिला सहकारी बैंकों की ऑनबोर्डिंग :** राज्य और जिला सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) में एकीकरण भारत सरकार के सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है। भारत सरकार के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाविपप्रा ने सहकारिता मंत्रालय, एनपीसीआई और नाबार्ड के साथ एईपीएस में राज्य और जिला सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को शामिल करने की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए एक नीति तैयार की है। इसका उद्देश्य इन संस्थानों, ई - केवाईसी और एईपीएस सहित आधार -आधारित प्रमाणीकरण सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है ताकि ग्राहकों को शामिल किया जा सके और सुरक्षित कुशल और

पारदर्शी माध्यमों से वित्तीय सेवाएं प्रदान की जा सके, खासकर ग्रामीण और वंचित आबादी को।

8.3.3 **विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं एवं सेवाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के प्रमाणीकरण के लिए आधार-समर्थित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण प्लेटफॉर्म के साथ एक एकीकृत एप्लिकेशन का विकास:** भाविपप्रा, एनआईसी के सहयोग से एक प्लग-एंड- प्ले मोबाइल-आधारित एकीकृत एप्लिकेशन विकसित करने की योजना बना रहा है, जो आधार-समर्थित लाभार्थी प्रमाणीकरण/ई-केवाईसी संव्यवहार प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। यह ऐप केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं के लिए लाभार्थी सत्यापन को सुप्रवाही बनाने में सहायता करेगी। यह ऐप एनआईसी एयूए/एएसए ढांचे के तहत प्रचालन करेगी और चेहरा प्रमाणीकरण का समर्थन करेगी। यह प्लेटफॉर्म एक ही मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस) के रूप में उपलब्ध होगा और इसमें कई सरकारी योजनाओं/सेवाओं का समर्थन करने के लिए एक स्केलेबल डिजाइन होगा।

8.3.4 लेखापरीक्षा ढांचा: भाविपप्रा संस्थाओं को शामिल करने के लिए विद्यमान लेखापरीक्षा जांच-सूची को संशोधित करने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित संशोधित जांच-सूची नीचे दी गई है -

विवरण	विद्यमान जांच-सूची	प्रस्तावित जांच-सूची
ऑनबोर्डिंग लेखापरीक्षा	127 नियंत्रण	77 नियंत्रण + 37 उपक्रम
उप-एयूए/उप-केयूए	111 नियंत्रण	58 नियंत्रण + 24 उपक्रम
एएसए – पूर्व-ऑनबोर्डिंग (नई जांच-सूची)	--	60 नियंत्रण
एएसए – ऑनबोर्डिंग	87 नियंत्रण	102 नियंत्रण

लेखापरीक्षा जांच-सूची में संशोधन के उपरांत, संस्थाओं की ऑनबोर्डिंग पहले की तुलना में बहुत कम समय में की जा सकेगी।

8.3.5 **सरकारी संस्थाओं के साथ संव्यवहार करने के लिए ई-साइन सेवा प्रदाताओं (ईएसपी) को अतिरिक्त एयूए कोड का आवंटन:** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) विभिन्न सरकारी और व्यावसायिक लेनदेन में दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और ई-हस्ताक्षर को अपनाने को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक कार्यालय (सीसीए), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 07.07.2020 को परिपत्र फा.सं.12(04)/2014-सीसीए(पार्ट.5) जारी किया। इस परिपत्र में सभी लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरणों (सीए), जिन्हें ई-साइन सेवा प्रदाता (ईएसपी) भी कहा जाता है, को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(4)(बी)(i) के तहत अनुमत ई-साइन के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए सूचित किया गया है।

31.03.2025 के अनुसार, भाविपप्रा ने आधार ईकोसिस्टम में एयूए/केयूए के रूप में आठ (8) सीए को ऑनबोर्ड किया है। ये सीए विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों को ई-साइन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये सेवाएं या तो अपने स्वयं के एयूए कोड का उपयोग करके या इस संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर अतिरिक्त एयूए कोड प्रदान करके प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, आधार (प्रमाणीकरण के निष्पादन हेतु शुल्क का भुगतान) विनियम, 2023 के विनियम 3 के उप-विनियम (3) के खंड (ग) के अनुसार, केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा या उनकी ओर से प्रमाणीकरण सुविधा के उपयोग के संबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अधिकांश सरकारी संस्थाएं इन सीए की ई-केवाईसी आधारित ई-साइन सेवाओं का उपयोग कर रही हैं। हालांकि, विद्यमान प्रणाली के साथ यह निम्नलिखित कारणों से चुनौतीपूर्ण हो रहा है:

1. संबंधित सीए के अंतर्गत ई-साइन सेवाएं प्राप्त करने वाली प्रत्येक सरकारी संस्था के लिए एक अलग एयूए कोड और लाइसेंस कुंजी आवंटित करना, जिसके परिणामस्वरूप एकल सीसीए संस्था के साथ कई एयूए कोड और लाइसेंस कुंजी होंगी।

2. इन सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए संव्यवहार पर कोई प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध नहीं है। भाविपप्रा इन सरकारी संस्थाओं के मासिक संव्यवहार विवरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सीए पर निर्भर है, जो प्रमाणीकरण निष्पादन के लिए शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में, पारदर्शिता बढ़ाने, दृश्यता में सुधार लाने और सरकारी संस्थाओं के साथ संव्यवहार प्रबंधन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, भाविपप्रा प्रत्येक सीए को उनके विद्यमान एयूए/केयूए कोड के अतिरिक्त, विशेष रूप से सरकारी संस्थाओं की ओर से ई-साइन संव्यवहार करने के लिए एक अतिरिक्त एयूए/केयूए कोड और एक लाइसेंस कुंजी आवंटित करने की योजना बना रहा है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित सीए प्रत्येक सरकारी संस्था के लिए संव्यवहार आईडी में एक विशिष्ट पहचानकर्ता लागू करेगा। इससे भाविपप्रा बैकएंड, अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा दी गई संव्यवहार आईडी के आधार पर बीआई/बिलिंग रिपोर्ट तैयार करते समय संस्था- विशिष्ट उपयोग के मामलों को अलग कर सकेगा।

8.3.6 आधार प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम के अंतर्गत ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन : वर्तमान में, भाविपप्रा ईकोसिस्टम पर किसी संस्था की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, जिसमें आवेदन की स्थिति, लाइसेंस शुल्क, बैंक गारंटी आदि की निगरानी शामिल है, मैनुअल रूप से की जाती है। यह न केवल समय लेने वाली प्रक्रिया है, बल्कि अकुशल भी है क्योंकि प्राप्त आवेदनों की स्थिति की वास्तविक समय पर कभी मॉनीटरिंग नहीं होती है, और न ही प्राप्त आवेदनों की स्थिति देखने के लिए कोई डैशबोर्ड उपलब्ध है। इसलिए, आवेदनों के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए, लेखा एवं प्रसारण प्रभाग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर समाधान/वेब पोर्टल के माध्यम से एक केंद्रीकृत और स्वचालित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया लागू करने की योजना बना रहा है।

कार्यान्वयन के उपरांत इसका लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

- ऑनबोर्डिंग आवेदन प्रस्तुत करने और आवेदक को उसकी स्थिति देखने के लिए एक विशिष्ट प्लेटफार्म को समर्थ बनाना
- ऐप्लिकेशन प्रोसेसिंग के समय को कम करना और समग्र प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना
- विभिन्न चरणों में ऐप्लिकेशन मामलों की मॉनीटरिंग और ट्रैकिंग में सहायता करना
- प्रश्नों/शिकायतों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करना
- ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में शामिल मैनुअल आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और संसाधनों पर निर्भरता को कम करना , जिसे आवेदक और भाविपप्रा द्वारा किसी भी समय और कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है
- एक ही योजना के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने और समीक्षा प्रक्रियाओं को एकीकृत और सुव्यवस्थित करना।
- परस्पर संवादात्मक डैशबोर्ड के जरिए वास्तविक समय डेटा को दशार्ना और ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं से संबंधित विश्लेषण

8.3.7 प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम (एयूए/केयूए) समर्थन और ऑनबोर्डिंग के लिए एक एआई-समर्थित चैटबॉट लांच करना: जैसे-जैसे संभावित और विद्यमान एयूए/केयूए की संख्या बढ़ रही है, भाविपप्रा से समय पर, सुसंगत और मापनीय कार्यों की मांग भी बढ़ रही है। वर्तमान में, भागीदारों–विशेषकर नए प्रवेशकों–के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया और प्रश्नों के समाधान के लिए अधिप्रमाणन प्रभाग से महत्वपूर्ण मैन्युअल हस्तक्षेप और समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप देरी, सूचना अंतराल और परिचालन ओवरहेड में वृद्धि हो सकती है। इस बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने और संभावित और मौजूदा ईकोसिस्टम भागीदारों, दोनों के लिए ऑनबोर्डिंग और समर्थन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, भाविपप्रा ने प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम को समर्पित एक एआई-समर्थित चैटबॉट लांच करने की योजना बनाई है।

यह चैटबॉट:

1. एयूए/केयूए और सब-एयूए के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पर चरणवार मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

2. अनुपालन, दस्तावेजीकरण, एकीकरण आवश्यकताओं, परीक्षण, एसएलए और नीति दिशानिदेर्शों से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का समाधान करेगा।

3. सेवा-संबंधी प्रश्नों, तकनीकी समस्या निवारण, एस्केलेशन प्रोटोकॉल आदि पर सहायता प्रदान करने के द्वारा ऑनबोर्डिंग के बाद भागीदारों के लिए स्वयं-सेवा की सुविधा प्रदान करेगा।

4. सुगम ऐक्सेस और उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए यूआईडीएआई के आधिकारिक पोर्टल और भागीदार-संबंधी प्रणालियों में एकीकृत करेगा।

5. प्रासंगिक और सटीक बने रहने के लिए गुमनाम ऐतिहासिक प्रश्नों और विकसित होती नीति एवं तकनीकी दिशानिदेर्शों के उपयोग द्वारा निरंतर प्रशिक्षित करेगा।

8.4 मानव संसाधन विकास

8.4.1 **प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन:** प्रचालन दक्षता बढ़ाने और निर्णयन प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए, मानव संसाधन प्रभाग प्रशासनिक शक्तियों के संरचित प्रत्यायोजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय और विभागीय प्रमुखों को परिभाषित प्रशासनिक अधिकार प्रदान करना है, जिससे नियमित अनुमोदनों के लिए केंद्रीय कार्यालय पर निर्भरता कम हो।

8.4.2 प्रशिक्षण: मानव संसाधन प्रभाग कर्मचारियों को संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने के द्वारा सीखने की प्रथाओं को बढ़ावा दे रहा है। सभी स्तरों पर उच्चतर नियुक्ति और कौशल संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान, नियमित पत्र-व्यवहार और संरचित नामांकन सहित विभिन्न पहल शुरू की गई हैं। इस प्रतिबद्धता के तहत, सभी सरकारी कर्मचारियों को अब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आईजीओटी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) मॉड्यूल में सफलतापूर्वक शामिल किया गया है, जिसमें व्यवहारिक दक्षताओं, कार्यात्मक कौशल और डोमेन ज्ञान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है।

8.4.3 केंद्रीकृत अभिगम एवं विशेषाधिकार निगरानी प्रणाली (कैप्स): भाविपप्रा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से, एक केंद्रीकृत अभिगम एवं विशेषाधिकार निगरानी प्रणाली (कैप्स) का सक्रिय रूप से विकास कर रहा है। इस प्रणाली को यूआईडीएआई से जुड़े सभी कर्मियों, जिनमें प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी, संविदा कर्मचारी, और तकनीकी, लिपिकीय एवं गुणवत्ता-संबंधी भूमिकाओं में कार्यरत अन्य संसाधन शामिल हैं, के लिए ऑनबोर्डिंग और डी-बोर्डिंग प्रक्रियाओं को मानकीकृत और डिजिटल बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है।

9. वित्तीय कार्य-निष्पादन

9.1 भाविपप्रा निधि

9.1.1 भारत के लिए डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पर न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार, भाविपप्रा की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग भाविपप्रा निधि का गठन किया गया। आधार अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा 25 भाविपप्रा निधि को निम्नानुसार उपबंधित करती है:

"25(1) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा-

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; तथा

(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां, जिनका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए होगा-

(क) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है; तथा

(ख) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय।"

9.1.2 उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए "भाविपप्रा निधि" नामक एक निधि का गठन किया गया

9.2 बजट एवं व्यय

9.2.1 भाविपप्रा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से सहायता अनुदान (जीआईए) के तीन शीर्षों में नामतः सहायता अनुदान - सामान्य, सहायता अनुदान - पूंजीगत और सहायता अनुदान - वेतन के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करता है। वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 का बजट आकलन/संशोधित आकलन के तहत बुक किए गए व्यय का विवरण तालिका 12 पर देखा जा सकता है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट और व्यय का सारांश तालिका 13 पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बजट आकलन/संशोधित आकलन के तहत बुक किए गए व्यय संबंधित विवरण भाविपप्रा की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

9.2.2 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का बजट आकलन (बीई) और संशोधित आकलन (आरई) दोनों के लिए ₹600.00 करोड़ था। 2024-25 के दौरान कुल अनुदान ₹600.00 करोड़ का खर्च किए गए। हालाँकि, भाविपप्रा की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्राप्तियों से ₹686.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

9.2.3 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 600.00 करोड़ रुपए के बजट आकलन (बीई) को मंजूरी दी गई।

9.2.4 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में 01 जून, 2021 से ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत भाविपप्रा के बैंक खाते में अनुदान जारी करने के बजाय, आरबीआई में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के खाते के समक्ष टीएसए सिस्टम के जरिए अनुदान आवंटित कर रहा है।

तालिका 12 -2015-16 से 2024-25 तक बजट आकलन/संशोधित आकलन के तहत बुक किए गए व्यय का विवरण

वर्ष	बजट आकलन (रुपए करोड़ में)	संशोधित आकलन (रुपए करोड़ में)	वास्तविक व्यय (रुपए करोड़ में)
2015-16	2,000.00	1,880.93	1,680.44
2016-17	1,140.00	1,135.27	1,132.84
2017-18	900.00	1,150.00	1,149.38
2018-19	1,375.00	1,345.00	1,181.86
2019-20	1,227.00	836.78	856.13@
2020-21	985.00	613.00	893.27#
2021-22	600.00	1,564.97	1,564.54
2022-23	1110.00	1220.00	1634.44*
2023-24	940.00	800.00	1396.22*
2024-25	600.00	600.00	1286.36*

@ पिछले वर्ष के अव्ययित शेष से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की गई।

 # अतिरिक्त व्यय की पूर्ति पिछले वर्ष के अव्ययित शेष एवं भाविपप्रा की आय से की गई। वर्ष 2021-22 में जीआईए-पूंजी और जीआईए-वेतन के तहत शेष ₹ 13.04 करोड़ का अव्ययित अनुदान ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली के रूप में सीएफआई को प्रेषित किया गया।

** अतिरिक्त व्यय भाविपप्रा निधि से पूरा किया गया।*

तालिका 13 - वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट और व्यय का सारांश

अनुदान शीर्ष	बीई 2024-25 (करोड़ रुपए में)	आरई 2024-25 (करोड़ रुपए में)	31.03.2025 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायता अनुदान - सामान्य	417.00	417.00	1047.85
सहायता अनुदान - पूंजीगत	122.90	122.90	176.86
सहायता अनुदान - वेतन	60.10	60.10	61.65
कुल सहायता - अनुदान	**600.00**	**600.00**	**1286.36***

** अतिरिक्त व्यय भाविपप्रा निधि से पूरा किया गया।*

ग्राफ 14 - 2015-16 से 2024-25 तक बीई/आरई के तहत बुक किए गए व्यय का विवरण

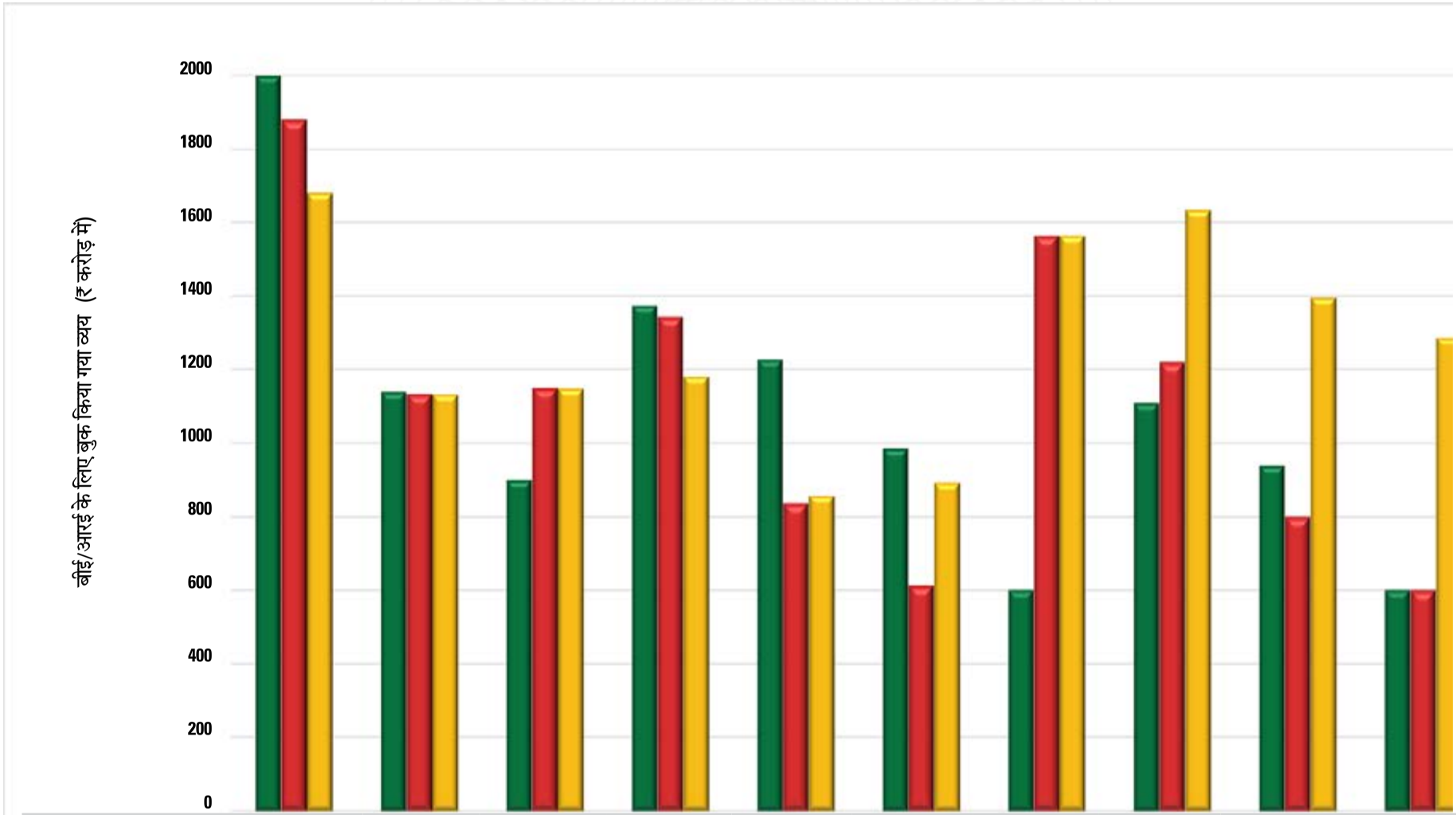

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	2,000.00	1,140.00	900.00	1,375.00	1,227.00	985.00	600.00	1,110.00	940.00	600.00
संशोधित अनुमान (₹ करोड़ में)	1,880.93	1,135.27	1,150.00	1,345.00	836.78	613.00	1,564.97	1,220.00	800.00	600.00
वयय (₹ करोड़ में)	1,680.44	1,132.84	1,149.38	1,181.86	856.13	893.27	1,564.54	1,634.44	1396.22	1286.36

9.3 सेवाओं से प्राप्तियां

भाविपप्रा ईकोसिस्टम में नामांकन एवं अद्यतन, अधिप्रमाणन, संभारिकी, ग्राहक संबंध प्रबंधन, प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन शामिल हैं तथा तदनुसार, भाविपप्रा की अधिकांश प्राप्तियां निम्नलिखित खंडों/सेवाओं में आती हैं :-.

- अधिप्रमाणन सेवाएं (हाँ/नहीं या ईकेवाईसी आधारित अधिप्रमाणन सेवाएं)
- केयूके/केयूए/एएसए से लाईसेंस फीस शुल्क
- नामांकन एवं अद्यतन सेवाएं (भाविपप्रा के अपने आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से)
- स्व-सेवा अद्यतन पोर्टल
- पीवीसी कार्ड सेवा

सेवाओं से उपरोक्त प्राप्तियों के एक अंश को ब्याज वाले खाते में रखा जाता है। वर्ष 2024-25 में विभिन्न सेवाओं से प्राप्त रसीदें तालिका 14 में दी गई हैं।

तालिका 14 - वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सेवाओं से हुई प्राप्तियों का विवरण

वर्ष	अधिप्रमाणन सेवाएं (करोड़ ₹ में)	लाइसेंस फीस (करोड़ ₹ में)	आधार सेवा केंद्र (करोड़ ₹ में)	पीवीसी कार्ड (करोड़ ₹ में)	एसएसयूपी (करोड़ ₹ में)	ब्याज से आय (करोड़ ₹ में)	अन्य आय (करोड़ ₹ में)	कुल (करोड़ ₹ में)
2024-25	709.79	33.47	69.68	6.46	105.48	193.11	6.99	**1124.98**

ग्राफ 15 – वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सेवाओं से हुई प्राप्तियों का विवरण

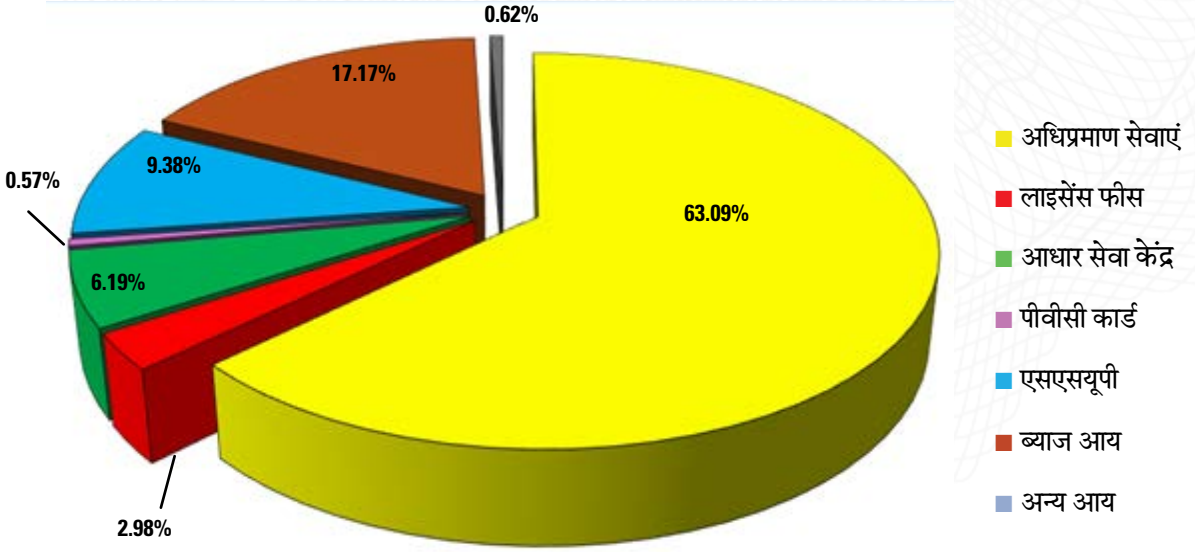

10. वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का लेखापरीक्षित विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की राय

सीएजी की राय

हमने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण तथा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम, 2016), की धारा 26 (2), आधार और अन्य कानून (संशोधित) अध्यादेश, 2019 (2 मार्च, 2019) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा शामिल है। इन वित्तीय विवरण में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापनाओं/शाखाओं के खाते शामिल हैं।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, लेखांकन की श्रेष्ठ परिपाटियों के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधियों, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देन और दक्षता-सह-कार्यनिष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हो, के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

हमारी राय में, लेखांकन नीतियों और उन पर टिप्पणियों तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो अनुवर्ती है, में उल्लिखित मामलों के साथ पठित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वित्तीय विवरण, 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार यूआईडीएआई की वित्तीय स्थिति का तथा लेखा के एकरुपी फार्मेट/भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के लिए लागू फार्मेट के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके कार्यनिष्पादन और इसके नकदी प्रवाह के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा संबंधी विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देश/मार्गदर्शी टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार की है। हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में भी किया गया है। हम वित्तीय विवरण की अपनी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, सामान्यतया भारत में स्वीकार्य स्वायत्त निकाय/लेखांकन मानकों के लिए लागू प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और उचित प्रस्तुति और आंतरिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है क्योंकि प्रबंधन निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरण की तैयारी को सक्षम करने के लिए यह आवश्यक है और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा विनियम/मानक/मैनुअल/दिशानिर्देश/मार्गदर्शन-नोट/आदेश/परिपत्र आदि के अनुसार हमारी राय शामिल है।.

ह0/-

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एवं उनकी ओर से

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

(वित्त और संचार)

स्थानः दिल्ली

दिनांक : 31.10.2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

क. तुलन-पत्र

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 7) – 336.11 करोड़ रुपए

उपरोक्त शीर्ष में वेंडरो से संबंधित तीन लेनदेन के संबंध में बनाए गए प्रावधानों पर कटौती किए जाने वाले टीडीएस के खातों में 0.74 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप सांविधिक टीडीएस देनदारियों को कम दशार्या गया है और उसी सीमा तक देय राशि/व्यय का अधिक विवरण दशार्या गया है।

ख. सामान्य टिप्पणी

भाविपप्रा ने पूर्व अवधि व्यय शीर्षक से प्रावधानों को उलटकर खाते पर आय को कम किया है। पूर्व अवधि आय के लिए एक पृथक शीर्षक मौजूद होने के कारण, आय और व्यय को कम करने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही, यह लेखांकन नीति संख्या 7.3 का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि व्यय और पूर्व अवधि आय को 27.75 करोड़ रुपए को कम दशार्या गया है।

ग. प्रबंधन पत्र

इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें निवारक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया जाएगा।

घ. आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन:

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को जवाबदेही दायित्वों को पूरा करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने, कानूनों और नियमों का अनुपालन करने, नैतिक, आर्थिक, कुशल और प्रभावी तरीके से व्यवस्थित संचालन करने और परिसंपत्तियों को नुकसान से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यूआईडीएआई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं पाई गई, और यह देखा गया कि लेखांकन सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह देखा गया कि यूआईडीएआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा नहीं है। ऑडिट ट्रेल का न होना, वित्तीय डेटा में परिवर्तनों का पता लगाने की क्षमता को सीमित करता है, फलस्वरूप पारदर्शिता कम होती है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण कमजोर होता है। इससे अनदेखी त्रुटियों या अनियमितताओं का जोखिम बढ़ सकता है।

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावकारिता के संबंध में आश्वासन प्रदान करने के लिए नियमित अंतराल पर आंतरिक लेखापरीक्षा/खातों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। अनियमितताओं का पता लगाने, सांविधिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना, और सार्वजनिक निधियों की सुरक्षा के लिए समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा एक आवश्यक निवारण तंत्र है। प्रधान कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा केवल जुलाई 2023 तक की गयी, तथा लेखापरीक्षा की तिथि तक कोई अनुवर्ती लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

(iii) अचल परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, यूआईडीएआई प्रधान कार्यालय की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन अप्रैल 2025 के दौरान किया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा के संज्ञान में यह आया कि आईटी और गैर-आईटी परिसंपत्तियों के लिए अचल परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव जीएफआर के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से, परिसंपत्तियों की लागत, आपूर्तिकर्ता की जानकारी और प्रापण की तिथि जैसे मुख्य विवरण रजिस्टर में सभी प्रविष्टियों के लिए उपलब्ध नहीं थे। मानक दस्तावेजीकरण प्रारूपों का यह गैर-अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता को कमजोर करता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि अचल परिसंपत्ति रजिस्टर निर्धारित प्रारूप के अनुसार बनाए रखा जाए। इसके अतिरिक्त, सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए रजिस्टर में दर्ज परिसंपत्तियों की कुल लागत वित्तीय विवरण का, अनुसूची 8 (अचल परिसंपत्ति) के साथ मिलान किया जाना चाहिए।

(iv) वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली:

वित्तीय विवरणों के अनुसार कोई वस्तुसूची (इनवेंटरी) नहीं है।

(v) सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता:

लेखापरीक्षा ने पाया कि सांविधिक दायित्वों का निर्वहन समय पर किया जा रहा था।

ङ अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹600 करोड़ के सहायता अनुदान में से, संगठन ने 31 मार्च, 2025 तक अनुदान की पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया है।

ह0/-

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

(वित्त और संचार)

स्थानः दिल्ली

दिनांक : 31.10.2025

फॉर्म-क

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	देयताएं			
1	समग्र /पूंजीगत निधि	1	14,88,56,69,229.83	14,15,77,55,929.74
2	भाविपप्रा निधि	1A	23,02,96,61,640.45	18,15,79,93,293.14
3	आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
4	निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-
5	प्रतिभूत ऋण और उधारी	4	-	-
6	अप्रतिभूत ऋण और उधारी	5	-	-
7	आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
8	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	3,36,10,51,318.47	4,38,69,55,981.27
	योग		**41,27,63,82,188.75**	**36,70,27,05,204.15**
	आस्तियां			
1	अचल आस्तियां	8	10,36,66,07,816.63	11,26,02,23,049.76
2	निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	-	-
3	अन्य निवेश	10	-	-
4	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	30,90,97,74,372.12	25,44,24,82,154.39
5	विविध व्यय (उस सीमा तक जहां उसे बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
	योग		**41,27,63,82,188.75**	**36,70,27,05,204.15**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियाँ	26		

नोटः- तुलन पत्र की सभी अनुसूचियां खाते का अंश होंगी।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	उपमहानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक : 30 जून 2025
स्थानः नई दिल्ली

फॉर्म - ख

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	आय			
1	सेवाओं से आय	12	9,40,02,18,979.81	8,27,17,86,091.41
2	अनुदान/सब्सिडी	13	4,77,10,00,000.00	6,54,21,00,000.00
3	शुल्क/अभिदान	14	33,47,18,255.84	33,94,55,782.00
4	निवेश से आय निधि में अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15	-	-
5	रॉयल्टी,प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
6	अर्जित ब्याज	17	1,93,10,40,053.36	1,45,40,63,934.00
7	अन्य आय	18	6,98,84,430.82	3,56,29,639.92
8	तैयार सामग्रियों और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
	योग (क)		**16,50,68,61,719.83**	**16,64,30,35,447.33**
	व्यय			
1	स्थापना व्यय	20	65,69,31,797.32	66,81,13,088.36
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	85,57,66,410.98	66,79,29,796.66
3	परिचालन व्यय	22	8,68,53,28,205.16	9,09,84,24,663.66
4	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	23	-	-
5	ब्याज	24	-	-
6	मूल्यह्रास (साल के अंत में नेट योग - अनुसूची-8 के तदनुरूप)		1,92,52,36,118.42	1,46,22,44,074.77
	योग (ख)		**12,12,32,62,531.88**	**11,89,67,11,623.45**
	व्यय पर आय के अतिरिक्त शेष राशि (ग) = (क-ख)		**4,38,35,99,187.95**	**4,74,63,23,823.88**
	पूर्व अवधि व्यय (घ)		3,64,97,372.72	(34,28,75,749.53)
	पूर्व अवधि आय (ङ)		(45,08,545.78)	6,99,59,845.14
	पूर्व अवधि के अन्य समायोजन (च)		-	-

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	भाविपप्रा निधि को हस्तांतरण (छ)		**11,73,58,61,719.83**	**10,10,09,35,447.33**
	विशेष आरक्षित में हस्तांतरण(प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)		-	-
	सामान्य आरक्षित से/ को हस्तांतरण		-	-
	अधिशेष के तौर पर शेष/ (घाटा) समग्र निधि को अग्रेणीत (ज)		**(7,39,32,68,450.38)**	**(4,94,17,76,028.78)**
	ज = (ग - घ + ङ+ च - छ)			
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां	26		

नोटः- *आय और व्यय खाते की सभी अनुसूचियां खाते का अंश होंगी।*

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	**उपमहानिदेशक**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

दिनांक : 30 जून 2025
स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म - ग

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	प्राप्तियाँ		
1	प्रारंभिक शेष		
	क. नकदी शेष	36,91,803.00	42,36,914.00
	ख. बैंक शेष		
	i. चालू खातों में	20,69,98,593.70	(9,03,71,966.91)
	ii. जमा खातों में	20,29,48,99,776.46	15,52,45,61,982.84
	iii. बचत खाते	-	-
	iv. अन्य समायोजन	-	-
2	प्राप्त अनुदान / सब्सिडी		
	क. भारत सरकार से		
	i. अनुदान सहायता : सामान्य	4,17,00,00,000.00	5,86,08,00,000.00
	ii. अनुदान सहायता : वेतन	60,10,00,000.00	68,13,00,000.00
	iii. अनुदान सहायता : पूंजी	1,22,90,00,000.00	1,45,79,00,000.00
	ख. राज्य सरकार से	-	-
	ग. अन्य सूत्रों से (विवरण) (पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाए)	-	-
3	सेवाओं से आय	9,83,66,65,075.19	10,01,87,44,498.84
4	निवेश से आय		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि	-	-
	ख. स्व निधि (अन्य निवेश)	21,70,38,24,235.41	20,34,96,90,163.18
5	प्राप्त ब्याज		
	क. बैंक जमा राशियों पर	1,63,06,97,616.00	66,88,01,754.00
	ख. ऋण, अग्रिम आदि	16,71,632.18	15,28,205.00
	ग. अन्य	13,34,60,511.83	48,71,048.00
6	अन्य आय (निविदा शुल्क, आरटीआई शुल्क आदि)	9,241.00	7,000.00

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
7	उधार ली गई राशियाँ	-	-
8	अन्य प्राप्तियाँ (ब्योरा दें)		
	क. एनपीएस	-	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	-	-
	ग. प्रतिभूति /जमा बयाना राशि/ नकदीकृत बैंक गारंटी	1,42,00,189.88	4,15,16,029.00
	घ. अग्रिमों की वापसी		
	i. गृह निर्माण अग्रिम	-	-
	ii. कार अग्रिम	-	-
	iii. मोटर साईकिल/ स्कूटर अग्रिम	-	-
	iv. कंप्यूटर अग्रिम	-	-
	v. अन्य अग्रिम	2,30,783.00	4,95,418.20
	vi. एलटीसी	10,03,498.00	3,66,976.00
	vii. सामान्य कार्यालय व्यय	10,06,598.48	5,19,552.57
	ङ. आयकर	19,37,13,345.17	10,82,45,542.00
	च. सेवा कर	-	-
	छ. विविध प्राप्तियाँ	22,421.01	12,473.37
	ज. जीएसटी/टीडीएस	44,60,58,833.70	39,25,87,508.51
	झ. राज्य प्राधिकरणों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	2,56,50,105.81	8,96,01,252.83
	ञ. ठेकेदारों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	-	10,15,53,359.00
	ट. अन्य प्राप्तियाँ	12,54,818.00	3,86,80,042.92
	ठ. अर्थदंड एवं परिनिर्धारित नुकसानी	-	
	ड. स्क्रैप की बिक्री	59,584.96	7,16,900.19
	ढ. क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निधि	2,73,76,43,932.29	2,32,67,00,931.36
	ण. वेंडरों की रोकी गयी राशि	-	-
	त. कर्जदारों से प्राप्त अग्रिम	-	-
	योग	**63,23,27,62,595.07**	**57,58,30,65,584.90**
	भुगतान		
1	स्थापना व्यय	47,39,27,046.50	47,83,21,088.96
2	अन्य प्राशासनिक व्यय	93,64,74,762.26	73,06,45,160.95

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
3	परिचालन व्यय	8,59,26,64,979.37	7,86,38,34,685.60
4	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से भुगतान	-	-
5	किए गए निवेश और जमा राशि		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि से	-	-
	ख. स्व-निधि से (निवेश - अन्य)	21,73,31,52,485.28	20,11,94,71,767.18
6	अचल आस्तियों और पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों पर व्यय		
	क. अचल आस्तियों पर खरीद	1,13,31,76,764.65	2,82,84,11,230.48
	ख. पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों पर व्यय	58,74,912.00	39,99,63,849.00
7	अधिशेष धन / ऋण की वापसी		
	क. भारत सरकार को	9,85,26,296.00	1,05,09,103.00
	ख. राज्य सरकार को	-	-
	ग. अन्य धन प्रदाताओं को	-	-
8	वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
9	अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
	क. एनपीएस	4,15,21,140.00	3,28,48,598.00
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	5,04,82,657.00	11,48,88,599.00
	ग. जमा बयाना राशि (ईएमडी)	61,00,033.00	3,69,77,000.00
	घ. अग्रिम		
	i. गृह निर्माण अग्रिम	-	-
	ii. कार अग्रिम	-	-
	iii. मोटर साईकिल/ स्कूटर अग्रिम	-	-
	iv. कंप्यूटर अग्रिम	-	-
	v. अन्य अग्रिम	31,41,079.60	72,84,986.00
	vi. सामान्य कार्यालय व्यय	49,67,907.00	31,93,063.00
	vii. एलटीसी	28,62,404.00	29,00,780.00
	viii. राज्य प्राधिकरण	85,70,90,000.00	96,70,05,748.00
	ङ. आयकर	-	-
	च. सेवा कर	-	-
	छ. विविध भुगतान	-	-
	ज. जीएसटी/टीडीएस	40,91,60,714.68	42,63,76,901.81

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	झ. ठेकेदारों को अग्रिम	83,26,81,587.94	71,63,09,785.64
	ञ. केएसआईआईडीसी को अग्रिम किराया	-	-
	ट. विद्युत विभाग के पास जमा	-	-
	ठ. सीआईएसएफ के पास जमा	-	-
	ड. यूपीसीआईडीसीओ के पास जमा (किराया)	-	-
	ढ. सीपीडब्लूडी के पास जमा (हैदराबाद)	-	-
	ण. जमा बयाना राशि की वापसी	-	-
	त. निविदा शुल्क वापसी	-	-
	थ. पूर्वभुगतान और अन्य	9,00,784.00	55,57,091.76
	द. देनदारों को वापसी	-	-
	ध. एजेंसियों के पास जमा - एफडी	-	-
	न. एजेंसियों के पास जमा - सीआईएसएफ	-	-
	प. एजेंसियों के पास जमा - टेलीफोन	-	-
	फ. एजेंसियों के पास जमा - अन्य	-	-
	ब. वेंडरों की रोकी गयी राशि	1,19,66,051.60	62,75,042.00
	भ. क्षेत्रीय कार्यालयों को अंतरित निधियां	2,73,68,64,327.29	2,32,67,00,931.36
10	अंत शेष		
	क. नकदी शेष	45,16,541.00	36,91,803.00
	ख. बैंक शेष		
	i. चालू खातों में	31,74,13,071.21	20,69,98,593.70
	ii. जमा खातों में	20,32,18,09,432.69	20,29,48,99,776.46
	iii. बचत खातों में	4,65,74,87,618.00	-
	योग	**63,23,27,62,595.07**	**57,58,30,65,584.90**

*नोटः शीर्ष 4ख के तहत दिखाई गई प्राप्तियों और शीर्ष 5ख के तहत दिखाई गई भुगतान राशि वास्तव में चालू खाते में न्यूनतम सीमा से अधिक निधियों का स्वतः स्वीप है। स्वीप इन/आउट का शुद्ध प्रभाव भुगतान के बिंदु 10ख **(ii)** पर जमा खाते में बैंक में जमा राशि के रूप में अलग से दिखाया गया है।*

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	उपमहानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक : 30 जून 2025
स्थानः नई दिल्ली

अनुसूची 1 - समग्र/पूंजीगत निधि

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार शेष राशि	14,15,77,55,929.74	7,50,76,70,875.12
2	जोड़ें : समग्र /पूंजीगत निधि हेतु अंशदान	1,22,90,00,000.00	1,45,79,00,000.00
3	जोड़ें/(घटायें) : आय और व्यय खाते के अंतरित शुद्ध आय / (व्यय) का संतुलन	(7,39,32,68,450.38)	(4,94,17,76,028.78)
4	जोड़ें/(घटायें) : पूर्व वर्ष की देयताएं समग्र (कॉर्पस) को हस्तांतरित	6,89,21,81,750.47	10,13,39,61,083.40
	वर्ष के अंत में शेष राशि	**14,88,56,69,229.83**	**14,15,77,55,929.74**

ह0/-
निदेशक (लेखा))

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 1 क - भाविपप्रा निधि

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार शेष राशि	18,15,79,93,293.14	18,16,33,60,726.92
2	जोड़ें/(घटायें): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित भाविपप्रा द्वारा सृजित शुद्ध अधिशेष अनुदान और स्वामित्व आय	11,73,58,61,719.83	10,10,09,35,447.33
3	जोड़ें /(घटायें): भाविपप्रा निधि से/में समायोजन	(6,86,41,93,372.52)	(10,10,63,02,881.11)
	वर्ष के अंत में शेष राशि	**23,02,96,61,640.45**	**18,15,79,93,293.14**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन – पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1	**आरक्षित पूंजी**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
2	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
3	**विशेष आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
4	**सामान्य आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	योग				

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 3 - निर्धारित/अक्षय निधिया

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	निधीवर विवरण				कुल	
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**निधियों का अधिशेष**						
2	**निधियों में आवर्धन**						
	क. दान/अनुदान						
	ख. निधि के खातों में किए गए निवेश से आय						
	ग. लाइसेंस आय						
	घ. अधिप्रमाणन सेवाओं से आय						
	ङ. नामांकन सेवाओं से आय						
	च. आधार पुनर्मुद्रण से आय						
	छ. पीवीसी कार्ड सेवाओं से आय						
	ज. एसएसयूपी सेवाओं से आय						
	झ. जुमार्ना, परिनिर्धारित नुकसानी एवं दंडात्मक कार्रवाई						
	ञ. स्क्रैप की बिक्री						
	ट. अन्य आय (ब्याज,किराया, लाइसेंस शुल्क के अलावा अन्य शुल्क आदि)						
	ठ. वित्त वर्ष 2018-19 के सहायता अनुदान पर ब्याज वर्तमान देनदारियों को हस्तांतरित किया गया						
	ड. भाविपप्रा निधि में उपलब्ध भाविपप्रा आय						
	योग (2)						

क्र.सं.	विवरण	निधीवर विवरण				कुल	
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	चालू वर्ष	गत वर्ष
3	**निधियों के उद्देश्यों के समक्ष उपयोग/व्यय**						
	क. पूंजीगत व्यय						
	i. अचल परिसंपत्ति						
	ii. अन्य						
	योग						
	ख. राजस्व व्यय						
	i. वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि						
	ii. किराया						
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय						
	ग. केंद्र सरकार के पास जमा						
	योग						
	योग (3)						
	वर्ष के अंत में निवल शेष (1 + 2-3)						

नोट :-

1) अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों का प्रकटीकरण किया जाएगा।

2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्ति योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किन्हीं अन्य निधियों के साथ न मिलाया जाए

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 4 – प्रतिभूत ऋण और उधारियां

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन – पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	केंद्र सरकार		
2	राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)		
3	वित्तीय संस्थाएं		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
4	बैंक:		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	उपार्जित और देय ब्याज		
5	अन्य संस्थाएं और एजेंसियां		
6	डिबेंचर और बॉन्ड		
7	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

नोट: *एक वर्ष के भीतर देय राशि*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 5 – अप्रतिभूत ऋण और उधारियां

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन – पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**केंद्र सरकार**		
2	**राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)**		
3	**वित्तीय संस्थाएं**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
4	**बैंक:**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	उपार्जित और देय ब्याज		
5	**अन्य संस्थाएं और एजेंसियां**		
6	**डिबेंचर और बॉन्ड**		
7	**सावधि जमा**		
8	**अन्य (विनिर्दिष्ट करें)**		
	योग		

नोट: *एक वर्ष के भीतर देय राशि*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	पूंजीगत उपकरणो और अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियाँ		
2	अन्य		
	योग		

नोट: *एक वर्ष के भीतर देय राशि*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन – पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	वर्तमान देयताएं				
1	**स्वीकृतियाँ**	-	-	-	-
2	**विविध लेनदार**				
	क. माल एवं सेवाएं हेतु	-	93,68,06,831.52	-	1,04,57,23,038.01
	ख. अन्य	-	24,17,67,347.92	-	30,76,39,693.05
3	**प्राप्त अग्रिम**	-	15,06,68,356.17	-	34,78,34,015.56
4	**उपार्जित अदेय ब्याज**				
	क. जमानती ऋण /उधार	-	-	-	-
	ख. गैर- जमानती ऋण/ उधार	-	-	-	-
5	**सांविधिक देयताएं**				
	क. अतिदेय	-	-	-	-
	ख. अन्य	-	6,17,98,571.63	-	5,41,60,949.46
6	**अन्य वर्तमान देयता**				
क.	**अनुदान – पूंजी निर्माण**				
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,22,90,00,000.00	-	1,45,79,00,000.00	-
	घटायें : वर्ष के दौरान उपयोग किए गए अनुदान	1,22,90,00,000.00	-	1,45,79,00,000.00	-
		-	-	-	-
	घटायें: कॉर्पस में हस्तांतरित	-	-	-	-
		-	-	-	-
	घटायें : भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित	-	-	-	-
ख.	**अनुदान – वेतन**	-	-	-	-
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	60,10,00,000.00	-	68,13,00,000.00	-
	घटायें: आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	60,10,00,000.00	-	68,13,00,000.00	-
		-	-	-	-
	घटायें: भावीपप्रा निधि में हस्तांतरित	-	-	-	-
		-	-	-	-

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	घटायें: सीएफआई को हस्तांतरित	-	-	-	-
		-	-	-	-
ग.	**अनुदान - सामान्य**	-	-	-	-
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	4,17,00,00,000.00	-	5,86,08,00,000.00	-
	घटायें: आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	4,17,00,00,000.00	-	5,86,08,00,000.00	-
		-	-	-	-
	घटायें : भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित अव्ययित अनुदान	-	-	-	-
	घटायें: भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित भाविपप्रा आय	-	-	-	-
		-	-	-	-
	घटायें: सीएफआई को हस्तांतरित	-	-	-	-
घ.	**प्रतिधारित आय : केंद्र सरकार**				
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-
	क. निधि के निवेश से प्राप्त आय	-	-	-	-
	ख. लाइसेंस से आय एवं एनआरडी	-	-	-	-
	ग. जुमार्ना, परिनिर्धारित नुकसानी एवं दंडात्मक कार्रवाई	-	-	-	-
	घ. स्क्रैप की बिक्री	-	-	-	-
	ड. ब्याज से आय	-	-	-	-
	च. अन्य आय	-	-	-	-
		-	-	-	-
	घटायें : केंद्र सरकार को वापसी	-	-	-	-
	शेष निधि	-	-	-	-
	घटायें : कॉर्पस में हस्तांतरित	-	-	-	-
	जोड़ें : कॉर्पस से हस्तांतरित वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित राशि	-	-	-	-
	जोड़ें : भाविपप्रा निधि से हस्तांतरित वित्त वर्ष 2018-19 के अनुदानों पर प्राप्त ब्याज	-	-	-	-
	योग (क)	-	**1,39,10,41,107.24**	-	**1,75,53,57,696.08**

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	प्रावधान				
1	कराधान के लिए	-	-	-	-
2	उपदान	-	-	-	-
3	अधिवर्षिता /पेंशन अंशदान	-	-	-	-
4	संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-	-	-
5	व्यापार वारंटियाँ /दावे	-	-	-	-
6	देय छुट्टी वेतन	-	-	-	-
7	अन्य (वेतन, सामान्य कार्यालय एवं अन्य प्रासंगिक देय)	-	1,97,00,10,211.23	-	2,63,15,98,285.19
	योग (ख)	**-**	**1,97,00,10,211.23**	**-**	**2,63,15,98,285.19**
	योग (क+ख)		**3,36,10,51,318.47**		**4,38,69,55,981.27**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 8 - अचल आस्तियां

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन (01/04/2024)	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	01/04/2024 के अनुसार	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	31/03/2025 के अनुसार	31/03/2025 के अनुसार	गत वर्ष 31/03/2024 की स्थिति के अनुसार
(1) और (2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
अचल आस्तियां												
1. भूमि												
क. पूर्ण स्वामित्व में	58,50,93,257.00	-	1,20,000.00	-	58,49,73,257.00	-	-	-	-	-	58,49,73,257.00	58,50,93,257.00
ख. पट्टे पर	23,56,12,090.46	-	-	-	23,56,12,090.46	4,69,33,088.43	46,73,526.42	-	20,94,987.70	5,37,01,602.55	18,19,10,487.91	18,86,79,002.03
योग (1)	**82,07,05,347.46**	**-**	**1,20,000.00**	**-**	**82,05,85,347.46**	**4,69,33,088.43**	**46,73,526.42**	**-**	**20,94,987.70**	**5,37,01,602.55**	**76,68,83,744.91**	**77,37,72,259.03**
2. कार्यालय भवन और डेटा सेंटर :												
क. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	96,95,01,185.00	-	-	-	96,95,01,185.00	11,71,95,268.88	1,53,39,928.63	-	-14,57,683.64	13,10,77,513.87	83,84,23,671.13	85,23,05,916.12
ख. पट्टे पर दी गयी भूमि पर	3,24,03,88,923.63	56,93,294.52	-	-	3,24,60,82,218.15	25,74,56,034.62	5,13,61,122.94	-	16,63,441.81	31,04,80,599.37	2,93,56,01,618.78	2,98,29,32,889.01
ग. स्वामित्व अधीन फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. संस्था से असंबंधित भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (2)	**4,20,98,90,108.63**	**56,93,294.52**	**-**	**-**	**4,21,55,83,403.15**	**37,46,51,303.49**	**6,67,01,051.56**	**-**	**2,05,758.17**	**44,15,58,113.25**	**3,77,40,25,289.90**	**3,83,52,38,805.14**
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण												
क. मशीनरी और उपकरण	1,89,38,33,918.22	-	-	-	1,89,38,33,918.22	1,06,00,13,384.60	11,98,67,003.82	-	4,51,919.71	1,18,03,32,308.14	71,35,01,610.08	83,38,20,533.62
ख. प्रोद्योगिकी अवसंरचना (सर्वर एवं डीपीयू)	18,78,27,70,186.90	83,22,73,353.54	-	-6,03,32,546.39	19,55,47,10,994.05	15,47,77,13,180.95	72,01,36,181.48	-	24,29,096.84	16,20,02,78,459.27	3,35,44,32,534.78	3,30,50,57,005.95
ग. यूबीसीसी अवसंरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. सूचना प्रोद्योगिकी (सॉफ्टवेयर)	2,72,67,35,696.46	85,77,54,788.81	-	-	3,58,44,90,485.27	1,56,68,67,008.94	72,49,27,707.36	-	16,93,59,985.24	2,46,11,54,701.54	1,12,33,35,783.73	1,15,98,68,687.52
ड. यूसीएफएफआईएल	1,80,67,807.40	-	-	-	1,80,67,807.40	63,41,600.93	55,96,719.12	-	30,426.50	1,19,68,746.55	60,99,060.85	1,17,26,206.47
योग (3)	**23,42,14,07,608.98**	**1,69,00,28,142.35**	**-**	**-6,03,32,546.39**	**25,05,11,03,204.94**	**18,11,09,35,175.42**	**1,57,05,27,611.78**	**-**	**17,22,71,428.29**	**19,85,37,34,215.49**	**5,19,73,68,989.45**	**5,31,04,72,433.56**

विवरण	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन (01/04/2024)	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	01/04/2024 के अनुसार	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	31/03/2025 के अनुसार	31/03/2025 के अनुसार	गत वर्ष 31/03/2024 की स्थिति के अनुसार
4. वाहन	14,60,515.00	-	-	-	14,60,515.00	10,20,012.04	1,73,317.45	-	31,893.30	12,25,222.79	2,35,292.21	4,40,502.96
5. फर्नीचर एवं फिक्सचर	11,42,31,353.44	1,02,64,889.04	-	-	12,44,96,242.48	6,28,54,060.59	81,60,043.24	-	29,939.05	7,10,44,042.88	5,34,52,199.60	5,13,77,292.85
6. कार्यालयी उपकरण	10,01,57,612.63	94,63,222.90	25,500.00	-	10,95,95,335.53	8,34,43,702.97	58,50,890.49	-	-2,010.26	8,92,92,583.20	2,03,02,752.34	1,67,13,909.67
7.कंप्यूटर / पेरिफेरल (डेस्कटॉप ,प्रिंटर एवं अन्य)	1,48,60,44,198.81	1,18,06,600.02	-	-	1,49,78,50,798.83	87,02,13,316.77	25,43,18,385.34	-	17,78,951.65	1,12,63,10,653.77	37,15,40,145.06	61,58,30,882.04
8. विद्युत संस्थापन	3,32,86,028.08	91,49,712.14	-	-15,678.16	4,24,20,062.06	1,14,83,582.41	33,27,576.07	15,678.15	3,053.25	1,47,98,533.58	2,76,21,528.48	2,18,02,445.67
9. पुस्तकालयी किताबें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य अचल आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. लैपटॉप एवं टेबलेट	4,66,47,772.64	1,77,12,060.72	62,85,035.06	-	5,80,74,798.30	2,98,40,481.83	90,29,623.64	48,12,157.04	-1,74,802.82	3,38,83,145.62	2,41,91,652.68	1,68,07,290.80
ख. मोबाइल फोन	1,01,22,005.45	23,56,685.68	25,66,454.00	-	99,12,237.13	68,31,202.71	24,74,092.44	20,37,852.00	18,823.01	72,86,266.16	26,25,970.97	32,90,802.74
योग (10)	**5,67,69,778.09**	**2,00,68,746.40**	**88,51,489.06**	**-**	**6,79,87,035.43**	**3,66,71,684.54**	**1,15,03,716.08**	**68,50,009.04**	**-1,55,979.80**	**4,11,69,411.78**	**2,68,17,623.65**	**2,00,98,093.54**
चालू वर्ष का योग (1+2 +3+4 +5+6+7+8+9+10)	**30,24,39,52,551.12**	**1,75,64,74,607.37**	**89,96,989.06**	**-6,03,48,224.55**	**31,93,10,81,944.88**	**19,59,82,05,926.67**	**1,92,52,36,118.42**	**68,65,687.19**	**17,62,58,021.35**	**21,69,28,34,379.28**	**10,23,82,47,564.64**	**10,64,57,46,624.44**
गत वर्ष	**26,56,82,09,515.98**	**3,61,96,38,228.96**	**87,45,972.59**	**6,48,50,778.77**	**30,24,39,52,551.12**	**18,09,40,36,208.90**	**1,46,22,44,074.77**	**64,14,898.72**	**4,83,40,541.72**	**19,59,82,05,926.67**	**10,64,57,46,624.44**	**8,47,41,73,307.60**
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	61,44,76,425.32	6,08,35,751.00	54,69,51,924.33	-	12,83,60,251.99	-	-	-	-	-	12,83,60,251.99	61,44,76,425.32
समग्र योग	**30,85,84,28,976.44**	**1,81,73,10,358.37**	**55,59,48,913.39**	**-6,03,48,224.55**	**32,05,94,42,196.87**	**19,59,82,05,926.67**	**1,92,52,36,118.42**	**68,65,687.19**	**17,62,58,021.35**	**21,69,28,34,379.28**	**10,36,66,07,816.63**	**11,26,02,23,049.76**

उपर्युक्त में शामिल किराया,खरीद आधार पर आस्तियों की लागत के बारे में टिप्पणी दी जानी है।

भूमि और विकास अधिकारी (एलएंडडीओ), दिल्ली द्वारा आधार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एएचसी) के लिए आवंटित 930 वर्ग मीटर (लगभग) भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम,1971 (पीपीए) के तहत कार्यवाही चल रही है और माननीय जिला और सत्र न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 9 – निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन – पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	शेयर		
4	डिबेंचर और बॉन्ड		
5	अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 10 - अन्य - निवेश

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	शेयर		
4	डिबैंचर और बॉन्ड		
5	अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
	क. ऑटो स्वीप के रूप में बैंको में सावधि जमा		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 11 - वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	क. वर्तमान आस्तियां		
1	**वस्तु सूची**		
	क. स्टोर और स्पेयर्स	-	-
	ख. फुटकर उपकरण	-	-
	ग. व्यापारिक स्टॉक		
	i. तैयार सामग्री	-	-
	ii. प्रगति अधीन - कार्य	-	-
	iii. कच्चा माल	-	-
2	**विविध देनदार**		
	क. छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	6,16,61,478.79	13,75,07,734.97
	ख. अन्य	1,81,68,93,492.02	85,44,16,499.53
3	**हस्तगत रोकड़ (चेक /ड्राफ्ट एवं इम्प्रेस्ट सहित)**	45,16,541.00	36,91,803.00
4	**बैंकों में शेष राशि**		
	क. अनुसूचित बैंकों के साथ		
	i. चालू खातो में	31,74,13,071.21	20,69,98,593.70
	ii. मियादी जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)	20,32,18,09,432.69	20,29,48,99,776.46
	iii. बचत बैंक जमा खातो में	4,65,74,87,618.00	-
	ख. गैर - अनुसूचित बैंकों के साथ		
	i. चालू खातों में	-	-
	ii. मियादी जमा खातों में	-	-
	iii. बचत बैंक जमा खातों में	-	-
5	**डाकघर बचत खाते**	**-**	**-**
6	**अन्य**	**-**	**-**
	योग (क)	**27,17,97,81,633.71**	**21,49,75,14,407.66**
	ख. ऋण,अग्रिम,एवं अन्य आस्तियां		
1	**ऋण**		
	क. स्टाफ		

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	i. एलटीसी अग्रिम	5,88,530.00	1,95,022.00
	ii. सामान्य कार्यालय व्यय	9,14,650.34	15,73,720.34
	ख. संस्था के समान कार्यक्रमों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य संस्थाएं	-	-
	ग. अन्य (टीए एवं अन्य अग्रिम)	9,77,263.80	33,70,407.80
2	**नकदी या वस्तु के रूप में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ**		
	क. पूंजी खाते में	8,37,52,496.85	9,97,86,338.37
	ख. पूर्व -भुगतान	5,51,51,563.90	2,78,58,694.00
	ग. प्रतिभूति जमा	11,82,96,516.00	9,57,07,349.00
	घ. अन्य		
	i. प्राप्य टीडीएस	42,42,47,922.57	40,08,54,890.71
	ii. बीओसी , राज्य सरकार (आईसीटी सहायता), डीओपी आदि	33,05,31,670.43	69,55,31,421.46
	iii. ठेकेदार	1,32,54,806.00	1,33,97,027.00
	iv. जी एस टी इनपुट टैक्स क्रेडिट	1,85,02,52,082.85	1,88,62,42,697.72
3	**उपार्जित आय**		
	क. निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर	-	-
	ख. अन्य निवेश पर	-	-
	ग. ऋण और अग्रिम पर	-	-
	घ. अन्य (अप्राप्य देय आय रुपए ..... सहित है)		
	i. अनुसूचित बैंकों में जमा पर	85,19,87,692.67	72,04,05,176.33
	ii. अन्य	37,543.00	45,002.00
4	**प्राप्त दावे**	**-**	**-**
	योग (ख)	**3,72,99,92,738.41**	**3,94,49,67,746.73**
	योग (क +ख)	**30,90,97,74,372.12**	**25,44,24,82,154.39**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 12 - सेवाओं से आय

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रमाणीकरण सेवाएँ	7,09,79,41,462.87	6,12,71,76,956.95
2	नामांकन सेवाएं	69,67,59,583.84	61,59,01,963.20
3	अन्य	-	-
	क) आधार पुनर्मुद्रण	-	-
	ख) ऑर्डर आधार कार्ड (ओएसी) सेवा	55,07,34,154.90	64,80,19,058.60
	ग) स्व-सेवा अद्यतन पोर्टल (एस एस यू पी)	1,05,47,83,778.20	88,06,88,112.66
	योग	**9,40,02,18,979.81**	**8,27,17,86,091.41**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान और सब्सिडी)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	केंद्र सरकार		
	क. अनुदान - वेतन	60,10,00,000.00	68,13,00,000.00
	ख. अनुदान - सामान्य	4,17,00,00,000.00	5,86,08,00,000.00
2	राज्य सरकारें	-	-
3	सरकारी एजेंसियां	-	-
4	संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	क. भाविपप्रा निधि में उपलब्ध अव्ययित अनुदान	-	-
	ख. भाविपप्रा निधि में उपलब्ध भाविपप्रा आय	-	-
	योग	**4,77,10,00,000.00**	**6,54,21,00,000.00**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 14 – शुल्क/अभिदान

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रवेश शुल्क	-	-
2	वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-
3	सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4	व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं	-	-
5	लाइसेंस शुल्क	33,47,09,208.84	33,94,48,782.00
6	अन्य (आरटीआई शुल्क, निविदा शुल्क, आरएफपी शुल्क आदि)	9,047.00	7,000.00
	योग	**33,47,18,255.84**	**33,94,55,782.00**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(निधियों को अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित निधि से निवेश	निर्धारित निधि से निवेश	अन्य निवेश	अन्य निवेश
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**ब्याज**				
	क. सरकार प्रतिभूतियों पर				
	ख. अन्य बॉन्ड /डिबेंचर				
	ग. अन्य				
2	**लाभांश**				
	क. शेयरों पर				
	ख. म्यूचुअल फंड पर				
	ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
	योग				
	निर्धारित /अक्षय निधि में हस्तांतरित				

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	रॉयल्टी से आय		
2	प्रकाशनों से आय		
3	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**सावधि जमा राशियों पर**		
	क. अनुसूचित बैंको से	-	
	i. अनुदान सहायता प्राप्तियों पर	-	-
	ii. अन्य प्राप्तियों पर	1,79,75,79,811.53	1,44,91,92,886.00
	ख. गैर - अनुसूचित बैंको से		
	ग. संस्थानो से	-	-
	घ. अन्य (ईआईएल के साथ एस्क्रो खाता)	-	-
2	**बचत खातों पर**		
	क. अनुसूचित बैंको से	12,90,68,557.00	-
	ख. गैर - अनुसूचित बैंको से	-	-
	ग. डाकघर बचत खाते	-	-
	घ. अन्य	-	-
3	**ऋणों पर**		
	क. कर्मचारी/स्टाफ	-	-
	ख. अन्य	-	-
4	**ऋणों एवं प्राप्य राशियों पर ब्याज**		
	क. आयकर विभाग	43,91,684.83	48,71,048.00
	ख. अन्य	-	-
	योग	**1,93,10,40,053.36**	**1,45,40,63,934.00**

नोट - *स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।*

i. वित्तीय वर्ष 2024-25 में ब्याज पर 2,68,15,811.80/- रुपये टी.डी.एस. की कटौती।

ii. बंदु 1 (क) (ii) में दिखाया गया 1,79,75,79,811.53/-रुपये का ब्याज बैंकों के चालू खाते में ऑटोस्वीप/सावधि जमा व्यवस्था पर अर्जित ब्याज है।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 18 - अन्य आय

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	आस्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
	क. स्वामित्व अधीन परिसंपत्ति	-	-
	ख. अनुदान से अधिग्रहित परिसंपत्ति , या निःशुल्क प्राप्त	-	34,677.00
2	वसूल परिनिर्धारित नुकसानी, अर्थदण्ड	-	-
3	विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4	किराया	5,45,434.00	5,92,412.00
5	विविध आय	6,93,38,996.82	3,50,02,550.92
	योग	**6,98,84,430.82**	**3,56,29,639.92**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 19 – तैयार सामग्रियों और प्रगति अधीन कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	अंतिम स्टॉक		
	क. तैयार सामग्री		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
2	घटायें : प्रारंभिक शेष		
	क. तैयार सामग्री		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
	निवल वृद्धि /(कमी) [1-2]		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वेतन और मजदूरी	50,79,16,977.00	53,43,23,418.00
2	समयोपरि भत्ता	-	-
3	भत्ते और बोनस	93,65,127.00	96,43,942.00
4	चिकित्सा उपचार	1,51,06,788.70	1,10,97,029.96
5	शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	59,64,577.00	46,36,603.00
6	घरेलू यात्रा व्यय	3,01,79,439.55	2,89,84,135.40
7	विदेश यात्रा व्यय	17,83,474.00	7,93,058.00
8	एनपीएस का अंशदान	1,71,72,797.00	1,41,79,445.00
9	उपदान निधि के लिए अंशदान	71,47,811.24	4,32,794.00
10	अवकाश वेतन पेंशन अंशदान	5,72,64,837.83	6,19,56,877.00
11	कर्मचारियों की सेवानिवृति एवं सेवांत लाभों पर व्यय	-	-
12	अन्य निधि में अंशदान	-	-
13	कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
14	अन्य (अवकाश नकदीकरण एवं मानदेय)	50,29,968.00	20,65,786.00
	योग	**65,69,31,797.32**	**66,81,13,088.36**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	खरीद	-	-
2	श्रम और प्रसंस्करण व्यय	-	-
3	आंतरिक ढुलाई एवं परिवहन	-	-
4	विद्युत एवं ऊर्जा	3,85,41,169.33	3,32,92,153.54
5	जल प्रभार	45,86,618.18	26,75,605.21
6	बीमा	-	-
7	मरम्मत और रखरखाव	32,46,769.63	14,81,031.15
8	उत्पाद शुल्क	-	-
9	किराया, दरें और कर	17,05,40,599.81	16,15,95,786.96
10	वाहन चालन एवं रखरखाव	5,60,562.51	1,75,666.96
11	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	1,09,51,760.47	88,46,079.13
12	मुद्रण एवं स्टेशनरी	50,97,129.74	66,63,384.39
13	यात्रा एवं वाहन व्यय	3,53,44,871.65	3,90,23,633.75
14	संगोष्ठी / वर्कशॉप पर व्यय	74,05,574.91	26,57,439.97
15	अभिदान व्यय	56,61,416.77	20,20,486.70
16	शुल्कों पर व्यय	-	-
17	लेखापरीक्षकों पर व्यय	13,75,250.00	13,75,250.00
18	आतिथ्य व्यय	17,66,829.00	6,29,767.82
19	व्यावसायिक प्रभार	16,37,98,941.62	7,96,83,902.16
20	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1,47,146.00	1,75,998.64

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
21	भर्ती व्यय	-	-
22	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
23	अवसूलनीय शेष बट्टे खाते में डालना	-	-
24	पैकिंग प्रभार	-	-
25	मालभाड़ा एवं अग्रेषण प्रभार	-	-
26	वितरण व्यय	-	-
27	विज्ञापन एवं प्रचार	20,42,307.00	12,82,449.42
28	कानूनी प्रभार	3,33,23,587.00	2,97,59,590.02
29	संविदा स्टाफ को भुगतान (एमटीओ, चपरासी आदि)	19,44,69,414.67	13,30,01,527.60
30	अन्य	-	-
	i. बैठक शुल्क	1,70,000.00	1,60,000.00
	ii. वार्षिक रखरखाव शुल्क	37,00,509.01	36,16,996.47
	iii. कार्यालय व्यय	12,63,17,041.68	11,72,53,858.78
	iv. दान	-	-
	v. सीआईएसएफ को भुगतान (भाविपप्रा - मुख्यालय)	4,67,18,912.00	4,25,59,187.99
	योग	**85,57,66,410.98**	**66,79,29,796.66**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 22 – परिचालन खर्च

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**नामांकन, अधिप्रमाणन और अद्यतन**		
	क. रजिस्ट्रारों को सहायता	1,75,28,12,575.78	2,01,39,90,791.72
	ख. गुणवत्ता नियंत्रण (एबीआईएस पूर्व)	-	-
	ग. विज्ञापन और प्रचार	1,14,42,636.00	3,62,62,102.00
	घ. बीपीओ अद्यतन लागत	-	-
2	**प्रोद्योगिकी संचालन**		
	क. कार्यालय व्यय/बीएसपी और टीएसपी भुगतान		
	i. बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता को भुगतान (बीएसपी)	61,08,85,885.23	53,53,33,525.48
	ii. दूरसंचार सेवा प्रदाता को भुगतान (टीएसपी)	2,82,77,012.14	1,90,22,581.47
	iii. कार्यालय व्यय (डेटा सेंटर)	31,56,51,657.28	35,91,38,365.78
	ख. किराया, दरें और कर	-	-
	ग. व्यावसायिक सेवाएं / एमएसपी / एमएसएपी /एमएसआईपी लागत		
	i. वार्षिक रखरखाव लागत (एएमसी)	45,03,23,700.15	37,30,01,893.84
	ii. जनशक्ति सेवाएं	95,57,93,762.72	80,12,68,931.33
	घ. सीआईएसएफ को भुगतान	-	-
	ङ. केएम पोर्टल विकास प्रभार	-	-
3	**संभारिकी एवं अन्य संचार**		
	क. मुद्रण लागत	77,53,44,469.49	90,67,53,086.92
	ख. डिस्पैच लागत	1,20,59,01,064.05	1,41,89,45,635.42
	ग. टीएफएन /संपर्क केंद्र लागत	60,23,16,454.12	61,01,91,551.58
	घ. शिकायत निवारण प्रचालक	-	79,01,333.82
	ङ. अन्य प्रभार	-	-
4	**आधार समर्थित अनुप्रयोग**		
	क. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईसीटी सहायता	9,99,33,998.85	4,97,50,000.00
	ख. माइक्रो एटीएम सहायता	-	-

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	ग. आधार आधारित अनुप्रयोगों का विकास	-	-
	घ. एईए / राज्य संबंधित व्यक्ति	-	-
	ड. अन्य प्रभार	-	-
5	**अन्य समर्थन संचालन**		
	क. डी.एम.एस	-	-
	ख. डी.एम.एस - क्यूसी	97,43,04,128.55	1,05,88,09,813.80
	ग. जीआरसीपी	3,95,32,671.93	9,96,20,427.92
	घ. प्रशिक्षण एवं परीक्षण /प्रमाणन	6,18,43,082.06	3,32,61,460.88
6	**यूबीसीसी संचालन**		
	क. ओई	-	-
	ख. ओएई	-	-
	ग. सहायता अनुदान	-	-
7	**भौतिक सुरक्षा**		
	क. वेतन	28,80,99,049.00	30,58,91,801.00
	ख. कार्यालय व्यय	1,16,13,309.91	1,24,43,185.33
	ग. किराया , दरें और कर	41,49,735.30	41,29,920.00
	घ. अन्य प्रभार	32,85,353.60	36,23,438.00
8	**सूचना प्रौद्योगिकी**		
	क. कार्यालय व्यय	52,00,080.67	33,14,512.00
	ख. किराया, दरें और कर	-	-
	ग. व्यावसायिक सेवाएँ (पीएमयू, टीएसयू , अन्य ठेके)	48,85,57,578.33	44,54,90,302.53
	घ. अन्य व्यय	60,000.00	2,80,002.84
9	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (भाविपप्रा)**		
	क. संभारिकी और अन्य संचार	-	-
	ख. अन्य प्रभार	-	-
	योग	**8,68,53,28,205.16**	**9,09,84,24,663.66**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 23 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	संस्थानों /संगठनों को दिया गया अनुदान		
2	संस्थानों /संगठनों को दी गयी सब्सिडी		
	योग		

नोट *-: संस्थाओं के नाम, अनुदान/सब्सिडी की राशि सहित उनकी गतिविधियों को भी बताया जाए।*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 24 – ब्याज

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	ब्याज		
	क. नियत ऋणों पर	-	-
	ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
	ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
2	बैंक प्रभार	-	-
	योग	**-**	**-**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 25 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लेखों के अंश का निरूपण

1. लेखांकन का आधार

1.1 वित्तीय विवरणियों को प्रपत्र 'क', प्रपत्र 'ख' और प्रपत्र 'ग' में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण प्रपत्र) नियम, 2018 तथा इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों के अनुसार तैयार किया गया है।

1.2 वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, और लेखांकन की उपचय पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

2. निवेश

2.1 दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत निवेश, लागत आधार पर वहन किए गए हैं। अस्थाई निवेश के अन्यत्र, अन्य गिरावट के लिए प्रावधान ऐसे निवेशों की लागत में वहन किए गए हैं।

2.2 'चालू' के रूप में वर्गीकृत निवेश, न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर वहन किए गए हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान, प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत आधार पर किए जाते हैं न कि वैश्विक आधार पर।

2.3 लागत में ब्रोकरेज, स्टाम्प हस्तांतरण जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल है।

3. अचल परिसंपत्तियां

3.1 **मूर्त परिसंपत्तियां** - मूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसानों, यदि कोई हो, से कम करके वहन किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में, किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (प्राधिकरणों से वसूल किए जाने वाले करों के अन्यत्र), कोई प्रत्यक्ष खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी परिसंपत्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है, शामिल हैं। मूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्ण होने के बाद इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस परिसंपत्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

3.2 **प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य** – ऐसी परिसंपत्तियों, जो अपने निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, के निर्माण पर हुए व्यय को लागत में से हानि (यदि कोई हो) को कम करते हुए प्रगति के अधीन पूंजीगत कार्य के तहत वहन किया जाता है। लागत में, आयात शुल्क और अप्रतिदेय कर तथा कोई अन्य प्रत्यक्ष देय लागत सहित लागत खरीद शामिल है।

3.3 **अमूर्त परिसंपत्तियां** - अचल परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में, किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (प्राधिकरणों से वसूल किए जाने वाले करों के अन्यत्र), कोई प्रत्यक्ष खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी आस्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है, शामिल हैं। अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्ण होने के पश्चात, इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस परिसंपत्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

3.4 गैर-मौद्रिक अनुदान (कोर्पस निधि को छोडकर) से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को बताए गए मूल्य पर पूंजीगत आरक्षित में समतुल्य जमा द्वारा पूंजीकृत किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1. अचल परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन विधि (एसएलएम) से परिसंपत्तियों की प्रभावी उपयोगिता अवधि एवं 5% अवशेष मूल्य (लैपटॉप/टेबलेट के मामले में 10% और अचल परिसंपत्तियों के मामले में 'शून्य') नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर	अवधारण अवधि	अभ्युक्तियां
1	सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज, सुरक्षा उपकरण, अन्य बायोमेट्रिक उपकरण, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट (डीपीयू)	15.83%	6 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार
2	डेस्कटॉप, मॉनीटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्विच, अन्य आईटी उपकरण	31.67%	3 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार
3	सॉफ्टवेयर	33.33%	3 वर्ष	भाविपप्रा की आंतरिक नीति के अनुसार
4	मोबाइल हैंडसेट	47.50%	2 वर्ष	भाविपप्रा की आंतरिक नीति के अनुसार
5	लैपटॉप, टैबलेट	30%	3 वर्ष	भाविपप्रा की आंतरिक नीति के अनुसार
6	कार्यालय उपस्कर	19%	5 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार
7	फर्नीचर और फिक्चर्स	9.50%	10 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार
8	भवन	1.58%	60 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार
9	संयंत्र और मशीनरी	6.33%	15 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार
10	वाहन (कार)	11.88%	8 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार

4.2 वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

4.3 5,000 रुपए या इससे कम लागत की प्रत्येक परिसंपत्ति का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

5. विविध व्यय

5.1 आस्थगित राजस्व व्यय को उसके खर्च हुए वर्ष से पांच वर्षों की अवधि के उपरांत बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

6. सरकारी सहायता के अन्यत्र सरकारी अनुदान/सब्सिडियां एवं प्राप्तियां

6.1 मंत्रालय द्वारा जारी सरकारी अनुदानों को उनकी सीमा तक ट्रेजरी एकल खाते (टीएसए) के जरिए प्राप्त किया गया।

6.2 उपरोक्त बिंदु 6.1 को छोड़कर अन्य सभी प्राप्तियों को ''आधार (वित्तीय और अन्य साहयिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित)'' की धारा 25 के अनुसार ह्यभाविपप्रा निधिह्न में जमा कर दिया गया है।

6.3 सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा किया जा रहा है।

6.4 संस्थाओं से पूर्ववर्ती वर्षों में वापस की गई अप्रयुक्त शेष राशि को उनके समक्ष बकाया अग्रिमों से समायोजित किया गया है और इन्हें सीएफआई (भारत की समेकित निधि) को प्रेषित किया जा रहा है।

6.5 एयूए/केयूए/एएसए से लाइसेंस शुल्क की दरें और वैधता निम्नवत है:

एजेंसी का प्रकार	उत्पादन-पूर्व लाइसेंस शुल्क (3 माह तक वैध)	उत्पादन लाइसेंस शुल्क (2 माह तक वैध)	
	राशि रुपए में	प्रति वर्ष किए गए संव्यवहार की संख्या	राशि रुपए में
एएसए	10 लाख रुपए	लागू नहीं	1 करोड़ रुपए
एयूए/केयूए	5 लाख रुपए*	5 लाख तक	5 लाख रुपए
		5 लाख से अधिक 20 लाख तक	10 लाख रुपए
		20 लाख से अधिक	20 लाख रुपए
सब-एयूए/सब-केयूए	लागू नहीं	लागू नहीं***	3 लाख रुपए

* नव नियुक्त एयूए/केयूए को पहले तीन महीनों के लिए उत्पादन पूर्व परिवेश की ऐक्सेस निःशुल्क प्रदान की गई। इसके अलावा, यदि वे उत्पादन पूर्व में शामिल होने के तीन महीने की अवधि के भीतर उत्पादन में चले जाते हैं, तो उन्हें उत्पादन परिवेश के लिए पूर्ण लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि संस्था उत्पादन पूर्व में निःशुल्क ऐक्सेस प्रदान करने के तीन महीने के भीतर उत्पादन श्रेणी में जाने के लिए विफल रहती है, तो उसे निःशुल्क ऐक्सेस अवधि के साथ-साथ प्रत्येक आगामी नवीनीकरण के लिए पहले तीन महीनों के लिए वैध 5 लाख रुपए का उत्पादन पूर्व लाइसेंस शुल्क देना होगा।

** प्रति वर्ष 1,00,000 से कम संव्यवहार करने वाले केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, भाविपप्रा द्वारा एयूए/केयूए को जारी किए गए लाइट (एलआईटीई) कोड (संव्यवहार संस्था मे कम) को लागू करने के द्वारा बिना किसी लाइसेंस शुल्क का भुगतान के अपने संबंधित एयूए/केयूए की लाइसेंस कुंजियों के माध्यम से प्रमाणीकरण सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

लाइसेंस शुल्क से प्राप्त आय को आनुपातिक दिनों की संख्या के आधार पर दर्ज किया जा रहा है, अर्थात एयूए/केयूए/सब-एयूए/सब-केयूए को प्री-प्रोडक्शन लाइसेंस कुंजी प्रदान करने की तिथि से लेकर चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक और शेष राशि को ह्यअग्रिम में प्राप्त आयह्न के रूप में दर्ज किया जा रहा है, जिसे आनुपातिक आधार पर आगामी वित्तीय वर्षों में दर्ज किया जाएगा।

6.6 वित्त वर्ष 2023-24 से, रजिस्ट्रारों को भुगतान भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

6.7 वित्त वर्ष 2023-24 से, परिनिर्धारित नुकसानी (एलडी)/जुमार्ने को सकल व्यय से काट लिया जाता है और इसे आय के रूप में नहीं माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

7.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन का लेखांकन, लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर से अंकित किया जाता है।

7.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामस्वरूप लाभ/हानि को, यदि विदेशी मुद्रा की देयता अचल परिसंपत्ति से संबंधित है, अचल परिसंपत्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में राजस्व के रूप में विचारा जाता है।

8. पट्टा

8.1 पट्टा किराया को पट्टा टर्म के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति कोई दायित्व नहीं है क्योंकि भाविपप्रा के सभी कर्मचारी अन्य मंत्रालयों/विभागों और सरकारी एजेंसियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 26 - आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लेखों के अंश का निरूपण

1. आकस्मिक देयताएं

क. दावे जिनको संस्था के समक्ष ऋण के रूप में नहीं समझा गया है – 476,44,97,700/- रुपए (पिछले वर्ष 485,45,77,700/- रुपए)। विवरण नीचे बिंदु (झ) में दिया गया है।

ख. निम्न के संबंध में :

i. संस्था की ओर से/बैंक द्वारा दी गई गारंटी - शून्य (पिछले वर्ष -शून्य))

ii. संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

iii. बैंक द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

ग. 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार भाविपप्रा प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के समक्ष स्रोत पर कर कटौती की चूक संबंधी विवादित मांग 3,11,350/- रुपए है। (पिछले वर्ष 4,62,350/- रुपए)

घ. निगम कर – शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

ङ. जीवन भारती भवन में टावर 2/लेवल-2 के लिए एलआईसी द्वारा 20.57 लाख रुपए के रखरखाव शुल्क और 5.92 करोड़ रुपए के किराये की मांग की गई है। हालांकि, भाविपप्रा को मांग स्वीकार्य नहीं है। तदनुसार इस संबंध में कोई दायित्व सृजित नहीं किया गया है।

च. आदेशों के गैर-निष्पादन, किंतु संस्था द्वारा विवादित, के लिए पार्टियों के दावों के संबंध में झ शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)।

छ. 31 मार्च, 2025 तक, जीएसटी के संबंध में विवादित मांग 48,94,72,033/- रुपए की है (पिछले वर्ष- 4,24,38,306/- रुपए)।

ज. 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार 476,44,97,700/- रुपए की दावों के लिए भाविपप्रा के विरूद्ध न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण:

(आंकड़ें रुपयों में)

क्र.सं.	मुकदमा दायरकर्ता (मैसर्स)	किस न्यायालय में मामला लंबित	याचिकाकर्ता का वित्तीय दावा	अभ्युक्ति
1	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड	'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996' के तहत मध्यस्थता अधिकरण	151,64,80,518/-	क्र.सं.1 में नीचे दी गई विस्तृत टिप्पणी।
2	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड		312,44,90,000/-	क्र.सं.1 में नीचे दी गई विस्तृत टिप्पणी।
3	टेली-परफोर्मेंस ग्लोबल सर्विस प्रा. लि. (पूर्व में सेरको बीपीओ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्रा. लि.),		5,14,00,000/-	मैसर्स सेरको द्वारा मूल दावा 3.28 करोड़ रुपए और संशोधित दावा 5.14 करोड़ रुपए
4	आई-एनर्जाइजर आईटी सर्विसेज प्रा. लि.	जिला न्यायालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली	44,22,000/-	मैसर्स आई-एनर्जाइजर आईटी सर्विसेज द्वारा 44.22 लाख रुपए का दावा
5	मुनीष मंगला	सिविल न्यायधीश, सीनियर डिवीजन अंबाला कोर्ट	23,11,840/-	सीएमए/14/2019

क्र.सं.	मुकदमा दायरकर्ता (मैसर्स)	किस न्यायालय में मामला लंबित	याचिकाकर्ता का वित्तीय दावा	अभ्युक्ति
6	दलबीर सिंह	पंजाब और हरियाण का उच्च न्यायालय	1,86,420/-	ब्याज और बैंक गारंटी सहित राशि की वापसी का दावा।
7	परसेप्ट एच प्राइवेट लिमिटेड	जिला न्यायालय, साकेत रांची	33,84,724/-	303/2017
8	मल्टीवेव इनोवेशन्स	जयपुर बेंच, राजस्थान	5,77,30,682/-	मध्यस्थता
9	कमलेश शर्मा	उपभोक्ता न्यायालय, चंडीगढ़	20,000/-	उपभोक्ता शिकायत
10	निशांत अरोड़ा	उपभोक्ता न्यायालय, चंडीगढ़	5,00,000/-	उपभोक्ता शिकायत
11	राजेश गोयल	स्थायी लोक अदालत, बरनाला	40,000/-	पीएलए शिकायत
12	मनोहर सिंह	जिला सत्र न्यायालय, चंडीगढ	35,31,516/-	किराया अपील
		योग	**476,44,97,700/-**	

नोटः

(1) *क. दो अंतरिम अंतिम पुरस्कारों के बाद, एचसीएल इंफो सिस्टम के दावे अब निम्नानुसार हैंः -*

(i) 07 अगस्त 2019 से 06 मई 2020 तक विस्तार अवधि के लिए अतिरिक्त लागत और ह्यस्टेटमेंट ऑफ क्लेमह्न (एसओसी1) के लिए इस अवधि के दौरान गलत कटौती 44,39,65,967/- रुपए (14,41,30,661/- रुपए + 29,98 35,306/- रुपए,), 13 जुलाई, 2021 तक 12.85% की दर से ब्याज सहित।

(ii) बाजार दरों का दावा 07 मई 2020 से 06 अप्रैल 2021 (एसओसी2) अवधि के लिए 96,28,15,178/- रुपए के लिए सहमति [(क) 2,11,04,393/- रुपए के लिए जीएसीटी के लिए गलत कटौती + (ख) 80,33,59,764/- रुपए सेवाओं का बाजार दर का अप्रदत्त हिस्सा + (ग) 13,83,51,021/- रुपए की गलत कटौती] है जिसमें 13 जुलाई, 2021 तक @10.03% दर से ब्याज शामिल है।

(iii) बाजार दरों का दावा 07 मई 2021 से 06 अगस्त 2021 अवधि तक के लिए केवल एएमसी (एसओसी3) हेतु 10,96,99,373/- रुपए में सहमति है।

(iv) दूसरे मध्यस्थता मामले में गलत कटौती के समक्ष एमएसपी का दावा 12.85% की दर से ब्याज के रूप में 95.46/- करोड़ रुपए शामिल है।

(v) 151,64,80,518/- रुपए के एससीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड के वित्तीय दावे के खिलाफ, भाविपप्रा ने 72,71,18,726/- रुपए का काउंटर दावा प्रस्तुत किया है।

ख. 312,44,90,000/- रुपए के एससीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड के वित्तीय दावे के खिलाफ, भाविपप्रा ने 1,29,66,33,946/- रुपए का काउंटर दावा प्रस्तुत किया है।

ग. एचसीएल इंफोसिस्टम्स द्वारा दावा दायर करने की तारीख तक ही ब्याज की गणना की गई है।

घ. देयता पूर्णतः आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश पर निर्भर है।

ङ. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव 'शून्य' है अथवा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और जिनके (अग्रिमों का निवल) के लिए प्रदान नहीं किया गया – 233.73 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 281.05 करोड़ रुपए)।

3. पट्टा बाध्यताएं

3.1 संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टा व्यवस्थाओं के तहत किराए हेतु भावी बाध्यताओं के संबंध में धनराशि – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)।

3.2 प्रौद्योगिकी केंद्र – बेंगलुरु, भाविपप्रा ने 24 जून 2011 को बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी केंद्र के निर्माण के संबंध में तीस वर्षों की एक अवधि के लिए पट्टा आधार पर 9.87 करोड़ रुपए की लागत पर पट्टा अनुबंध (लीज एग्रीमेंट) के तहत 12372.40 वर्ग मीटर की भूमि का अधिग्रहण किया था। इस संबंध में लेखांकन प्रबंध और मूल्यह्रास नीति नीचे दी गई है: -

i. पट्टे (लीज) की शर्तें – पट्टा अनुबंध को 30 साल पूरे होने के बाद एक अलग विलेखपत्र के जरिए पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाने वाली अगली अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

ii. लेखांकन प्रयोजनार्थ, लीज पर हुई भूमि को अनुसूची-8 अचल परिसंपत्ति में पृथक रूप से दशार्या गया है।

iii. लीज समझौते के अनुसार संपत्ति की लीज अवधि अर्थात 30 साल को ध्यान में रखते हुए भूमि का परिशोधन किया गया है।

4. कराधान

आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 50क के अनुसार, भाविपप्रा को इसकी सभी प्रकार की आय पर आयकर से छूट प्राप्त है, अतः 'आयकर' के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

5.1 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम, कारोबार के सामान्य तरीके में प्राप्त की गयी राशि है, जो तुलन-पत्र में दिखाई गयी कुल राशि के समतुल्य है।

5.2 भाविपप्रा ने आधार सेवा केंद्र (एएसके) के जरिए संपूर्ण भारत में सामान्य लोगों के लिए आधार नामांकन, बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय अद्यतन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए दो एजेंसियों को नियुक्त किया है। ये एजेंसियां सामान्य जनता से शुल्क एकत्र करती हैं और उसे भाविपप्रा के बैंक खाते में जमा करती हैं।

5.3 मुख्य रूप से अग्रिम तीन श्रेणियों नामतः आधार संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को आईसीटी सहायता, डाक विभाग को आधार पत्र का प्रेषण प्रभार और मीडिया प्रचार अभियान के लिए बीओसी/आकाशवाणी/दूरदर्शन को दिया जाता है। इन अग्रिमों को तुलन-पत्र में ऋण एवं अग्रिम शीर्ष में दशार्या जाता है तथा एजेंसियों से बिल/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही, इसे व्यय के रूप में बुक कर लिया जाता है।

6. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

i. - कराधान मामलों के लिए – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)

ii. - प्रबंधन सेवा के लिए – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)

iii.-प्रमाणीकरण प्रयोजन के लिए 13,75,250/- रुपए (पिछले वर्ष – 13,75,250/- रुपए)

iv. अन्य – शून्य (पिछले वर्ष - शून्य

7. पूर्व अवधि का समायोजन

7.1 01 अप्रैल, 2024 से पूर्व अवधि के लिए प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को पूर्व की अवधि के खर्चों के रूप में बुक किया गया है।

7.2 01 अप्रैल, 2024 से पूर्व अवधि से संबंधित सभी व्यय एवं आय को क्रमशः पूर्व अवधि के व्यय और पूर्व अवधि की आय के रूप में बुक किया गया है।

7.3 पूर्व अवधि की सभी मदों को आय एवं व्यय लेखा में अलग से दशार्या गया है।

8. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहीकृत और पुनःव्यवस्थित किया गया है।

9. 1 से 26 तक की अनुसूचियां संलग्न हैं, जो 31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन-पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अभिन्न अंश का रूप हैं।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

ह0/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

11. अनुलग्नक

11.1 अनुलग्नक 1: आधार अधिनियम, 2016

आधार (वित्तीय एवं अन्य सहयिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2016 में दिनांक 25 मार्च 2016 को राष्ट्रपति महोदय की सहमति मिलने के उपरांत आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 बन गया और इसे सामान्य जानकारी के लिए विधायी विभाग द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-क्क्क खंड क दिनांक 26.03.2016 (2016 का अधिनियम संख्या 18; "आधार अधिनियम, 2016" के रूप में संदर्भित) में प्रकाशित किया गया। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 11 से 20, 22 से 23 और 48 से 59 को 12 जुलाई 2016 तथा धारा 1 से 10 और 24 से 47 को 12 सितंबर 2016 को लागू हुई।

आधार अधिनियम, 2016, में सुशासन, कार्य कौशल, पारदर्शिता एवं उन लक्षित सहयिकियों, लाभों एवं सेवाओं के परिदान के प्रावधान हैं, जिन पर व्यय भारत की समेकित निधि से और राज्य की समेकित निधि से भारत के निवासी व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट पहचान संख्या (आधार नंबर) तथा इससे संबंधित मामलों अथवा संयोजित कार्यों के लिए किया जाता है।

आधार अधिनियम, 2016 की कुछ मुख्य विषेशताएं निम्न रूप से सूचीबद्ध की गई हैं :

1. **धारा 1:** आधार अधिनियम, 2016 का सांविधिक मूलतत्व एवं घोषणा की तिथि से अधिनियम का प्रवर्तन।
2. **धारा 3:** प्रत्येक निवासी आधार पाने का हकदार है। निवासी एक व्यक्ति है जो भारत में तत्काल पूर्ववर्ती एक वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक समय से रह रहा है।
3. **धारा 7:** केंद्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों को, भारत के समेकित कोष से सरकारी हितलाभों, सब्सिडी या सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की पहचान के संबंध में आधार को आवश्यक बनाना।
4. **धारा 8:** आधार प्रमाणीकरण और आधार धारक की सहमति।
5. **धारा 29:** सूचना साझा करने पर प्रतिबंध :
   - क. पहचान संबंधी जानकारी (मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के अलावा) केवल आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार साझा की जा सकती है।
   - ख. आधार का उपयोग केवल आधार की प्राप्ति या अधिप्रमाणन के समय बताए गए उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
   - ग. कोर बायोमेट्रिक्स कभी भी किसी एजेंसी को नहीं दिया जा सकता है और न ही उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
   - घ. आधार को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं किया जा सकता है।
6. **धारा 33, कुछ मामलों में जानकारी का प्रकटीकरण :** धारा 33(1) पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड सहित किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में लागू होती है, यदि न्यूनतम किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया हो।

   धारा 33(2) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत सरकार के सचिव स्तर से कम के अधिकारी के निर्देश पर पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड सहित किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में लागू होती है।
7. **धारा 40 और 42 :** छद्मरूपण, गैर कानूनी प्रसार/सूचना की सहभागिता के लिए जुमार्ना और/या 3 साल तक की सजा सहित अन्य दंडात्मक कार्यवाही के लिए प्रावधान। व्यक्ति और कंपनी, दोनों के लिए लागू।

आधार अधिनियम, 2016 के बारे में अधिक जानकारी के लिए, भाविपप्रा वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक को देखें।:

https://uidai.gov.in/images/Aadhaar_Act_2016_English.pdf (

तत्पश्चात, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के. एस.पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में मुख्य डब्ल्यू.पी. (सिविल) क्रमांक 494/2012 में दिए गए दिनांक 26.09.2018 के निर्णय द्वारा आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ प्रतिबंधों और परिवर्तनों के साथ बरकरार रखा।

आधार पर दिए गए निर्णय और न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों के आधार पर, गोपनीयता सुनिश्चित करने, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने तथा पात्र व्यक्तियों को सेवाओं और लाभों से वंचित रखने की प्रक्रिया को रोकने के लिए रक्षोपायों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ आधार अधिनियम, 2016 में आवश्यक परिवर्तन लाने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, सिम कार्ड प्राप्त करने और बैंक खाते खोलने के लिए आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में भी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 के माध्यम से आवश्यक संशोधन किए गए। बाद में, राष्ट्रपति द्वारा 02.03.2019 को आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 की संख्या 9) प्रख्यापित किया गया और यह तत्काल प्रवृत्त हुआ। उक्त अध्यादेश को आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 24 जुलाई 2019 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अधिसूचना के बाद आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धाराएं दिनांक 25.07.2019 से लागू हो गई हैं। यह संशोधित अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकार को एक सब्सिडी, हितलाभ या सेवा, जिसके लिए राज्य की समेकित निधि से व्यय हुआ है, या उससे किसी अंश को प्राप्त किया है, की प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में एक व्यक्ति विशेष की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आधार अधिप्रमाणन के उपयोग को समर्थ बनाता है।

आधार एवं अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. किसी व्यक्ति के वास्तविक आधार नंबर को छुपाने के लिए प्राधिकरण द्वारा सृजित वैकल्पिक नंबर प्रदान करना;
2. अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों को अपना आधार नंबर रद्द करने का विकल्प देना;
3. अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन अथवा अन्य विधियों द्वारा प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार नंबर का स्वैच्छिक उपयोग प्रदान करना;
4. आधार नंबर का अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन केवल आधार नंबर धारक की संसूचित सहमति से किया जा सकता है;
5. अधिप्रमाणन करने में असमर्थ होने या मना करने पर सेवाओं के इंकार की रोकथाम;
6. अधिप्रमाणन निष्पादन में सुरक्षा उपाय एवं प्रतिबंध स्थापित करना;
7. ऑफलाइन सत्यापन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना;
8. अधिप्रमाणन को ऐसे दिशानिर्देश देने हेतु अधिकार प्रदान करना, जो आधार ईकोसिस्टम में किसी संस्था के लिए अनिवार्य समझे जाएं;
9. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि की स्थापना करना;
10. सूचना की सहभाजिता पर प्रतिबंधों में संवर्धन करना;
11. सिविल दंडों, इसके अधिनिर्णय और अपील प्रदान करना;
12. आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करना;
13. तार अधिनियम, 1885 और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत स्वीकार्य केवाईसी दस्तावेज के रूप में स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणन हेतु आधार नंबर के उपयोग की अनुमति देना।

14. यह किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ सब्सिडी, हितलाभ या सेवा की प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में, जिसके लिए राज्य द्वारा खर्च किया जाता है, या उससे राज्य की समेकित निधि के अंश की प्राप्ति के रूप में राज्य सरकार को आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत समर्थ बनाएगा।

आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में अधिक जानकारी के लिए भाविपप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक का संदर्भ लिया जा सकता है।

https://uidai.gov.in/images/news/Amendment_Act_2019.pdf

11.2 अनुलग्नक 2: आधार विनियम

निम्नलिखित विनियम और उनके संशोधन को आधार अधिनियम, 2016 और आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसरण में अधिसूचित किया जाता है:

तालिका 15 -विनियमों की सूची

क्र.सं.	विनियम	प्रकाशित तिथि
1	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठक में कार्य संचालन) विनियम, 2016 - (2016 की संख्या 1)	14 सितंबर, 2016
2	आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 2)	14 सितंबर, 2016
3	आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 3) [आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का संख्यांक 2) दिनांक 09.11.2021 द्वारा प्रतिस्थापित]	14 सितंबर, 2016
4	आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 4)	14 सितंबर, 2016
5	आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 5)	14 सितंबर, 2016
6	आधार (नामांकन और अद्यतन) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 1)	15 फरवरी, 2017
7	आधार (नामांकन और अद्यतन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 2)	07 जुलाई, 2017
8	आधार (नामांकन और अद्यतन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 3)	11 जुलाई, 2017
9	आधार (नामांकन और अद्यतन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 5)	31 जुलाई, 2017
10	आधार (नामांकन और अद्यतन) (पाचवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 की संख्या 1)	12 जनवरी, 2018
11	आधार (नामांकन और अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 की संख्या 2)	31 जुलाई, 2018
12	आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 की संख्या 1) [आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 की संख्या 1) दिनांक 14.10.2021 द्वारा प्रतिस्थापित]	07 मार्च, 2019

क्र.सं.	विनियम	प्रकाशित तिथि
13	आधार (नामांकन और अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 की संख्या 2)	09 सितंबर, 2019
14	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 की संख्या 1)	22 जनवरी, 2020
15	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 (2020 की संख्या 2)	22 जनवरी, 2020
16	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (आठवां संशोधन) अधिनयम, 2020 (2020 की संख्या 3)	02 जुलाई, 2020
17	आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 की संख्या 1)	14 अक्तूबर, 2021
18	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का संख्या 2)	09 नवंबर, 2021
19	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 (2021 की संख्या 3)	28 दिसंबर, 2021
20	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 1)	04 फरवरी, 2022
21	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (नौवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 2)	03 मार्च, 2022
22	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 3)	21 मार्च, 2022
23	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 5)	18 जुलाई, 2022
24	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 6)	09 नवंबर, 2022
25	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 (2023 की संख्या 1)	27 फरवरी, 2023
26	आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (2023 की संख्या 2)	27 फरवरी, 2023
27	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2023	26 सितंबर, 2023
28	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) संशोधन विनियम, 2023	29 सितंबर, 2023
29	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2023	03 अक्तूबर, 2023

क्र.सं.	विनियम	प्रकाशित तिथि
30	आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) संशोधन विनियम, 2023	03 अक्तूबर, 2023
31	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2024	16 जनवरी, 2024
32	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2024	25 जनवरी, 2024
33	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024	27 जनवरी, 2024
34	आधार (सूचना की सहभाजिता) संशोधन विनियम, 2024	27 जनवरी, 2024
35	आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) संशोधन विनियम, 2024	31 जनवरी, 2024
36	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2024	31 जनवरी, 2024
37	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के दिनांक 31 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-एयूटीएच.क्क्र(ई), हिंदी संस्करण के लिए शुद्धिपत्र	09 फरवरी, 2024
38	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024	17 अक्तूबर, 2024
39	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024	04 दिसंबर, 2024
40	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2025	29 जनवरी, 2025
41	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2025	24 मार्च, 2025

उपर्युक्त विनियम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की दैनिक कार्यप्रणाली में सहायता करते हैं। ये विनियम भाविपप्रा की वेबसाइट https://uidai.gov.in/en/about-uidai/legal-framework/regulations.html पर उपलब्ध हैं।

11.3 अनुलग्नक 3: सत्यापन हेतु स्वीकार्य समर्थित दस्तावेजों की सूची

पांच वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

✓ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	बच्चे के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज
• **नामांकन प्रकार I : परिवार का मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन**			
1.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत और उसके अंतर्गत बनाये नियमों के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र	✓	✓
2.	वैध भारतीय पासपोर्ट (केवल एनआरआई के लिए लागू)	✓	✓
3.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	✓	X
• **नामांकन प्रकार II: दस्तावेज आधारित नामांकन**			
क्र.सं	**दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)**	**नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज**	**नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज**
4.	अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/मान्यताप्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख द्वारा भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्र (केवल आश्रय ग्रह या अनाथालय से संबंधित बच्चों के लिए)।.	✓	✓
• **ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारकों, नेपाल और भूटान के नागरिकों और नामांकन चाहने वाले अन्य विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज**			
5.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड, उन निवासियों के लिए जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में रह रहे हों।	✓	X*
6.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को जारी किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त) के साथ वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज।	✓	X*
7.	अन्य विदेशी नागरिकों को वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा जारी किया जाता है, जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हों।	✓	X*
8.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में, निम्नलिखित दोनों दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : क. नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र ख. 182 या अधिक दिनों भारत में निवासरत के लिए, भारत नेपाली मिशन/ रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र	✓	X*

* आधार नामांकन (पांच वर्ष से अधिक) के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची में पते के प्रमाण के रूप में दस्तावेज लागू होंगे।

नोट :

उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत - :

(क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);

(ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;

(ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या भाविपप्रा को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और

(घ) पहचान, पते, जन्मतिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

(क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
(ख) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के अलावा) माता-पिता में से कोई या विधिक संरक्षक परिवार का मुखिया बन सकता है।
(ग) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पूर्व एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए।
(घ) एचओएफ आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
(ङ) पीओआर दस्तावेज में बच्चे और एचओएफ के नाम उल्लेख होना चाहिए।
(च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा ।
(छ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बच्चे के आधार में किया जाएगा।
(ज) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अवधि तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
(झ) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
(ञ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा।
(ट) एचओएफ को बच्चे के नाम पर जारी पहचान के सबूत (पीओआई) निम्न दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है :
  (i) भारतीय पासपोर्ट
  (ii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/फोटो युक्त प्रमाण-पत्र यथा अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र आदि।
  (iii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र।
  (iv) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र।

पांच वर्ष या उससे से अधिक आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्मतिथि को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

✓ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है

क्र. सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज	बच्चे के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	✓	X	X	X
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	X
4.	मतदाता पहचान पत्र/ ई-मतदाता पहचान पत्र	✓	✓	X	X
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	X	X	
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार /पीएसयू/ नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	X	X	✓
7.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश	✓	X	✓	✓
8.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार / पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस / ईसीएचएस / ईएसआईसी / मेडी-क्लेम कार्ड	✓	X	X	X
9.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाणपत्र	✓	✓	X	X
10.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाण-पत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि।	✓	✓	✓	X
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र।	✓	✓	✓	X
12.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यताप्राप्त शैक्षिक बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद् विश्वविद्यालय या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मार्क-शीट / प्रमाणपत्र	✓	X	✓	✓

13.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाणपत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का सबूत है। पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का सबूत बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	✓	✓	✗	✗
14.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड/ प्रमाण-पत्र	✓	✓	✓	✓
15.	भाविपप्रा मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्र :				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	✗	✓	✗	✗
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अधिकारी	✗	✓	✗	✗
	(iii) तहसीलदार/ राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	✗	✓	✗	✗
	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में)	✓	✓	✗	✗
	(v) अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / मान्यता-प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल आश्रय गृह या अनाथालय से संबंधित बालकों/ बालिकाओं के लिए)	✓	✓	✗	✗
	(vi) संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए).	✗	✓	✗	✗
	(vii) ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	✗	✓	✗	✗
16.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
17.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
18.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/ पोस्टपेड मोबाइल बिल/ ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
19.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख/पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार/पट्टा करार/ अवकाश और लाइसेंस करार।	✗	✓	✗	✗
20.	गैस कनेक्शन बिल (3 महीनों से पुराना न हो)	✗	✓	✗	✗
21.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू / नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
22.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	✗	✓	✗	✗

23.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	✗	✗	✓	✓
24.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	✗	✗	✓	✗
25.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	✗	✗
26.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	✗	✗	✓	✗
	भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई), या दीर्घकालिक वीजा धारकों, नेपाल और भूटान के नागरिकों और नामांकन चाहने वाले अन्य विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज				
27.	निवासी जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हैं, के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड	✓	✗	✗	✗
28.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	✓	✓	✗	✗
29.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का वैध पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- (क) वैध नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र (ख) नेपाल/भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र (ग) भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सबूत पत्र	✓	✗	✗	✗
30.	जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत अन्य निवासी विदेशी नागरिकों के लिए जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा।	✓	✗	✗	✗
31.	निवासी विदेशी नागरिकों के लिए विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) / विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र या आवासीय परमिट (ओसीआई कार्ड धारक, एलटीवी दस्तावेज धारक और नेपाल/भूटान के नागरिक को छोड़कर)	✗	✓	✗	✗

नोट :

उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत :–

(क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);

(ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;

(ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या भाविपप्रा को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और

(घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्षित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

(क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है ;

(ख) एक दस्तावेज को पहचान के सबूत (पीओआई) दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होगा ;

(ग) एक दस्तावेज को पते के सबूत (पीओए) दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और पता शामिल होगा।

(घ) एक दस्तावेज को पहचान का सबूत (पीओआई) और पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज दोनों में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम, फोटो और पता शामिल होगा।

(ङ) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(च) सभी पीओआई, पीओए और डीओबी दस्तावेज व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर मौजूद दस्तावेजों पर परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन नहीं किए जा सकते है ।

(छ) यदि व्यक्ति के पास पीओआई और पीओए दस्तावेज नहीं हैं तो परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा।

(ज) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पहले एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान एचओएफ को व्यक्ति के साथ मौजूद रहना होगा।

(झ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।

(ञ) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक मान्य होगा। हालाँकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(ट) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(ठ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक वैध होगा।

(ड) सभी दस्तावेज नवीनतम और वैध होने चाहिए (अन्यथा विनिर्दिष्ट को छोड़कर)

किसी भी आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

✓ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज	बच्चे के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) दस्तावेज
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓*
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	✓	✗	✗	✗
3.	राशन / पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड / ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	✗
4.	मतदाता पहचान पत्र/ई-मतदाता पहचान पत्र, जिसका ब्यौरा भारत निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाता है।	✓	✓	✗	✗
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	✗	✗	✗
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	✗	✗	✓*
7.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✓	✗	✓	✓*
8.	किसान फोटो पासबुक	✓	✓	✗	✗
9.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / द्वारा जारी सीजीएचएस / ईसीएचएस/ईएसआईसी/मेडी-क्लेम कार्ड	✓	✗	✗	✗
10.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाणपत्र	✓	✓	✗	✗
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाणपत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाणपत्र, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि	✓	✓	✓	✗

12.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त / बिना फोटो का विवाह प्रमाणपत्र (बिना फोटो के विवाह प्रमाणपत्र होने की स्थिति में, पुराने नाम और फोटो समर्थित पीओआई दस्तावेज की आवश्यकता है)	✓	✓	✓	✗
13.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एसटी / एससी / ओबीसी प्रमाणपत्र।.	✓	✓	✓	✗
14.	स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी) / स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)	✓	✗	✗	✗
15.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/ प्रमाणपत्र	✓	✗	✓	✓*
16.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाणपत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का सबूत है। पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का सबूत बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	✓	✓	✗	✗
17.	अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरबीआई द्वारा अधिसूचित) की पासबुक, जिसमें नाम और फोटोग्राफ (बैंक की सील सहित क्रॉस स्टैम्प) हो तथा बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर हो / डाकघर की बचत खाता पासबुक (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी की मुहर सहित)	✗	✓	✗	✗
18.	बैंक खाता विवरण / क्रेडिट कार्ड विवरण (जारीकर्ता बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और बैंक स्टैम्प सहित) / डाकघर बचत खाता विवरण (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित) (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	✗	✓	✗	✗
19.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड / प्रमाण-पत्र	✓	✓	✓	✓*

20.	भाविपप्रा मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र :				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	✗	✓	✗	✗
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह ह्यएह्ल/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधिकारी	✗	✓	✗	✗
	(iii) तहसीलदार / राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	✗	✓	✗	✗
	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 के अनुसरण में)	✓	✓	✗	✗
	(v) अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / मान्यता-प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल बच्चों के लिए संबंधित आश्रय ग्रह या अनाथालय)	✓	✓	✗	✗
	(vi) संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	✗	✓	✗	✗
	(vii) ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	✗	✓	✗	✗
21.	बिजली का बिल (प्रीपेड /पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
22.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
23.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗

24.	संपत्ति कर रसीद (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
25.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध / पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख / पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार /पट्टा करार/ अवकाश और लाइसेंस करार	✗	✓	✗	✗
26.	गैस कनेक्शन बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
27.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
28.	जीवन / चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	✗	✓	✗	✗
29.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	✗	✗	✓	✓
30.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	✗	✓	✗	✗
31.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	✗	✗
32.	परिवार के मुखिया (एचओएफ) यह प्रमाणित करते हुए स्व-घोषणा कि वह व्यक्ति एचओएफ के साथ उसी पते पर रह रहा है, केवल एचओएफ के पते के मामले में वैध (केवल एचओएफ के इमिडिएट परिवार के सदस्य/ सदस्यों के पते के अद्यतीकरण के संबंध में उपयोग हेतु)	✗	✓	✗	✗
33.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	✗	✓	✗	✗

भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई), या दीर्घकालिक वीजा धारकों, नेपाल और भूटान के नागरिकों और नामांकन चाहने वाले अन्य विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज					
34.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड	✓	✗	✗	✗
35.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	✓	✓	✗	✗
36.	नेपाल/भूटान के नागरिक के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं : (क) नेपाली / भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र (ख) नेपाल / भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र (ग) भारत में नेपाली मिशन / रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र	✓	✗	✗	✗
37.	अन्य विदेशी नागरिकों को वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा जारी किया जाता है	✓	✗	✗	✗
38.	विदेशी नागरिक को विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)/विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या आवासीय परमिट (ओसीआई कार्ड धारकों, एलटीवी दस्तावेज धारकों और नेपाल / भूटान नागरिकों को छोड़कर)	✗	✓	✗	✗
नाम, लिंग और जन्म तिथि (डीओबी) के अपवादात्मक मामलों के लिए लागू दस्तावेज					
39.	नाम परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : नए नाम की राजपत्र अधिसूचना, फोटो सहित पुराने नाम के किसी समर्थित पीओआई दस्तावेज (पहले/पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए) / तलाक की डिक्री / गोद लेने का प्रमाणपत्र / विवाह प्रमाणपत्र के सहित	✓	✗	✗	✗
40.	लिंग परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : यदि निवासी ने सर्जरी द्वारा लिंग बदला है तो सर्जन से चिकित्सा प्रमाणपत्र	✓	✗	✗	✗
41.	जन्मतिथि परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	✗	✗	✗	✓

नोट : उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत : —

(क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);

(ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;

(ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या भाविपप्रा को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और

(घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

(क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

(ख) *0-18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की जन्म तिथि अद्यतीकरण के लिए संबंधित राज्यों के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

(ग) एक दस्तावेज को पहचान के सबूत (पीओआई) दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होगा।

(घ) एक दस्तावेज को पते के सबूत (पीओए) दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और पता शामिल होगा।

(ङ) एक दस्तावेज को पहचान का सबूत (पीओआई) और पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज दोनों में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम, फोटो और पता शामिल होगा।

(च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(छ) पीओआई, पीओए और पीडीबी दस्तावेज व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर मौजूद दस्तावेजों पर परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन नहीं किए जा सकते हैं

(ज) पीओआई और पीओए दस्तावेज नहीं हैं तो परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा।

(झ) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पहले एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान एचओएफ को व्यक्ति के साथ मौजूद रहना होगा।

(ञ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।

(ट) बच्चे (0-5 वर्ष) के मामले में आधार में नाम "बेबी ऑफ..." है तो, पहली बार पूर्ण नाम अद्यतन के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी, जो उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाएगा।

(ठ) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए आधार अपडेट केवल आधार वयस्क नामांकन केंद्रों पर किया जाएगा।

(ड) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक मान्य होगा। हालाँकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(ढ) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(ण) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक वैध होगा।

(त) जन्मतिथि परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा देखें — [#]

(थ) कृपया अपवाद हैंडलिंग तंत्र देखें— [##]

(द) अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मामले की उचित पड़ताल के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।

(ध) सभी दस्तावेज नवीनतम और वैध होने चाहिए (अन्यथा विनिर्दिष्ट को छोड़कर) ;] और

#- https://uidai.gov.in/images/SOP_for_DOB_update.pdf

##- https://uidai.gov.in/images/Biometric_exception_guidelines_01-08-2014.pdf

11.4 अनुलग्नक 4 : 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार परिपूर्णता रिपोर्ट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार परिपूर्णता 31 मार्च, 2025				
क्र.सं.	राज्य का नाम	"कुल आबादी (परियोजित 2025)*"	समनुदेशित आधार की संख्या (लाइव)	"परिपूर्णता % (लाइव)"
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4,05,000	3,86,462	95.42%
2	आंध्र प्रदेश	5,35,24,000	5,28,89,483	98.81%
3	अरूणाचल प्रदेश	15,90,000	12,45,409	78.33%
4	असम	3,63,82,000	3,33,32,483	91.62%
5	बिहार	13,04,29,000	11,46,92,461	87.93%
6	चंडीगढ़ **	12,55,000	11,27,096	89.81%
7	छत्तीसगढ़	3,08,67,000	2,91,26,660	94.36%
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव **	6,62,703	6,95,584	104.96%
9	दिल्ली	2,21,46,000	2,30,53,649	104.10%
10	गोवा	15,91,000	16,39,813	103.07%
11	गुजरात	7,32,27,000	6,62,13,288	90.42%
12	हरियाणा	3,09,36,000	3,10,37,794	100.33%
13	हिमाचल प्रदेश	75,42,000	78,70,778	104.36%
14	जम्मू कश्मीर	1,37,98,000	1,20,13,691	87.07%
15	झारखंड	4,04,61,000	3,64,11,151	89.99%
16	कर्नाटक	6,85,38,000	6,66,83,882	97.29%
17	केरल	3,60,63,000	3,79,41,547	105.21%
18	लद्दाख	3,04,000	2,51,032	82.58%
19	लक्षद्वीप	69,000	75,607	109.58%
20	मध्य प्रदेश	8,86,41,000	8,05,60,318	90.88%
21	महाराष्ट्र	12,83,34,000	12,09,80,867	94.27%
22	मणिपुर	32,82,000	26,83,312	81.76%
23	मेघालय	34,10,000	26,99,716	79.17%
24	मिजोरम	12,61,000	12,29,453	97.50%
25	नागालैंड	22,74,000	14,06,468	61.85%
26	ओडिशा	4,68,57,000	4,46,24,185	95.23%
27	पुदुचेरी**	14,05,997	10,50,513	74.72%
28	पंजाब	3,11,22,000	3,17,17,770	101.91%
29	राजस्थान	8,27,70,000	7,77,46,130	93.93%
30	सिक्किम	7,02,000	5,87,781	83.73%
31	तमिलनाडु	7,73,17,000	7,56,92,694	97.90%
32	तेलंगाना	3,84,54,000	3,99,21,411	103.82%
33	त्रिपुरा	42,22,000	39,08,137	92.57%
34	उत्तर प्रदेश	24,04,68,000	22,44,19,426	93.33%
35	उत्तराखंड	1,18,74,000	1,18,50,407	99.80%
36	पश्चिम बंगाल	10,00,42,000	9,98,49,557	99.81%
योग		**1,41,22,25,700**	**1,33,76,16,015**	**94.72%**

*आरजीआई डेटा के अनुसार

**दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के कार्यालय से दिनांक 02 नवंबर 2021 के पत्र सीओएल/आधार-अवेयरनेस/2021-22 के जरिए प्राप्त जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित।

**क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के दिनांक 17.12.2021 के पत्र आरओ-सीएचडी-17020/4/2020-आरओ-सीएचडी के जरिए प्राप्त चंडीगढ़ की संशोधित जनसंख्या सूचना के अनुसार अद्यतित।

**क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु के दिनांक 27.12.2021 के पत्र के जरिए प्राप्त पुदुचेरी जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित

12. लघुरूपण

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एबीआईएस	स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली
एडीजी	सहायक महानिदेशक
एयू	आधार यूसेज
एईए	आधार समर्थित ऐप्लिकेशन
एईपीएस	आधार समर्थित भुगतान प्रणाली
एएचसी	आधार आवासीय परिसर
एआई	कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एआईडीएस	उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम
एआईआर	आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो)
ए एंड एन	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
एएमसी	वार्षिक अनुरक्षण लागत
एपीबी	आधार भुगतान ब्रिज
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एएसए	अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी
एएसके	आधार सेवा केंद्र
एटीसी	वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
एयूए	अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी
बी2सी	बिजनेस-टू-कंज्यूमर
बीई	बजट अनुमान
बीएफएसआई	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा
बीएचआईएम	भारत इंटरफेस फॉर मनी
बीओसी	व्यवसाय संचालन समिति
बीओआई	बैंक ऑफ इंडिया
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीपीओ	बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसपी	बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता
सीएजी	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
सीएपीएस	केंद्रीकृत ऐक्सेस और विशेषाधिकार निगरानी प्रणाली
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
सीसीए	प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक
सीसीएफ	संपर्क केंद्र फर्म
सीडीए	कंटेंट डेवलपमेंट एजेंसी
सीईएलसी	बाल नामांकन लाइट क्लाइंट
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीएफआई	भारत की समेकित निधि
सीजीएचएस	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
सीआई	चैनल इंटरफेस़
सीआईसी	केंद्रीय सूचना आयोग
सीआईडीआर	केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईएसएफ	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सीएमए	प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार
सीएमसी	कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन
सीओबीओएसएसी	कारपोरेट बॉण्ड और प्रतिभूतिकरण सलाहकार समिति
सीपीआईओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीआरएम	ग्राहक संबंध प्रबंधन
सीएससी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसएस	कैस्केडिंग स्टाइल शीट
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
सीवीओ	प्रमुख सतर्कता अधिकारी
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीजी	उपमहानिदेशक
डीडी	उपनिदेशक
डीडीओ	आहरण और संवितरण अधिकारी
डीईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीईडब्ल्यूजी	डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह
डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएल	ड्राइविंग लाइसेंस
डीएमएस	दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
डीएनएच	दादरा और नगर हवेली
डीओबी	जन्मतिथि
डीओपी	डाक विभाग

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीपीआई	डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
डीपीयू	डेटा प्रोसेसिंग यूनिट
डीएससीआई	भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद
ई एंड यू	नामांकन एवं अद्यतन
ईए	नामांकन एजेंसी
ईएसी	आर्थिक सलाहकार परिषद
ईसीएचएस	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
ईसीएमपी	नामांकन ग्राहक बहुविध प्लेटफार्म
ईजीओएम	मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह
ईआईडी	नामांकन पहचान
ईआईएल	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
ईएमडी	जमा बयाना राशि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीआईसी	मतदाता फोटो पहचान पत्र
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ईएसपी	ई-हस्ताक्षर सेवा प्रदाता
एफएए	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
एफएक्यू	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
एफडी	मियादी जमा
एफआईआर	फिंगरप्रिंट इमेज रिकार्ड
एफएमआर	फिंगर मिनुटिया रिकॉर्ड
एफआरओ	विदेशी पंजीकरण कार्यालय
एफआरआरओ	विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी
एफवाई	वित्त वर्ष
जी2सी	सरकार-से-नागरिक
जीएफएफ	ग्लोबल फिनटेक फेस्ट
जीआईए	सहायता अनुदान
जीआईजीडब्ल्यू	भारत सरकार वेबसाइट दिशानिर्देश
जीपीयू	ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट
जीआरसीपी	शासन जोखिम अनुपालन और निष्पादन
एचआर	मानव संसाधन
एचटीएमएल	हाइपरटेक्सट मार्कअप लैंगुएज

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एचयूएल	हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड
आईएएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईबीए	भारतीय बैंक एसोसिएशन
आईबीसीसी	इंडिया ब्राजील चेंबर आफॅ कॉर्मेस
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईसीटी	सूचना व संचार तकनीक
आईडी	पहचान दस्तावेज
आईईसी	अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईएफएससी	भारतीय वित्त व्यवस्था संहिता
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईजीओटी	एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण
आईओएस	आईफोन प्रचालन प्रणाली
आईपीपीबी	भारतीय डाक भुगतान बैंक
आईआरडीए	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण
आईएस	सूचना सुरक्षा
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीईसी	भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग
आईवीआर	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस
आईवीआरएस	परस्पर स्वर प्रतिक्रिया प्रणाली
जेएंडके	जम्मू और कश्मीर
जेएएम	जन-धन आधार और मोबाइल
जेडी	कार्य विवरण
केएम पोर्टल	ज्ञान और प्रबंधन पोर्टल पीजी
केएमएस	ज्ञान प्रबंधन प्रणाली
केएसआईआईडीसी	कर्नाटक राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम
केयूए	ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो
एलडी	परिनिर्धारित नुकसानी
एल एंड डीओ	भूमि और विकास अधिकारी
एलआईसी	जीवन बीमा निगम

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एलआईटीई	लेनदेन इकाई में कम
एलएमएस	लर्निंग प्रबंधन प्रणाली
एलपीजी	लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
एलटीसी	छुट्टी यात्रा रियायत
एलटीवी	दीर्घकालिक वीजा
एमएएएस	मेटल-एज-ए-सर्विस
एमबीयू	अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन
एमडीसी	मानेसर डेटा केंद्र
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमजीएनआर-ईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमएल	मशीन लर्निंग
एमएलए	विधान सभा सदस्य/विधायक
एमएलसी	विधान परिषद सदस्य
एमओएसआईपी	मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडब्लूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमपी	संसद सदस्य/सांसद
एमएससी	माइक्रोसेव कंसल्टिंग
एमटीओ	मल्टी टास्किंग ऑपरेटर
एमएसएपी	प्रबंधित सेवा अनुप्रयोग प्रदाता
एमएसआईपी	प्रबंधित सेवा अवसंरचना प्रदाता
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसपी	प्रबंधित सेवा प्रदाता
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएबीएल	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
एनएसीओ	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनईसी	राष्ट्रीय पात्रता कार्ड

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईएसजी	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीआर	राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनआरडी	अनिवासी जमा
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
ओएसी	आर्डर आधार कार्ड
ओएई	अन्य प्रशासनिक व्यय
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओसीआई	भारत के प्रवासी नागरिक
ओडी	ओवर ड्रॉफट
ओई	कार्यालयी व्यय
ओएल	राजभाषा
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ओटीपी	वन टाईम पासवर्ड
ओएस	ऑपरेटिंग सिस्टम
ओएसडी	विशेष कार्य अधिकारी
पीएएचएएल	प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीबी	पेटाबाइट
पीबीएक्स	निजी शाखा विनिमय
पीसीएच	पूर्व-सत्यापित हार्डवेयर
पीसीआई	भारतीय भुगतान परिषद
पीडीबी	जन्मतिथि का प्रमाण
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीआईडी	व्यक्तिगत पहचान डेटा
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएफआरडीए	पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण
पीआईआई	व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी
पीएलए	स्थायी लोक अदालत

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
पीएम	प्रधान मंत्री
पीएम-आवास (यू)	प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी
पीएम-जय	प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना
पीएमएमएवीवाई	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन यूनिट
पीओए	पते का प्रमाण
पीओबी	जन्म का प्रमाण
पीओसी	अवधारणा का प्रमाण
पीओआई	पहचान का प्रमाण
पीओएसएच	यौन उत्पीड़न की रोकथाम
पीओआर	रिश्ते का प्रमाण
पीओएस	बिक्री केंद्र
पीपीए	सार्वजनिक परिसर अधिनियम
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीवीसी	पोलीविनाइल क्लोराइड
क्यूसी	गुणवत्ता जांच
क्यूआर	त्वरित प्रतिक्रिया
आरएएस	त्वरित मूल्यांकन व्यवस्था
आरएजेएसएसपी	राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरडी	पंजीकृत उपकरण
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीआई	भारत के महापंजीयक
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएसबीवाई	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससी	उच्चतम न्यायालय
एससी	अनुसूचित जाति
एसडीके	सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट
एसडीएस	सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एसडीएन	सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसआईडी	विशेष पहचान
एसआईटीएए	आधार के साथ नवाचार और तकनीकी संगठन के लिए योजना
एसआईएम	ग्राहक पहचान मॉड्यूल
एसजेईडी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
एसएलए	सेवा स्तर अनुबंध
एसएलएम	स्ट्रेट लाइन मेथड/सीधी रेखा पद्धति
एसएलसी	स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एसओ	राज्य कार्यालय
एसओसी	दावे का विवरण
एसएसयूपी	स्व सेवा अद्यतन पोर्टल
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीक्यूसी	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण पत्र
एसडब्ल्यूआईके	सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान
टीए	यात्रा भत्ता
टीसी	स्थानांतरण प्रमाणपत्र
टीसीए	परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीईई	विश्वसनीय निष्पादन पर्यावरण
टीएफएन	टॉल फ्री नंबर
टीओई	अनुबंध की शर्तें
टीपीएम	विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मॉड्यूल
टीएसए	राजकोषीय एकल खाता
टीएसपी	दूरसंचार सेवा प्रदाता
यूसीएफएफआईएल	यूआईडीएआई साइबर फोरेंसिक धोखाधड़ी जांच प्रयोगशाला
यूएचडी	अल्ट्रा हाई डेनसिटी
यूआई	यूजर इंटरफेस
यूआईडी	विशिष्ट पहचान
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
यूके	यूनाइटेड किंगडम
यूएमएएनजी	यूनिफाइड मोबाइल ऐप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस
यूपी	उत्तर प्रदेश
यूपीसीआईडीसीओ	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम
यूआरएन	अद्यतन अनुरोध संख्या
यूएसडी	यूनाइटेड स्टेट डॉलर
यूटी	संघ राज्य-क्षेत्र
यूटीआईआईएसएल	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड
यूएक्स	उपयोगकर्ता अनुभव

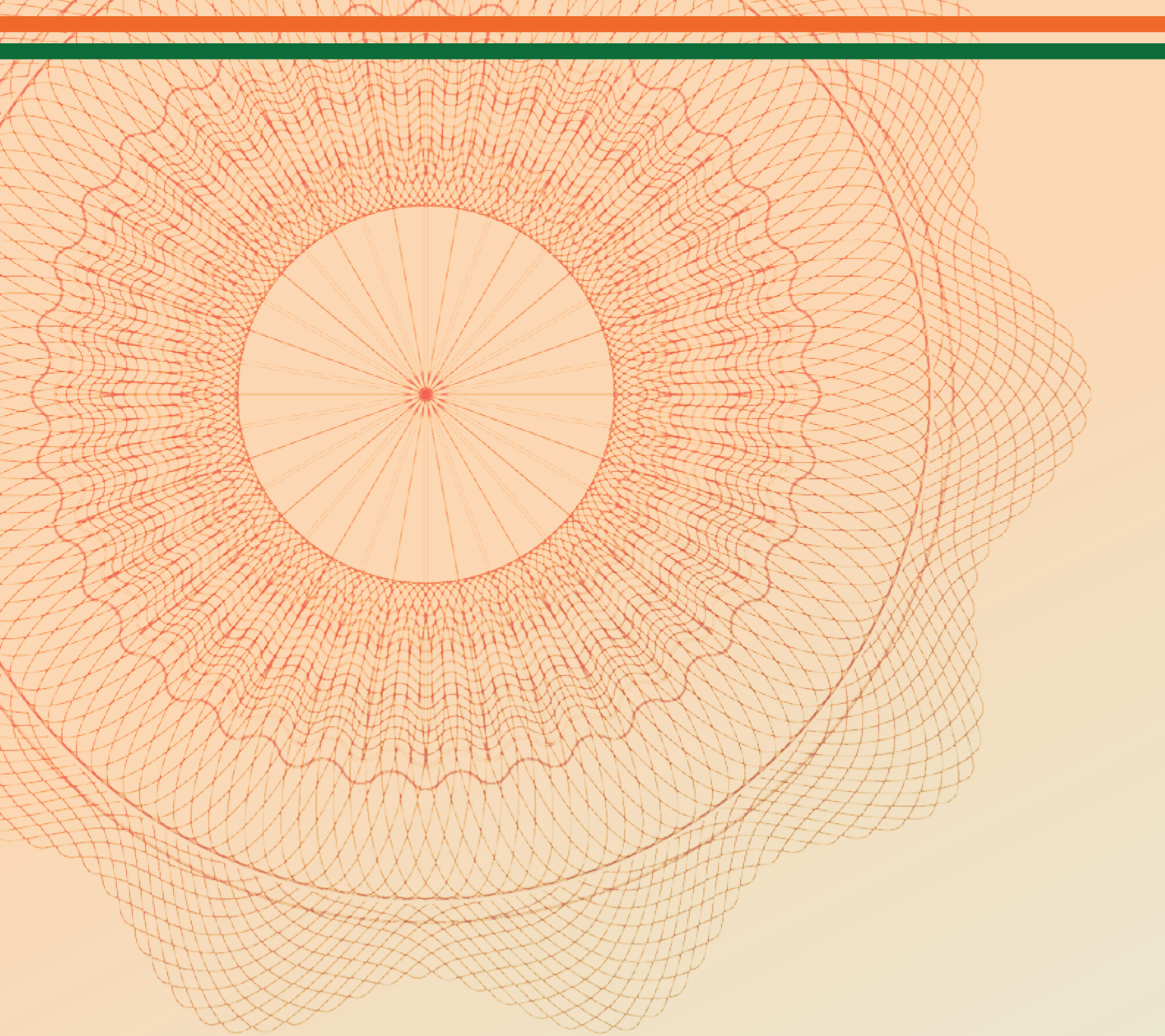

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

बंगला साहिब रोड, गोल मार्किट
नई दिल्ली -110001

uidai.gov.in

UIDAI Aadhaar aadhaar_official Aadhaar UIDAI aadhaar_official